

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार  
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

**हिमाचल प्रदेश सरकार  
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2**



## अनुक्रमणिका

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	ix
कार्यकारी सारांश	-	xi-xvii
<b>अध्याय - I</b>		
<b>विहंगावलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2-3
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3-4
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	5
सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण	1.4	5-8
वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)	1.4.1	8-9
सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट	1.4.2	9-10
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	10-11
मुख्य राजकोषीय मापदण्डों पर हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं उपलब्धियां	1.5.1	11-14
मध्यावधि राजकोषीय योजना	1.5.2	14-16
घाटे/ अधिशेष की प्रवृत्ति	1.5.3	16-18
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटा	1.6	18
राजस्व एवं राजकोषीय घाटा - लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	1.6.1	18-20
कुल लोक ऋण - लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	1.6.2	20-21
<b>अध्याय - II</b>		
<b>राज्य के वित्त</b>		
प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	2.1	23
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	24
राज्य के संसाधन	2.3	25
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	25-26
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	26
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास	2.3.2.1	26-29
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	29-31
केन्द्रीय अंतरण	2.3.2.3	32-35
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	35-36
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	36-37
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	37

	परिच्छेद	पृष्ठ
व्यय की वृद्धि एवं संघटन	2.4.1	37-40
राजस्व व्यय	2.4.2	40-41
राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन	2.4.2.1	41-42
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	42-44
राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना	2.4.2.3	44-45
सब्सिडी	2.4.2.4	45
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता	2.4.2.5	45-46
पूंजीगत व्यय	2.4.3	46-47
पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन	2.4.3.1	47-50
राज्य सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिम	2.4.3.2	50-51
व्यय प्राथमिकता	2.4.4	52
वस्तु शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	52-53
<b>लोक लेखा</b>	<b>2.5</b>	<b>53</b>
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	53-55
आरक्षित निधियां	2.5.2	55
समेकित ऋण शोधन निधि	2.5.2.1	56
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.5.2.2	56-57
प्रत्याभूति विमोच्य निधि	2.5.2.3	58
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	2.5.2.4	58
उचंत एवं विविध	2.5.3	58-59
<b>ऋण प्रबंधन</b>	<b>2.6</b>	<b>59</b>
ऋण रुपरेखा: घटक	2.6.1	59-64
ऋण रुपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी	2.6.2	64-67
<b>ऋण धारणीयता विश्लेषण</b>	<b>2.7</b>	<b>67-69</b>
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	69-70
गारंटी (प्रत्याभूति) - आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति	2.7.2	70-72
नकद शेष का प्रबंधन	2.7.3	72-75
<b>निष्कर्ष</b>	<b>2.8</b>	<b>75-76</b>
<b>सिफारिशें</b>	<b>2.9</b>	<b>76</b>
<b>अध्याय - III</b>		
<b>बजटीय प्रबंधन</b>		
<b>बजट प्रक्रिया</b>	<b>3.1</b>	<b>77</b>
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश	3.1.1	78

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	78-79
<b>विनियोजन लेखे</b>	<b>3.2</b>	79
<b>बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी</b>	<b>3.3</b>	79
विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	79-80
व्यय का गलत वर्गीकरण	3.3.2	81
अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	3.3.3	81-83
पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन	3.3.4	83
अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	3.3.5	83-84
बचत	3.3.6	84-90
व्यय आधिक्य तथा इसका विनियमन	3.3.7	90
वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित व्यय आधिक्य	3.3.7.1	90-91
कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.3.7.2	91-92
विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन	3.3.7.3	92-93
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान	3.3.8	93
<b>बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां</b>	<b>3.4</b>	93
बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	3.4.1	93-95
अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत	3.4.2	95-96
बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय	3.4.3	96-97
योजनाओं हेतु प्रदत्त बजट की तुलना में व्यय	3.4.4	97-99
व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	99-100
<b>चयनित अनुदानों की समीक्षा</b>	<b>3.5</b>	100
अनुदान संख्या 8 - शिक्षा	3.5.1	101
बजट एवं व्यय	3.5.1.1	101-106
अनुदान संख्या 13 - जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग)	3.5.2	106
बजट एवं व्यय	3.5.2.1	106-114
<b>निष्कर्ष</b>	<b>3.6</b>	114-115
<b>सिफारिशें</b>	<b>3.7</b>	115
	<b>परिच्छेद</b>	<b>पृष्ठ</b>
<b>अध्याय - IV</b>		
<b>लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ</b>		
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां	4.1	117
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर	4.1.1	117-118
समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण	4.1.2	118

	परिच्छेद	पृष्ठ
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां	4.1.3	119-120
सब्याज निक्षेपों के प्रति ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना	4.2	120
उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.3	120-123
अनुदेयी संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.4	123
सार आकस्मिक बिल	4.5	123-125
व्यक्तिगत निक्षेप लेखे	4.6	125-126
लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.7	126-129
मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.8	129-131
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.9	131
नकद शेष का मिलान	4.10	131-132
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.11	132-133
स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.12	133-134
निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना	4.13	134
लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता	4.14	134
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	4.15	135-136
राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.16	136
निष्कर्ष	4.17	137
सिफारिशें	4.18	137-138
<b>अध्याय - V</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम</b>		
सरकारी कंपनियों/ निगमों की परिभाषा	5.1	139
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	139
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.3	140-141
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	141
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में धारित इक्विटी एवं ऋण	5.4.1	141-142
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजटीय सहायता	5.4.2	142-143
ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.4.3	143



	परिच्छेद	पृष्ठ
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.4	143
विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	5.4.5	144
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल</b>	<b>5.5</b>	144
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	144
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान	5.5.2	145
<b>ऋण अदायगी</b>	<b>5.6</b>	145
ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	145-146
राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण	5.6.2	146-147
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन</b>	<b>5.7</b>	147
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	5.7.1	147-148
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.2	148-149
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.7.3	149-151
<b>राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम</b>	<b>5.8</b>	151
हानि	5.8.1	151-152
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण	5.8.2	152-153
<b>उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम का कार्यान्वयन</b>	<b>5.9</b>	153
वित्तीय बदलाव	5.9.1	153-154
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा</b>	<b>5.10</b>	154
<b>नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति</b>	<b>5.11</b>	154
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण</b>	<b>5.12</b>	155
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.12.1	155
सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता	5.12.2	155-157
सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता	5.12.3	157
<b>नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा</b>	<b>5.13</b>	157
वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा	5.13.1	157
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.13.2	157-158
सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.3	158

	परिच्छेद	पृष्ठ
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम	5.14	158
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.14.1	158-159
वित्तीय विवरणियों का संशोधन	5.14.2	159
लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण	5.14.3	159
अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम	5.14.4	159-160
निष्कर्ष	5.15	160
सिफारिशें	5.16	160-161

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
1	राज्य रूपरेखा	1.1	163
1.2	31 मार्च 2021 व 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय प्रास्थिति	1.4.2	164
2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	2.3.2.1 व 2.4.1	165-166
2.2	वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	2.3.2.1	167-168
2.3 (क)	लोक ऋण के वास्तविक एवं प्राक्कलन (मूलधन + ब्याज)	2.6.2	169
2.3 (ख)	राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, राजस्व घाटे एवं ऋण पर ब्याज भुगतान के वास्तविक एवं प्राक्कलन	2.6.2	170
3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	3.1	171-173
3.2	अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.5	174-178
3.3	अनुदानों की सूची जहां बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक रही	3.3.6 (i)	179-180
3.4	निरंतर बचत वाले मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक)	3.3.6 (ii)	181
3.5	2021-22 के दौरान प्राधिकरण से अधिक शीर्ष-वार संवितरण	3.3.7.1	182
3.6	उन योजनाओं का विवरण जहां एक करोड़ से अधिक का प्रावधान तो किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया	3.4.4	185
3.7	शिक्षा विभाग के कुल स्वीकृत बजट के अनाधिकृत पुनर्विनियोजन का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	3.5.1.1 (क)	186
3.8	शिक्षा विभाग की बचत का विवरण (वित्त वर्ष 2021-22)	3.5.1.1 (ग)	187-189
3.9	मुख्य लेखा शीर्ष जहां 50 प्रतिशत से अधिक व्यय केवल मार्च 2022 में किया गया था	3.5.2.1 (ङ)	190
3.10	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की बचत दर्शाने वाला विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)	3.5.2.1 (क)	191-193
3.11	योजनाओं का विवरण जहां कुल स्वीकृत बजट के पुनर्विनियोजन द्वारा संपूर्ण बजट प्रावधान को शून्य कर दिया गया	3.5.2.1 (ख)	194-195
4.1	31 मार्च 2022 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र	4.5	196-201

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
4.2	31 मार्च 2022 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेष को दर्शाने वाली विवरणी	4.8	202-204
4.3	स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण/ संस्थाओं की सूची	4.14 व 4.15	205-206
5.1	31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के नाम, निगमन का माह व वर्ष (उनके संक्षिप्त विवरण सहित) दर्शाने वाला विवरण	5.3	207-210
5.2	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार/ अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में किए गए इक्विटी व दीर्घावधि ऋण के निवेश को दर्शाने वाला विवरण	5.4.1	211-212
5.3	30 सितम्बर 2022 तक लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्तमान वर्ष हेतु संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	5.5.1	213-215
5.4	01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2021-22 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	5.7.3	216-219
5.5	30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं की संख्या सहित बकाया लेखाओं वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	5.12.2	220
5.6	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी	5.14.4	221

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-I राज्य का विहंगावलोकन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान, सरकारी लेखाओं की संरचना तथा राज्य के वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट) प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के वित्त लेखाओं व विनियोजन लेखाओं की क्रमानुसार जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

'लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय-IV चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

'राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम' पर अध्याय-V में सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणियों/ प्रदर्शन पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में हुए लेनदेनों की लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष समाविष्ट हैं तथा राज्य के राजस्व पर पृथक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।



# कार्यकारी सारांश





## कार्यकारी सारांश

### भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं बजट प्राक्कलनों की तुलना में 2021-22 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आंकलन; तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे कई स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त ब्यौरे पर आधारित यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करता है।

**अध्याय-I** इस प्रतिवेदन एवं अंतर्निहित ब्यौरे (विवरणों) के मूल आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जिसमें सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/ अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत है।

**अध्याय-II** वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों, विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

**अध्याय-III** विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान-वार विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्यपद्धति में कमियों व चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणामों पर टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

**अध्याय-IV** राज्य सरकार की विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं की गुणवत्ता का विवरण उपलब्ध कराता है।

**अध्याय-V** में सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणियों/ प्रदर्शन पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### अध्याय I: विहंगावलोकन

- राज्य सरकार ने घाटे से उबरने के उपायों एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य प्रदान करने के लिए अप्रैल 2005 में (2011 में संशोधित) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। घाटे व ऋण स्तर हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया।
- 2021-22 के दौरान सरकार 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को नियंत्रित करने में असमर्थ रही हालांकि राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों व बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा।

(परिच्छेद 1.5.1, पृष्ठ 11-14)

- वर्ष 2021-22 के दौरान 2020-21 का राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) में बदल गया। राजकोषीय घाटा (₹ 5,245 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 5,700 करोड़) की तुलना में ₹ 455 करोड़ घट गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2020-21 के ₹ 1,228 करोड़ से घट कर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 604 करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.5.3, पृष्ठ 16-18)

### अध्याय II: राज्य के वित्त

- 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,871 करोड़ (11.58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान हुई वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश में ₹ 2,595.12 करोड़ (54.59 प्रतिशत), राज्य के स्व कर राजस्व में ₹ 1,631.27 करोड़ (20.18 प्रतिशत) एवं कर-भिन्न राजस्व में ₹ 423.90 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। यह वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) की गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हो गई।

(परिच्छेद 2.3.2.1, पृष्ठ 26-29)

- पांच वर्ष की अवधि (2017-22) में कुल व्यय में ₹ 11,290.53 करोड़ (36.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 3,437.63 करोड़

(8.78 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2017-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 22.60 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में 33.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी दौरान पूंजीगत व्यय में 50.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ₹ 767.71 करोड़ (3.42 प्रतिशत) थी। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय (65-71 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों (62-70 प्रतिशत) का एक बड़ा अंश दर्ज किया गया।

**(परिच्छेद 2.4.1 व 2.4.2.2, पृष्ठ 37-40 व 42-44)**

- विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2017-22 के दौरान इसमें ₹ 2,273.71 करोड़ (60.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (₹ 6,029.38 करोड़) विगत वर्ष 2020-21 (₹ 5,309.22 करोड़) से ₹ 720.16 करोड़ (13.56 प्रतिशत) बढ़ गया।

**(परिच्छेद 2.4.3.1, पृष्ठ 47-50)**

- 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारिताओं में किए उसके कुल निवेशों पर 3.39 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया तथा ₹ 4,913 करोड़ का निवेश किया उसके उधारों पर 7.03 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

**(परिच्छेद 2.4.3.1 (i), पृष्ठ 48-49)**

- विगत पांच वर्षों (मार्च 2022 तक) में विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग व खनिज के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों ने ऋणों की चुकौती नहीं की थी तथा फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए। पिछले कुछ वर्षों में समग्र बकाया शेष राशि में वृद्धि हुई है।

**(परिच्छेद 2.4.3.2, पृष्ठ 50-51)**

- राज्य का कुल बकाया ऋण/देयताएं 2017-18 के ₹ 51,030.51 करोड़ से ₹ 18,092.07 करोड़ बढ़कर ₹ 69,122.58 करोड़ (₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर (2020-22)) हो गई क्योंकि वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक प्राप्त ऋण से 35.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से आंतरिक ऋण (₹ 10,784.56 करोड़), ऋण व अग्रिम (₹ 1,259.76 करोड़) एवं लोक लेखा देयताओं (₹ 6,047.75 करोड़) में वृद्धि था।

**(परिच्छेद 2.6.1, पृष्ठ 59-64)**

- ब्याज सहित ₹ 68,630 करोड़ (मूलधन: ₹ 45,297 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 23,333 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 10 प्रतिशत (₹ 6,952 करोड़) अगले एक वर्ष में चुकाने योग्य है, 40 प्रतिशत (₹ 27,677 करोड़) अगले दो से पांच वर्षों में चुकाने योग्य है जबकि शेष 50 प्रतिशत (₹ 34,001 करोड़) पांच वर्ष के पश्चात् चुकाने होंगे। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण अदायगी पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,926 करोड़ होगा। ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,766 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के ₹ 1,043.74 करोड़ को छोड़कर) है।

(परिच्छेद 2.6.2, पृष्ठ 64-67)

### अध्याय III: बजटीय प्रबंधन

- वर्ष 2021-22 में व्यय के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 55,714.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 50,129.36 करोड़ (90 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5,585.36 करोड़ (10 प्रतिशत) की बचत हुई।

(परिच्छेद 3.1.1, पृष्ठ 78)

- 2021-22 के दौरान 11 अनुदानों (राजस्व-दत्तमत/पूँजीगत-दत्तमत) के तहत 13 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 647.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। 12 मामलों में ₹ 876.14 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि कुल ₹ 1,706.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे।

(परिच्छेद 3.3.3, पृष्ठ 81-83)

- 15 मामलों में पुनर्विनियोग (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी।

(परिच्छेद 3.3.5, पृष्ठ 83-84)

- 13 अनुदानों एवं दो विनियोजनों में ₹ 1,782.17 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका के प्राधिकार से अधिक किया गया। -2014-15 से 2020-21 की अवधि से संबंधित ₹ 8,818.47 करोड़ के व्यय आधिक्य को राज्य विधायिका से विनियमन करवाना अपेक्षित था।

(परिच्छेद 3.3.7.3, पृष्ठ 92-93)

- 81 योजनाओं में से 10 योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ से अधिक के बजट प्रावधान के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसी 22 योजनाएं थीं

जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ व उससे अधिक) या तो पुनर्विनियोजन द्वारा या अभ्यर्पित करके हटा दिया गया। यह राज्य सरकार के विभागों द्वारा कमजोर वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन का परिचायक है जो अभीष्ट लाभों की प्राप्ति न होने तथा संसाधनों के अवरोधन में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 3.4.4, पृष्ठ 97-99)

- वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। छः अनुदानों के तहत अंतिम तिमाही (50 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के मध्य) एवं मार्च 2022 (12 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के मध्य) के दौरान पर्याप्त व्यय किया गया।

(परिच्छेद 3.4.5, पृष्ठ 99-100)

#### अध्याय IV: लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था।

(परिच्छेद 4.1, पृष्ठ 117)

- ₹ 4,752.14 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 3,619 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,359.15 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,796 उपयोगिता-प्रमाणपत्र 2015-16 से 2019-20 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 4,752.14 करोड़ की राशि में से 81.43 प्रतिशत चार विभागों से सम्बंधित थे - पंचायती राज हेतु 33.25 प्रतिशत (₹ 1,580.03 करोड़); शहरी विकास हेतु 23.87 प्रतिशत (₹ 1,134.45 करोड़); आयुर्वेद (आयुष) हेतु 13.42 प्रतिशत (₹ 637.98 करोड़) तथा ग्रामीण विकास हेतु 10.89 प्रतिशत (₹ 517.42 करोड़)।

(परिच्छेद 4.3, पृष्ठ 120-123)

- अग्रिमों की पहचान/ उन्हें अलग करने के किसी उपयुक्त तंत्र के बिना सार आकस्मिक बिल के माध्यम से अग्रिमों का आहरण एवं तत्पश्चात निगरानी का अभाव सरकारी धन के दुरुपयोग/ दुर्विनियोजन की संभावनाओं को बढ़ाता है।

इसी भांति, स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने एवं अनुदानों व ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न करने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम उत्पन्न हुआ।

(परिच्छेद 4.5 व 4.13, पृष्ठ 123-125 व 134)

- वर्ष 2021-22 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,255.53 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 42,223.92 करोड़) कुल व्यय का 5.34 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई। इसी भांति 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,957.37 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 37,316.31 करोड़) का 5.25 प्रतिशत थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई।

*(परिच्छेद 4.7, पृष्ठ 126-129)*

#### **अध्याय V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**

- 31 मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) एवं राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम शामिल थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 19 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम व चार सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं।

*(परिच्छेद 5.3, पृष्ठ 140-141)*

- 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 कार्यशील उद्यमों में से 10 कार्यशील उद्यमों ने 2020-21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 28.18 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 21.47 करोड़ का लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे/ लाभ व हानि लेखे नहीं बनाए थे अथवा उनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी।

*(परिच्छेद 5.5.1, पृष्ठ 144)*

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल दो उद्यमों ने ₹ 0.71 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़)। 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए उनके लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.42 करोड़ का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया/ प्रदान नहीं किया। लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बाकी के चार उद्यम राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने के योग्य नहीं थे।

*(परिच्छेद 5.5.2, पृष्ठ 145)*

- 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 10 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल

16.45 प्रतिशत था। वर्ष 2019-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील 26 उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक होने के कारण इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

**(परिच्छेद 5.7.2, पृष्ठ 148-149)**

- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 498.55 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 40.23 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी क्रमशः ₹ 185.32 करोड़, ₹ 132.06 करोड़ एवं ₹ 128.24 करोड़ की हानि के भागीदार बने।

**(परिच्छेद 5.8.1, पृष्ठ 151-152)**

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,378.24 करोड़ की संचित हानि पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों में 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 498.55 करोड़ की हानि हुई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 में से 9 उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ या तो शून्य या ऋणात्मक था।

**(परिच्छेद 5.8.2, पृष्ठ 152-153)**





**अध्याय-।**  
**विहंगावलोकन**



## अध्याय - I

### विहंगावलोकन

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 मीटर से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। यह राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां (55,673 वर्ग कि.मी.) एवं जनसंख्या की दृष्टि से 21वां (2011 की जनगणना के अनुसार) सबसे बड़ा राज्य है (परिशिष्ट-1)।

हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों की श्रेणी में आता है; तदनुसार सामान्य राज्यों से अलग, जहां भारत सरकार से सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त होती है, यह भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

#### 1.1.1 हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्य पर)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,70,90,042.36	1,88,99,668.44*	2,00,74,855.79@	1,98,00,913.82#	2,36,64,636.99\$
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.24	11.59	6.22	-1.36	19.51
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 <sup>क</sup>	1,56,675.06 <sup>ख</sup>	1,75,173.31 <sup>ग</sup>
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश।

\*- तृतीय संशोधित अनुमान, @- द्वितीय संशोधित अनुमान #- प्रथम संशोधित अनुमान एवं \$- प्रगतिशील अनुमान


क- द्वितीय संशोधित प्राक्कलन, ख- प्रथम संशोधित प्राक्कलन, ग- अग्रिम प्राक्कलन

2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (+) 11.81 प्रतिशत थी, इसमें 2020-21 की तुलना में सभी क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत वृद्धि के कारण यह विगत वर्ष से बढ़ गया। 2012-13 से 2021-22 की अवधि में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मौजूदा कीमतों पर) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 8.68 प्रतिशत थी, जो उत्तर पूर्वी एवं हिमालयीय राज्यों के औसत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, जोकि 9.99 प्रतिशत था, से मामूली रूप से कम थी।

### 1.1.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्र-वार योगदान

अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्र-वार योगदान के परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि गतिविधियों के साथ-साथ वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन जैसी प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण-कार्य व बुनियादी ढांचा, विद्युत, गैस की आपूर्ति, इत्यादि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा सम्बन्धित सभी गतिविधियां शामिल हैं। 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्षेत्रीय भागीदारी में परिवर्तन तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास चार्ट-1.1 एवं चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है।


चार्ट-1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्षेत्र-वार योगदान में परिवर्तन (2017-18 से 2021-22)



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

जैसाकि उपरोक्त चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, 2017-18 व 2021-22 के मध्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में मामूली कमी आई तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही।

चार्ट-1.2: सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

उपरोक्त चार्ट-1.2, 2017-22 के दौरान सभी क्षेत्रों की विकास दर में अंतरवर्षीय विचलन दर्शाता है। 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी एवं उसके फलस्वरूप हुए लॉकडाउन के कारण घरेलू मांग व निर्यात में तेजी से हुई गिरावट से सभी क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। यद्यपि जहां पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण संकुचन देखा गया था वहीं 2021-22 के दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ होने के बाद सभी क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में सभी क्षेत्रों अर्थात् (i) प्राथमिक क्षेत्र (4.82 प्रतिशत), (ii) द्वितीयक क्षेत्र (16.40 प्रतिशत), (iii) तृतीयक क्षेत्र (10.77 प्रतिशत) में वृद्धि हुई। इन क्षेत्रों के तहत प्राथमिक के अंतर्गत फसल (6.25 प्रतिशत), पशु धन (1.65 प्रतिशत) एवं वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) (3.95 प्रतिशत); द्वितीयक के अंतर्गत विनिर्माण एवं निर्माण (17.99 प्रतिशत); तथा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, भंडारण व संचार एवं परिवहन के लिए प्रासंगिक सेवाएं (34.77 प्रतिशत), पर्यटन व आतिथ्य (10.01 प्रतिशत) में वृद्धि हुई।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल

प्रदेश का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से बनाते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2021-22 हेतु राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़े (कोर डेटा) हैं। सम्मिलित अन्य स्रोत हैं:

- वर्ष 2021-22 का राज्य बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ मनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) से प्राप्त अन्य विवरण;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए गए विश्लेषण 14वें एवं 15वें वित्तायोग, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं भारत सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों की संस्तुतियों पर आधारित है।

इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा (ड्राफ्ट) राज्य सरकार को टिप्पणी हेतु प्रेषित (31 अक्टूबर 2022) किया गया था; सरकार के उत्तर/टिप्पणियां 30 नवम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए। यद्यपि 6 दिसंबर 2022 को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रमुख मुद्दों पर हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (वित्त) के साथ अंतिम बैठक की गई; सरकार के दृष्टिकोण को उचित स्थानों पर समाविष्ट किया गया है।

### 1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में निरूपित किया गया है:

अध्याय - I	<b>संक्षिप्त विवरण</b> यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित डेटा का वर्णन, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - II	<b>राज्य के वित्त</b> यह अध्याय राज्य के वित्त लेखाओं के आधार पर राज्य वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य, विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - III	<b>बजट प्रबंधन</b> यह अध्याय राज्य के विनियोजन लेखाओं पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोजन व आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन की रिपोर्ट करता है।
अध्याय - IV	<b>लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ (परंपराओं)</b> यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों व विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों की व्याख्या करता है।
अध्याय - V	<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम</b> यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के नवीनतम लेखाओं से उजागर वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

### 1.4 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

#### भाग I: राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों में प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि नियमानुसार एवं किसी उद्देश्यार्थ तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके

से ही विनियोजित की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

### **भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))**

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है, जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका की अनुज्ञा हेतु लम्बित है ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु दिए अग्रिमों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य को समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

### **भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))**

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित व ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (दोनों अस्थाई शीर्ष, जो अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित हैं) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

### **बजट दस्तावेज**

यह संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। "वार्षिक वित्तीय विवरणी" मुख्य बजट दस्तावेज होता है। बजट दस्तावेज राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों/शुल्कों के अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वो सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य-कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (जिसमें परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान शामिल हो) पर किए गए हैं।



पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- ऋण प्राप्तियां: बाजार ऋण, बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इत्यादि;
- ऋण-भिन्न प्राप्तियां: विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली।


पूँजीगत व्यय में भू-अधिग्रहण, भवन, मशीन, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए ऋण व अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

सरकारी लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

	लेनदेन का कारण	वर्गीकरण
लेखा-महानियंत्रक द्वारा मानकीकृत मुख्य व लघु शीर्षों की सूची	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/ विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंक)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन-अंक)
राज्यों को दी गई ढील (छूट)	योजना	उप-शीर्ष (दो-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो-अंक)
	आर्थिक स्वरूप/ गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो-अंक)

यह कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम तथा व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। सरकारी लेखाओं का वर्गीकरण चार्ट- 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट- 1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत : बजट नियमावली

## बजट प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन हेतु प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है। कुछ राज्य एक से अधिक समेकित बजट भी रखते हैं- ये सह बजट हो सकते हैं जैसे बाल बजट, कृषि बजट, कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) बजट, विकलांगता बजट, इत्यादि।

राज्य बजट नियमपुस्तिका बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है तथा राज्य सरकार को उसके व्यय गतिविधियों की निगरानी करने एवं बजटीय अनुमान बनाने में मार्गदर्शन देती है।

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन की लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित है।

### 1.4.1 वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)

**तालिका 1.2**, 2021-22 हेतु बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम एवं वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

**तालिका 1.2 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
क	कर राजस्व (i+ii)	12,837.23	14,806.38	17,063.62	115.25	9.74
	(i) स्व-कर राजस्व	8,083.31	9,282.22	9,714.58	104.66	5.55
	(ii) संघीय करों /शुल्कों का अंश	4,753.92	5,524.16	7,349.04	133.03	4.20
ख	कर भिन्न राजस्व	2,188.46	2,753.66	2,612.36	94.87	1.49
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	18,412.58	19,467.90	17,633.32	90.58	10.07
घ	राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	33,438.27	37,027.94	37,309.30	100.76	21.30
इ	पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii+iii)	5,725.99	7,830.18	5,292.59*	67.59	3.02
	(i) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	23.02	41.06	40.73	99.20	0.02
	(ii) अन्य प्राप्तियां	2.88	0.00	7.01	0.00	0.00
	(iii) उधार व अन्य देयतारें <sup>(अ)</sup>	5,700.09	7,789.12	5,244.85*	67.34	2.99
च	कुल प्राप्तियां (घ+इ)	39,164.26	44,858.12	42,601.89*	94.97	24.32

क्र. सं.	संघटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
छ	राजस्व व्यय, इसमें से	33,534.93	38,490.88	36,194.54	94.03	20.66
	(i) ब्याज भुगतान	4,472.45	5,017.57	4,640.79	92.49	2.65
ज	पूंजीगत व्यय	5,629.33	6,367.24	6,407.35	100.63	3.66
	(i) पूंजीगत परिव्यय	5,309.21	6,013.37	6,029.38	100.27	3.44
	(ii) ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	320.12	353.87	377.97	106.81	0.22
झ	कुल व्यय (छ+ज)	39,164.26	44,858.12	42,601.89	94.97	24.32
ञ	राजस्व घाटा (-) राजस्व अधिशेष (+)	(-) 96.66	(-) 1,462.94	1,114.76	(-) 76.20	0.64
ट	राजकोषीय घाटा (-) {झ-(घ+इ(i)+इ(ii))}	(-) 5,700.09	(-) 7,789.12	(-) 5,244.85	67.34	(-) 2.99
ठ	प्राथमिक घाटा (-){ट-छ(i)}	(-) 1,227.64	(-) 2,771.55	(-) 604.06	21.80	(-) 0.34

स्रोत: वित्त लेखे व राज्य के बजट दस्तावेज

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां - संवितरण) + निवल प्रारंभिक और समापन नकद शेष।

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,167.99 करोड़ का वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त, राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 2,695.22 करोड़ का एक के बाद एक (बैंक-टू-बैंक) ऋण भी प्राप्त हुआ, जिस पर राज्य को कोई चुकौती देयता नहीं थी।

#### 1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। परिशिष्ट-1.2, 31 मार्च 2022 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं; जबकि परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं पूंजीगत परिव्यय तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति आगे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3 परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्तियां					
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	प्रतिशत में वृद्धि		31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	प्रतिशत में वृद्धि		
<b>समेकित निधि</b>									
क	आंतरिक ऋण	42,918.21	44,376.03	3.40	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	49,430.11	55,459.49	12.20
ख	भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम तथा ऋण	3,261.54*	6,751.41*	107	ख	ऋण व अग्रिम	7,687.59	8,024.83	4.39
<b>आकस्मिक निधि</b>									
क	आकस्मिक निधि	5.00	5.00	--		--	--	--	---
<b>लोक लेखा</b>									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	16,522.64	17,006.28	2.93	क	नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)	1,756.24	2,522.86	43.65
ख	निक्षेप व अग्रिम	3,461.64	3,426.66	-1.01					
ग	आरक्षित निधि	2,717.19	1,973.90	-27.36					
घ	प्रेषण	541.91	653.50	20.59					
ड	उचत एवं विविध	-1,539.83	- 292.98	- 80.97		प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	9,014.36	7,892.62	(-)12.44
	<b>योग:</b>	<b>67,888.30</b>	<b>73,899.80</b>	<b>8.85</b>	<b>योग:</b>	<b>67,888.30</b>	<b>73,899.80</b>	<b>8.85</b>	

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22 के दौरान ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) शामिल हैं।

**1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति**

सरकार जब राजस्व के माध्यम से एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तब घाटा उठती है। सरकारी घाटे की जानकारी देने के कई माप हैं - राजकोषीय घाटा (कुल व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों व ऋण-रहित पूंजीगत प्राप्तियों के योग का अंतर), राजस्व घाटा (राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों का अंतर), प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटे व ब्याज भुगतान का अंतर) है।

घाटों को उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है जो सरकारी ऋण को निश्चित रूप से बढ़ाता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटों को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋण को जोड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार खपत कम करने का बोझ भावी पीढ़ी पर स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों से उधार लेती है परंतु कई/ दशकों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर के ऋण का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही, सरकार का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचतों को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

यद्यपि यदि सरकारी घाटे उत्पादन बढ़ाने के उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि द्वारा वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकेगा, ऐसे में ऋण को बोझ नहीं माना जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के संदर्भ में आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। यद्यपि सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना व बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाकर इसे आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

#### 1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों पर हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

राज्य सरकार ने राजस्व घाटा खत्म करके राजकोषीय घाटा एवं समग्र/बकाया ऋण संतोषजनक स्तर तक घटाकर, उन्नत ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, अप्रैल 2005 (2011 में संशोधित) में पारित किया। यह अधिनियम राज्य सरकार को घाटा पूरा करने के उपाय एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य प्रदान करता है, अर्थात् 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना, 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखना तथा 2014-15 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40.1 प्रतिशत तक कम करना। घाटे व ऋण स्तरों हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त के सुदृडीकरण हेतु डिस्कॉम की वित्तीय शक्तियों की केंद्रीयता पर विचार करते हुए 2021-22 से 2024-25 की चार वर्ष की अवधि में राज्य के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार के प्रावधान की सिफारिश की। यह एक सशर्त उधार प्रावधान है- इस प्रावधान का लाभ उठाने के अनुशंसित तौर-तरीके सहायता-अनुदान पर सिफारिश से संबंधित हैं। विद्युत क्षेत्र में निम्न सुधार शामिल हैं (i) परिचालन घाटे में कमी, (ii) राजस्व अंतर में कमी, (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाकर नकद सब्सिडी के भुगतान में कमी, एवं (iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सब्सिडी में कमी।

तथापि, इस शर्त को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य को राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखने के साथ-साथ राजस्व अधिशेष बनाए रखना था, जबकि 2015-16 के बाद से बकाया ऋण के स्तर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रमुख वित्तीय मापदंडों पर राज्य सरकार का प्रदर्शन तालिका 1.4 (क) में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4 (क): हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड	हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष बनाए रखना	314 ✓	1,508 ✓	12 ✓	- 97 X	1,115 ✓
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	तीन या कम	-2.79 ✓	-2.37 ✓	-3.52 X	- 3.64 X	- 2.99 ✓
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण@ का अनुपात (प्रतिशत में)	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार <sup>§</sup> 2017-18: 32.92; 2018-19: 35.00; 2019-20: 34.04;	36.83 X	36.59 X	39.09 X	42.87** X	39.46** ✓

राजकोषीय मापदंड	हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	2020-21: 33.62; 2021-22: 40.26					

@ कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।

\*\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

\$ सकल राज्य घरेलू उत्पाद हेतु कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों के साथ की गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 2011 से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया।

- राज्य सरकार ने वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय हस्तांतरण में वृद्धि के कारण 2017-22 (2020-21 को छोड़कर) के दौरान हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजस्व घाटे को घटाने एवं राजस्व अधिशेष को बनाए रखने के लक्ष्यों को प्राप्त किया।
- 2019-20 व 2020-21 को छोड़ दे तो 2017-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्य हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के भीतर रहे।
- 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए/ निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था, जबकि 2021-22 के दौरान यह मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। 2011 के बाद अधिनियम में संशोधन न होने के कारण कोई संशोधित लक्ष्य निर्धारित न होने से हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकी।

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय योगों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य तालिका 1.4 (ख) में दिए गए हैं।

तालिका 1.4 (ख): वर्ष 2021-22 हेतु प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संदर्भ में लक्ष्य एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन

राजकोषीय चर	15वें वित्तायोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट में दिए गए लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता	
				15 वें वित्तायोग के लक्ष्य	बजट में दिए गए लक्ष्य
राजस्व अधिशेष(+) या घाटा (-)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	0.5	(-) 0.85	0.64	0.14	1.49
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	(-) 4.0	(-) 4.52	(-) 2.99	(-) 1.01	(-) 1.53
कुल बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	38.3	40.26	39.46 <sup>#</sup>	1.16	(-) 0.80

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, वार्षिक वित्तीय विवरण व वित्त लेखे

# 2020-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर।

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त आयोग व बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्य के भीतर नियंत्रित करने में असमर्थ रही, हालांकि राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं राजकोषीय घाटा- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों व बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहे।

### 1.5.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार राज्य सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, बजट के साथ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राज्य सरकार के राजकोषीय लक्ष्य, रणनीतिक प्राथमिकताएं तथा राजकोषीय प्रबंधन हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्यों को बनाया जाता है।

तालिका 1.5 वर्ष 2021-22 के राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए अनुमानों तथा 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों के मध्य विचलन को दर्शाती है।



तालिका 1.5: 2021-22 के मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में दिए अनुमानों तथा वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2021-22)	विचलन (प्रतिशत में)
क	कर राजस्व (i+ii)	14,806.38	17,063.62	15.25
(i)	स्व-कर राजस्व	9,282.22	9,714.58	4.66
(ii)	संघीय करों/शुल्कों का अंश	5,524.16	7,349.04	33.03
ख	कर-भिन्न राजस्व	2,753.66	2,612.36	-5.13
ग	भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	19,467.90	17,633.32	-9.42
घ	राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	37,027.94	37,309.30	0.76
ङ	राजस्व व्यय	38,490.88	36,194.54	-5.97
च	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (घ-ङ)	(-) 1,462.94	1,114.76	176.20
छ	राजकोषीय घाटा	(-) 7,789.12	(-) 5,244.86	(-) 32.66
ज	ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	40.26	39.46*	(-) 0.80
झ	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	11.81	1.81

स्रोत: वित्त लेखा व बजट दस्तावेज

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़कर गणना की गई है।


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित लक्ष्यों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य अंतर था। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 37,028 करोड़ की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों एवं ₹ 38,491 करोड़ के राजस्व व्यय के प्रति वास्तविक क्रमशः ₹ 37,309 करोड़ व ₹ 36,195 करोड़ रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1,463 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति ₹ 1,115 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ₹ 7,789 करोड़ के अनुमानित राजकोषीय घाटे के प्रति राजकोषीय घाटा घटकर ₹ 5,245 करोड़ रह गया।

अनुमानित प्राप्तियों से वास्तविक राजस्व प्राप्तियों (₹ 281 करोड़) में मामूली वृद्धि स्व-राजस्व व केंद्रीय करों के अंश के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई। वास्तविक राजस्व व्यय मुख्य रूप से अनुमानित राशि के प्रति कम प्रतिबद्ध व विकासात्मक व्यय के कारण अनुमानित राजस्व व्यय से ₹ 2,296 करोड़ कम था। राजस्व घाटे/अधिशेष के अनुमानित व वास्तविक आंकड़ों के मध्य का अंतर बजट अनुमानों की तुलना में कम राजस्व व्यय करने के कारण था। यह इंगित

करता है कि या तो राज्य सरकार ने बजट तैयार करते समय अनुमानित व्यय का उचित निर्धारण नहीं किया था अथवा राज्य सरकार के पास व्यय करने की क्षमता का अभाव था।

### 1.5.3 घाटे/ अधिशेष की प्रवृत्ति

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा, केवल 2020-21 को छोड़कर जब राज्य को ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। 2021-22 में राजकोषीय घाटा विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,700 करोड़ से घटकर ₹ 5,245 करोड़ रह गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत था। 2020-21 में हुआ ₹ 1,228 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2021-22 में घटकर ₹ 604 करोड़ रह गया। 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में इस घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.4 में दर्शाया गया है तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दर्शाई गई है।



### राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहायता करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को

घटना तथा तदोपरांत राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। 2020-21 का राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) स्व-कर राजस्व एवं केंद्रीय करों/शुल्कों की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण 2021-22 में राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) में बदल गया।

हालांकि, राजस्व अधिशेष बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को प्रतिबद्ध राजस्व व्यय कम करने एवं राजस्व संग्रहण के सुव्यवस्थितिकरण हेतु व्यय पक्ष में मध्यावधि सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिबद्धित राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता राज्य द्वारा लिए गए व्यय निर्णयों की गतिशीलता को घटाती है तथा दर्शाती है कि राज्य के पास अपनी प्रतिबद्ध व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सीमित राजस्व उपलब्ध था।

### राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की बढ़ी हुई शुद्ध देयताओं या उसके अतिरिक्त उधारों को परिलक्षित करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आन्तरिक अथवा बाह्य) द्वारा अथवा लोक लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके पूरा किया जाता है। विगत वर्ष (₹ 5,700 करोड़) की तुलना में 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 5,245 करोड़) ₹ 455 करोड़ घट गया। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत था, जो हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

### प्राथमिक घाटा


जब राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को परिलक्षित करता है, ऐसे संसाधनों का कुछ भाग राजस्व लेखा पर घाटे वाले राज्यों के सन्दर्भ में, ब्याज भुगतानों के वित्त पोषण हेतु आवश्यक हो सकता है। ब्याज भुगतान, पूर्व दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा वर्तमान व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखते हुए इन भुगतानों को पृथक तथा कुल असंतुलनों से घटाया जाना चाहिए। अतः राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्राथमिक घाटा होने का अर्थ है ब्याज हेतु उपार्जन करने के बावजूद राज्य घाटे में है तथा उसे अपने उधारों का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना होगा। प्राथमिक घाटा वर्ष 2020-21 के ₹ 1,228 करोड़ से घट कर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 604 करोड़ रह गया।

### राजकोषीय देयताएं

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं एवं इसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.6 में दर्शाई गई है।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देयताओं\* तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



\* कुल राजकोषीय देयताओं में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) यद्यपि इस राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं के अनुपात की गणना हेतु बाहर रखा है।

जैसाकि चार्ट-1.6 से स्पष्ट है कि कुल बकाया देयताएं 2020-21 के ₹ 68,882 करोड़ से ₹ 4,653 करोड़ (6.76 प्रतिशत) बढ़ कर 2021-22 में ₹ 73,535 करोड़ हो गईं। विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं के अनुपात में भी वृद्धि हुई तथा 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित राज्य के स्वयं के लक्ष्य से काफी ऊपर रहा।

## 1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटा

राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय, सांविधिक निधियों का सृजन न करने, राजकोषीय प्रचालनों को बजट से बाहर संचालित करने, स्पष्ट देयताओं के आस्थगन, इत्यादि के रूप में गलत वर्गीकृत करने से घाटे एवं ऋण के आंकड़े कभी-कभी गलत प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।

### 1.6.1 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा- लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के या पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण, बजट से इतर राजकोषीय संचालन, स्थिर देयताओं का स्थगन, सरकारी कर्मचारियों

के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत बकाया पर ब्याज का भुगतान न करना, इत्यादि घाटे के मापदंडों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ें निकालने के लिए प्रभाव की पुनः गणना की गई है, जैसाकि तालिका-1.6 में वर्णित है।

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के पश्चात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (₹ करोड़ में)		संदर्भित परिच्छेद
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखे शेष पर ब्याज का भुगतान न करना	0.47	0	0	0.47	2.5.2.2
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के राज्यांश का अल्पांतरण	0.20	0	0	0.20	
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत रखे शेष पर ब्याज का प्रावधान न होना/ भुगतान न करना	0.54	0	0	0.54	2.4.2.3
सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अल्प अंशदान करना	5.42	0	0	5.42	
राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के या पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	0	2.77	0	0	3.3.3
आपत्ति बही उचंत लेखा से लेनदेन की निकासी	0	1,057.29	1,190.78	0	2.5.3 तथा 4.10
ब्याज सहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित न करना	2,167.50	0	0	2,167.50	5.9.1
<b>योग</b>	<b>2,174.13</b>	<b>1,060.06</b>	<b>1,190.78</b>	<b>2,174.13</b>	
<b>सकल प्रभाव</b>	<b>1,114.07 (अत्योक्ति)</b>		<b>983.35 (न्यूनोक्ति)</b>		

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा विश्लेषण

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 1,114.76 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.64 प्रतिशत) एवं ₹ 5,244.86 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत) रहा, जैसाकि चार्ट 1.4 व 1.5 में दर्शाया गया है। यदि उपरोक्त लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तविक राजस्व अधिशेष घट कर ₹ 0.69 करोड़ रह जाएगा जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 6,228.21 करोड़ (अर्थात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.56 प्रतिशत) होगा तथा वास्तविक राजकोषीय घाटा हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य (अर्थात् तीन प्रतिशत या उससे कम) से अधिक होगा। यह

₹ 1,114.07 करोड़ के निवल राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति एवं ₹ 983.35 करोड़ के निवल राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

### 1.6.2 कुल लोक ऋण - लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में 2018 में हुए संशोधनों के अनुसार “ऋण” में लोक ऋण (आन्तरिक व बाह्य ऋण), लोक लेखा पर कुल बकाया देयताएं एवं ‘केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या अन्य संस्था की वह वित्तीय देयताएं शामिल हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरणी से उस तिथि के अंत तक नकद शेष से घटा कर सरकार को चुकानी पड़ती है या सेवा देनी पड़ती है’।

जैसाकि बजट की व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है, राज्य की ऋण देयताओं में आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से ऋण, लोक लेखा पर देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अन्य ऋण देयताएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में कुल देयताओं की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। यद्यपि यह उल्लिखित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन वाहनों एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए वे उधार, जिन्हें चुकाने की देयता राज्य सरकार की होती है, को भी राज्य सरकार के उधार के रूप में ही माना जाए।

वर्ष 2021-22 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के बकाया लोक ऋण में समेकित निधि एवं लोक लेखा पर देयताएं तथा अन्य उधार सम्मिलित हैं, जिन्हें तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/राजकोषीय देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
<b>आंतरिक ऋण (क)</b>	<b>44,376.03</b>
बाजार ऋण	33,772.16
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	18.68
नाबार्ड से ऋण	3,164.12
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	120.43
मुआवजा व अन्य बन्धपत्र (बॉन्ड)	2,890.50
अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	20.38
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,389.76
<b>केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ख)</b>	<b>6,751.41</b>
आयोजनेत्तर ऋण	1.94
राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	3,162.03
अन्य	3,587.44
<b>लोक लेखा पर देयताएं (ग)</b>	<b>22,407.36</b>
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	17,006.29

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
निक्षेप	3,427.17
आरक्षित निधियां	1,973.90
<b>कुल (क + ख + ग)</b>	<b>73,534.80*</b>

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को शामिल किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों, इत्यादि द्वारा लिए उधार जहां मूलधन तथा/ अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना; राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन, इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों का प्रयोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित करना था; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के मूलधन/ ब्याज घटक की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि को प्रतिपूर्ति न करना जैसे बजट से बाहर संचालित किए गए राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं पाया गया। अतः राज्य सरकार के समग्र ऋण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।





**अध्याय-॥**  
**राज्य के वित्त**



## अध्याय - II

### राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का वृहद परिदृश्य तथा विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के वित्त लेखाओं तथा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण-धारणीयता तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों पर चर्चा की गई है।

#### 2.1 प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह प्रभाग विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक सूचकांक का अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

#### प्रमुख राजकोषीय योगों में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व-कर-भिन्न प्राप्तियों में 19.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 54.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 4.23 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 7.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 13.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 129.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 10.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 18.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 76.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियां 55.83 प्रतिशत घट गई ✓ लोक ऋण चुकौती 60.62 प्रतिशत घट गई
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियां 1.70 प्रतिशत घट गई ✓ लोक लेखा संवितरण 3.67 प्रतिशत घट गया
नकद शेष	✓ नकद शेष में ₹ 767 करोड़ (43.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल नहीं हैं, जिसे राज्य को अपने स्त्रोतों से नहीं चुकाना है।

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

यह प्रभाग विगत वर्ष (2020-21) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उसके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना प्रस्तुत करता है।


तालिका 2.1: 2020-21 व 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में अथ नकद शेष	1,060.18	1,756.24	696.06
	राजस्व प्राप्तियां	33,438.27	37,309.30	3,871.03
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.88	7.01	4.13
	ऋण व अग्रिम की वसूली	23.02	40.72	17.70
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)*	5,608.17	4,947.69	-660.48
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	787.97	1,063.79	275.82
	<b>योग*</b>	<b>40,920.49</b>	<b>45,124.75</b>	<b>4,204.26</b>
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	33,534.93	36,194.54	2,659.61
	पूंजीगत व्यय	5,309.21	6,029.38	720.17
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	320.12	377.97	57.85
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंत नकद शेष	1,756.24	2,522.86	766.62
	<b>योग</b>	<b>40,920.50</b>	<b>45,124.75</b>	<b>4,204.25</b>

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का प्रतिशत संघटन चार्ट 2.1 व 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

## 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण आगे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।


राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का भाग होती हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रक्षेपों, इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होते। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियां जो समेकित निधि का भाग बनती हैं, के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।


वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.3 में दी गई है जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट-2.4 में दिया गया है।



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण, विविध पूंजीगत प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूली शामिल हैं तथा 2020-21 व 2021-22 के दौरान भारत सरकार से वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ व ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल हैं।

चार्ट 2.4: 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्त्रोत: वित्त लेखे

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल है।

## 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह परिच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों एवं इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तत्पश्चात यह राज्य की स्वयं की प्राप्तियों एवं केंद्र सरकार की प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास

तालिका-2.2, 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों, साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्पादकता की प्रवृत्तियां दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट-2.5 व चार्ट-2.6 में दिया गया है। विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के संघटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	27,367.06	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.20	13.09	-0.67	8.77	11.58
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	7,107.67	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58
स्व कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.97	6.54	0.67	6.02	20.19
कर-भिन्न राजस्व (₹ करोड़ में)	2,363.85	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	37.65	19.72	-11.61	-12.53	19.37
राज्य का स्व-राजस्व (स्व कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	9,471.52	10,402.88	10,125.33	10,271.78	12,326.94
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व कर राजस्व + कर भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	8.17	9.83	-2.67	1.44	20.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (श्रेणी 2011-12) (₹ करोड़ में)	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 <sup>अ</sup>	1,56,675.06 <sup>ब</sup>	1,75,173.31 <sup>स</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81
राजस्व प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.75	20.86	19.32	21.34	21.30
<b>उत्प्लावकता अनुपात <sup>1</sup></b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.41	1.84	-0.09	-- *	0.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व कर उत्प्लावकता	0.79	1.38	-0.37	-- *	1.69


स्त्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, स - अग्रिम अनुमान


\* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।

<sup>1</sup> उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया के लचीलेपन अथवा डिग्री को दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में 0.98 राजस्व उत्प्लावकता का तात्पर्य है कि यदि सकल राज्य घरेलू में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी तो राजस्व प्राप्तियों में 0.98 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

चार्ट-2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट 2.6: 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



- तालिका-2.2 एवं चार्ट 2.6 से स्पष्ट है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 27,367 करोड़ (2017-18) से 36.33 प्रतिशत बढ़कर ₹ 37,309 करोड़ (2021-22) हो गई। 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर में अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ। यह 4.20 प्रतिशत (2017-18) से बढ़कर 13.09 प्रतिशत (2018-19) हो गया, परन्तु 2019-20 के दौरान घटकर -0.67 प्रतिशत हो गया। यद्यपि वर्ष 2020-21 के दौरान



राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,695.86 करोड़ (8.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान इसमें ₹ 3,871 करोड़ (11.58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान, वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश में ₹ 2,595.12 करोड़ (54.59 प्रतिशत), राज्य के स्व कर राजस्व में ₹ 1,631.27 करोड़ (20.18 प्रतिशत) एवं कर-भिन्न राजस्व में ₹ 423.90 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। यह वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) की गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हो गई।

- वर्ष 2021-22 के दौरान करों एवं कर-भिन्न को मिला कर राज्य के स्वयं के संसाधनों से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां हुईं जबकि शेष 67 प्रतिशत, केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश (20 प्रतिशत) तथा भारत सरकार के सहायता-अनुदान (47 प्रतिशत) मिलकर केन्द्रीय अंतरणों द्वारा प्राप्त हुईं। यह इस बात का परिचायक है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति केन्द्रीय अंतरणों से प्रभावित होती है।
- राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में भारी अस्थिरता देखी गई, क्योंकि वित्त आयोग अनुदान (2017-18 में 14वें वित्तायोग का प्रभाव) एवं वस्तु व सेवा कर लागू होने (2017-18 में) जैसे बाहरी कारकों ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया। वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता काफी हद तक ऋणात्मक रही। तथापि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 3,871.03 करोड़) तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में धनात्मक वृद्धि दर के कारण यह धनात्मक रही।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 11.58 प्रतिशत (₹ 3,871.03 करोड़) की वृद्धि एवं राजस्व व्यय में 7.93 प्रतिशत (₹ 2,659.61 करोड़) की वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप विगत वर्ष के ₹ 96.66 करोड़ के राजस्व घाटे के सापेक्ष इस वर्ष ₹ 1,114.76 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ।


### 2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार का सहायता-अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा तथा योजनाओं हेतु प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं।

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु व सेवा कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, वाहन, माल एवं यात्री कर, इत्यादि समाविष्ट है। 2017-22 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व का विवरण नीचे चार्ट-2.7 में दिया गया है:

चार्ट 2.7: 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्व कर राजस्व में वृद्धि



वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहित स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण आगे तालिका-2.3 में दिए गया है:

तालिका 2.3: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य वस्तु व सेवा कर	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58	4,482.15
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11	1,592.24
राज्य आबकारी	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74	1,980.63
वाहन कर	367.16	408.01	465.52	380.20	510.03
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	229.18	250.55	259.58	253.36	318.60
विद्युत पर कर व शुल्क	360.79	487.08	100.86	401.76	393.51
भू-राजस्व	16.96	8.39	4.79	6.95	4.81
माल व यात्री कर	111.69	104.38	104.03	83.55	99.18
अन्य कर	351.61	304.66	309.15	261.07	333.43
<b>कुल स्व कर राजस्व</b>	<b>7,107.67</b>	<b>7,572.81</b>	<b>7,623.82</b>	<b>8,083.32</b>	<b>9,714.58</b>

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,606.91 करोड़ (36.68 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (46.14 प्रतिशत), राज्य आबकारी (20.39 प्रतिशत) व वाहन कर (5.25 प्रतिशत) की प्रमुख भागीदारी रही। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान, कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप

से वस्तु एवं सेवा कर (₹ 1,015.57 करोड़, 29.30 प्रतिशत), राज्य आबकारी (₹ 380.89 करोड़, 23.81 प्रतिशत) एवं वाहन कर (₹ 129.83 करोड़, 34.15 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

**(ii) कर-भिन्न राजस्व**

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां, इत्यादि सम्मिलित होती हैं।

तालिका 2.4: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज प्राप्तियां	340.54	385.88	245.36	306.43	173.95
लाभांश एवं लाभ	255.58	181.92	248.44	245.43	166.53
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1,767.00	2,262.27	2,007.72	1,636.60	2,271.88
विविध सामान्य सेवाएं	5.46	20.76	5.17	11.41	14.06
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	180.76	214.59	238.59	196.08	257.70
वानिकी एवं वन्य जीव	46.87	76.32	83.61	49.56	106.28
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.45	51.34	49.65	37.05	104.90
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	441.46	221.05	246.30	252.16	230.81
विद्युत	687.61	1,134.34	1,021.68	749.12	1,183.51
अन्य	364.39	543.87	362.72	341.22	374.62
<b>कुल कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>2,363.85</b>	<b>2,830.07</b>	<b>2,501.51</b>	<b>2,188.46</b>	<b>2,612.36</b>
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	8.64	9.14	8.14	6.54	7.00


स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.54 व 9.14 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का सात प्रतिशत रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018-19 के ₹ 2,830.07 करोड़ से 2020-21 के तक ₹ 2,188.46 करोड़ की लगातार गिरावट के पश्चात् यह 2021-22 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 423.90 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 2,612.36 करोड़ हो गया। विगत पांच वर्षों में कर-भिन्न राजस्व में मुख्य भागीदारी विद्युत क्षेत्र की ही रही, जिसने 29 से 45 प्रतिशत तक की भागीदारी की। 2021-22 के दौरान वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के तहत विद्युत की बिक्री में से हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से (₹ 434.39 करोड़) एवं शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (₹ 61.62 करोड़) से हुई प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, स्थानीय निकायों से प्राप्त कम ब्याज के कारण ब्याज प्राप्तियों (₹ 132.48 करोड़) के तहत तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से प्राप्त लाभांश में कमी के कारण लाभांश व लाभ (₹ 78.90 करोड़) के तहत आंशिक रूप से समायोजित हुई।

### 2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण वित्तायोग की अनुशंसा पर बहुत अधिक रूप से निर्भर होते हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट 2.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.8: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति



#### (i) केन्द्रीय कर अंतरण

14वें वित्तायोग ने 2015-16 के बाद से केन्द्रीय करों के राज्यांश को 42 प्रतिशत बढ़ाने की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों की शुद्ध आय (सेवा कर को छोड़कर) में राज्यांश 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु 0.713 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 हेतु केन्द्रीय करों (सेवा कर सहित) की शुद्ध आय में 0.799 प्रतिशत व 2021-22 हेतु 0.830 प्रतिशत राज्यांश की अनुशंसा की। वर्ष 2012-13 से 2021-22 की अवधि के दौरान वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण तालिका 2.5 में नीचे दिया गया है :

तालिका 2.5: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2012-13	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय	2,362.61	2,282.02	(-) 80.59
2013-14	का 0.781 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय	2,716.72	2,491.53	(-) 225.19
2014-15	का 0.793 प्रतिशत (13वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	2,993.17	2,644.17	(-) 349.00
2015-16		3,743.71	3,611.17	(-) 132.54
2016-17		4,074.67	4,343.70	269.03

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2017-18	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय	4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19	का 0.713 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय	5,619.31	5,429.77	(-) 189.54
2019-20	का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,769.12	4,677.56	(-) 1,091.56
2020-21	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,265.60	4,753.92	(-) 1,511.68
2021-22	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,524.16	7,349.04	1824.88

स्त्रोत: 13वें वित्तायोग, 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य को प्राप्त केन्द्रीय कर अंतरणों के विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं:

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरणों का संघटन

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अंतरण के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	68.36	1,340.15	1,327.34	1,419.55	2105.41	685.86
एकीकृत वस्तु व सेवा कर	484.84	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम कर	1,470.67	1,888.31	1,594.86	1,429.44	2,202.48	773.04
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय कर	1,241.88	1,390.66	1,249.68	1,464.84	2,169.83	704.99
सीमा शुल्क	484.70	384.89	296.49	257.07	510.58	253.51
संघ आबकारी	506.50	255.78	206.16	160.44	265.82	105.38
सेवा कर	544.40	49.66	--	19.39	87.35	67.96
अन्य कर <sup>2</sup>	(-) 0.04	13.32	3.03	3.19	7.57	4.38
<b>केन्द्रीय कर अंतरण</b>	<b>4,801.31</b>	<b>5,429.77</b>	<b>4,677.56</b>	<b>4,753.92</b>	<b>7,349.04</b>	<b>2,595.12</b>
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	10.54	13.09	(-) 13.85	1.63	54.59	
राजस्व प्राप्तियों से कर अंतरण का प्रतिशत	17.54	17.54	15.22	14.22	19.70	

स्त्रोत: वित्त लेखे

2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में केन्द्रीय कर अंतरण में 53.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष (2021-22) के दौरान इसमें ₹ 2,595.12 करोड़ (54.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 19.70 प्रतिशत रहा जो विगत वर्ष (14.22 प्रतिशत) से 5.48 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त, जैसाकि ऊपर तालिकाबद्ध किया गया है (तालिका 2.5), राज्य को 2016-17 व 2021-22 को छोड़कर 2012-13 से 2020-21 की अवधि दौरान वित्त आयोगों (13वां वित्तायोग, 14वां वित्तायोग एवं 15वां वित्तायोग) की

<sup>2</sup> सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तु व सेवा कर पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित हैं।

सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का उसका अंश प्राप्त नहीं हुआ। 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय करों व शुल्कों का अंश ₹ 1,824.88 करोड़ अधिक था।

## (ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर वर्गीकरण बंद कर राज्यों को सहायता-अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य शीर्ष-1601-सहायता-अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का प्रचालन आरम्भ किया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रास्थिति तालिका 2.7 में दी गई है।

तालिका 2.7: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	3,590.26	4,010.49	4,915.06	4,221.29	5,420.75
वित्तायोग अनुदान*	8,889.00	8,831.25	8,617.82	12,424.10	11,044.26
विधानमंडल वाले राज्य/संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	615.39	2,275.93	2,406.64	1,767.19	1,168.31 <sup>@</sup>
<b>योग</b>	<b>13,094.23</b>	<b>15,117.66</b>	<b>15,939.52</b>	<b>18,412.58</b>	<b>17,633.32</b>
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/ गिरावट	(-) 0.53	15.45	5.44	15.52	(-) 4.23
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	47.85	48.84	51.85	55.06	47.26

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 10,249 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 386.26 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 327.20 करोड़); राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 81.80 करोड़) शामिल है।

@ इसमें वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति के ₹ 1,167.99 करोड़ शामिल है।

वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान, वित्तायोग के तहत स्थानीय निकायों व राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को अनुदान तथा वस्तु व सेवा कर लागू करने से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जैसे सभी घटकों के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण विगत वर्ष की तुलना में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) घट गया। सहायता-अनुदान का 58 प्रतिशत हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के रूप में था। 2017-22 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का अंश 47 से 55 प्रतिशत के मध्य रहा।

## (iii) वित्तायोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान राज्य को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के विवरण तालिका 2.8 में दिए गए हैं।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी एवं अंतरित सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15वें वित्तायोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल
1. स्थानीय निकाय	636.00	473.00	1,109.00	584.25	288.25	872.59	608.82	288.34	897.16
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	429.00	317.00	746.00	429.00	158.50	587.50	429.00	158.50	587.50
अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	214.50	126.80	341.30	214.50	63.40	277.90	214.50	63.40	277.90
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	214.50	190.20	404.70	214.50	95.10	309.60	214.50	95.10	309.60
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	207.00	156.00	363.00	155.25	129.75	285.09	179.82	129.84*	309.66
अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	103.50	62.40	165.90	103.50	31.20	134.70	127.98	31.20	159.18
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	103.50	93.60	197.10	51.75	98.55	150.39	51.84	98.64	150.48
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि **	454.00	363.00	817.00	409.00	327.20	736.20	454.00	363.00	817.00
सकल योग (1+2)	1,090.00	836.00	1,926.00	993.25	615.45	1,608.79	1,062.82	651.34	1,714.16

स्त्रोत: 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

\* अनुदान जारी करने में विलम्ब के कारण अर्जित ₹ 0.09 करोड़ का ब्याज शामिल है।

\*\* केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश सहित

- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 317 करोड़ की राशि के प्रति 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 158.50 करोड़ जारी किए एवं शेष ₹ 158.50 करोड़ की राशि 2022-23 के दौरान जारी की तथा इसे इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया।
- शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में ₹ 156.00 करोड़ की अनुशंसित राशि के प्रति 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 129.75 करोड़ (वर्ष 2021-22 में प्राप्त वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹ 51.75 करोड़) जारी किए। 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सभी राशि राज्य सरकार ने जारी की थी। 2022-23 के दौरान भारत सरकार से वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 78 करोड़ की शेष राशि प्राप्त हुई तथा इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी भी की गई थी।

### 2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाज़ार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) तथा

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं। विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति तालिका 2.9 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.9: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>पूंजीगत प्राप्तियां*</b>	<b>2,174.87</b>	<b>1,784.70</b>	<b>4,169.72</b>	<b>3,917.07</b>	<b>2,300.21</b>
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	34.82	8.82	2.04	2.88	7.01
ऋण व अग्रिम की वसूली	39.61	21.83	21.04	23.02	40.73
<b>निवल लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>2,100.44</b>	<b>1,754.05</b>	<b>4,146.64</b>	<b>3,891.17*</b>	<b>2,252.47*</b>
आंतरिक ऋण	2,097.45	1,771.71	4,164.59	3,390.44	1,457.82
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	-54.73	-15.53	135.06	-18.59	-57.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	2.99	-17.66	-17.95	500.73*	794.65*
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम की वृद्धि दर	-89.08	-690.64	-1.64	2,889.56	58.70
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-54.93	-16.49	136.40	-6.16	-42.11
ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	152.31	-58.82	-24.70	12.22	84.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-53.63	-17.94	133.64	6.06	-41.28

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं हैं।

वर्ष 2020-21 में पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 2,300.21 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,917.07 करोड़) की अपेक्षा मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण के कारण ₹ 1,616.86 करोड़ तक घट गई। तथापि भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 293.92 करोड़ की वृद्धि हुई है। लोक ऋण प्राप्तियां भविष्यगामी चुकौती देयताएं बनती हैं तथा इन्हें बाजार, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्र सरकार से लिया जाता है। 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों का 68.25 प्रतिशत इस अवधि के दौरान लिए गए लोक ऋण की अदायगी हेतु उपयोग किया गया एवं शेष केवल 31.75 प्रतिशत अन्य उद्देश्यार्थ उपयोग किया गया (संदर्भ तालिका 2.29)।

### 2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केन्द्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्तायोग की अनुशांसाओं के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं।

15वें वित्तायोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2020-21 में राज्य की वास्तविक स्व कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 2.10 में दी गई हैं।



तालिका 2.10: राज्य के स्वयं के संसाधन: प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
स्व कर राजस्व	9,565	9,282	9,715	1.57	4.66
कर-भिन्न राजस्व	3,684	2,754	2,612	-29.10	-5.16

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों का 1.57 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन का 4.66 प्रतिशत था। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 29.10 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन से 5.16 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार कर-भिन्न राजस्व हेतु बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

## 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों का सतत राजकोषीय सुधार / समेकन प्रक्रिया, विकास के लिए निर्देशित व्यय के मूल्य पर न हो। व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय एवं स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।

### 2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय।

**राजस्व व्यय:** रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रति-दिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

**पूंजीगत व्यय:** परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार, साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.11: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.26	42,601.89
राजस्व व्यय	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54
पूँजीगत व्यय	3,755.67	4,583.41	5,173.91	5,309.21	6,029.38
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	502.53	467.98	458.21	320.12	377.97
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 <sup>अ</sup>	1,56,675.06 <sup>ब</sup>	1,75,173.31 <sup>स</sup>
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.60	23.25	22.85	25.00	24.32
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.53	19.84	19.31	21.40	20.66
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.71	3.09	3.25	3.39	3.44
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.32	0.29	0.20	0.22


अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

पांच वर्ष की अवधि (2017-22) में कुल व्यय में ₹ 11,290.53 करोड़ (36.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 3,437.63 करोड़ (8.78 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2017-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 22.60 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के मध्य ही रहा। वर्ष 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में 33.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी दौरान पूँजीगत व्यय में 60.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसाकि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है 2017-22 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 84.51 से 86.40 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी भांति, कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 11.99 प्रतिशत से बढ़ कर 2021-22 में 14.15 प्रतिशत हो गया। संवितरित ऋण व अग्रिम का अंश 2017-18 के 1.61 प्रतिशत से 2020-21 में 0.82 प्रतिशत तक थोड़ा घटा एवं फिर 2021-22 के दौरान मामूली रूप से बढ़ कर 0.89 प्रतिशत हो गया।



गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं अन्य पर व्यय से मिलकर बनता है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 42,601.89 करोड़ के कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक अंश, साथ ही ₹ 4,387.28 करोड़ के लोक ऋण चुकौती के घटक (संदर्भ परिशिष्ट-2) चार्ट 2.10 में दिए गए हैं।

चार्ट 2.10: 2021-22 के दौरान व्यय के संघटक (प्रतिशत में)




2017-22 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश तालिका 2.12 में दिए गए हैं।

तालिका 2.12: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	35.77	33.82	34.48	34.79	33.54
सामाजिक सेवाएं	36.64	36.73	36.59	37.23	37.11
आर्थिक सेवाएं	25.95	28.07	27.64	27.14	28.45
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा ऋण व अग्रिम)	1.64	1.38	1.29	0.84	0.90

चार्ट-2.11 2017-18 से 2021-22 की अवधि में कुल व्यय में क्षेत्रीय घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं अन्य के अंश में मामूली अंतर-वर्षीय विचलन आया। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) जो गैर-विकास व्यय का अंश है, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में 34.79 प्रतिशत से थोड़ा घट कर 2021-22 में 33.54 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय अर्थात् सामाजिक व आर्थिक दोनों सेवाओं पर व्यय 2020-21 में 64.37 प्रतिशत के प्रति 2021-22 में 65.56 प्रतिशत रहा। विगत पांच वर्षों में ऋण व अग्रिम का अंश लगभग स्थिर रहा।

#### 2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछले दायित्वों हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं करता। 2017-22 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका 2.13 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.13: 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.25	42,601.89
राजस्व व्यय	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.74	8.83	4.38	9.13	7.93
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	86.40	85.36	84.51	85.63	84.96
राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.53	19.84	19.31	21.40	20.66
राजस्व प्राप्तियां	27,367.06	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	98.85	95.13	99.96	100.29	97.01
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.20	13.09	-0.67	8.77	11.58
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 <sup>अ</sup>	1,56,675.06 <sup>ब</sup>	1,75,173.31 <sup>स</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान


2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में चार से नौ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से ₹ 9,141.38 करोड़ (33.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में

राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। 2021-22 (₹ 36,195 करोड़) में राजस्व व्यय में 2020-21 (₹ 33,535 करोड़) की तुलना में ₹ 2,660 करोड़ (7.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.4.2.1 में विवर्णित है। 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का प्रतिशत लगभग एक ही स्तर अर्थात् क्रमशः 21.30 प्रतिशत व 20.66 प्रतिशत पर रहा। 2021-22 के दौरान राज्य के पास ₹ 1,114.76 करोड़ का राजस्व अधिशेष था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.64 प्रतिशत था।

2021-22 में हुआ ₹ 36,194.54 करोड़ का राजस्व व्यय बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 38,491 करोड़) से कम तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 30,132 करोड़) से अधिक रहा। 2021-22 से सम्बंधित राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण चार्ट-2.12 में दिया गया है।

चार्ट-2.12: 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



#### 2.4.2.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि या गिरावट के मामले तालिका 2.14 में चिह्नित किए गए हैं।

**तालिका 2.14: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन**

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>13,454.24</b>	<b>13,899.76</b>	<b>445.52</b>
2049- ब्याज भुगतान	4,472.45	4,640.79	168.34
2059- लोक निर्माण कार्य	580.59	383.50	-197.09
2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,088.39	6,398.91	310.52
<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>12,843.81</b>	<b>13,882.41</b>	<b>1,038.60</b>
2202- सामान्य शिक्षा	6,228.97	6,592.01	363.04
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1,737.23	1,909.17	171.94
2211-परिवार कल्याण	457.79	668.10	210.31
2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,095.95	1,210.68	114.73
<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>7,227.49</b>	<b>8,404.66</b>	<b>1,177.17</b>
2801-विद्युत	525.60	1,645.69	1,120.09
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	917.14	792.20	-124.94
2408- खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउस	267.28	350.39	83.11

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान एवं पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय में वृद्धि के कारण ₹ 445.52 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि लोक निर्माण में ₹ 197.09 करोड़ की गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं पर व्यय मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा के अंतर्गत 'समग्र शिक्षा अभियान', 'मध्याह्न भोजन' आदि, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य आदि के अंतर्गत 'राष्ट्रीय शहरी/ ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' आदि पर व्यय के कारण ₹ 1,038.60 करोड़ बढ़ गया। विगत वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में मुख्यतः विद्युत के अंतर्गत 'रेणुकाजी बांध के विस्थापितों' आदि को क्षतिपूर्ति एवं खाद्य भंडारण व वेयरहाउस के अंतर्गत 'दाल, गेहूं, चावल, चीनी, तेल व आयोडीन युक्त नमक' आदि की खरीद पर व्यय के कारण ₹ 1,177.17 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

#### 2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है। उच्च स्तर के प्रतिबद्ध व्यय से सरकार के पास विकास क्षेत्रों पर परिव्यय की गुंजाइश कम रह जाती है।

**तालिका 2.15** 2017-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जबकि कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत अंश **चार्ट 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	10,765.83	11,210.42	11,742.23	11,903.67	12,192.52*
पेंशन पर व्यय	4,708.85	4,974.77	5,489.75	6,088.39	6,398.91
ब्याज भुगतान	3,788.22	4,021.52	4,234.02	4,472.45	4,640.79
<b>योग</b>	<b>19,262.90</b>	<b>20,206.71</b>	<b>21,466.00</b>	<b>22,464.51</b>	<b>23,232.22</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	39.34	36.22	38.20	35.60	32.68
पेंशन पर व्यय	17.21	16.07	17.86	18.21	17.15
ब्याज भुगतान	13.84	12.99	13.77	13.38	12.44
<b>योग</b>	<b>70.39</b>	<b>65.28</b>	<b>69.83</b>	<b>67.19</b>	<b>62.27</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	39.80	38.08	38.21	35.50	33.69
पेंशन पर व्यय	17.41	16.90	17.86	18.16	17.68
ब्याज भुगतान	14.00	13.66	13.78	13.34	12.82
<b>योग</b>	<b>71.21</b>	<b>68.64</b>	<b>69.85</b>	<b>66.99</b>	<b>64.19</b>

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

वेतन; ₹ 11,990.28 करोड़ व मजदूरी: ₹ 202.24 करोड़

चार्ट 2.13: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ₹ 767.71 करोड़ (3.42 प्रतिशत) थी। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय (65-71 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों (62-70 प्रतिशत) का एक बड़ा अंश दर्ज किया गया जिससे विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए सरकार के लिए बहुत कम गुंजाइश बची।

**वेतन एवं मजदूरी:** वर्ष 2021-22 में वेतन व मजदूरी पर व्यय वर्ष 2017-18 के ₹ 10,765.83 करोड़ से 13.25 प्रतिशत बढ़कर ₹ 12,192.52 करोड़ हो गया। 2021-22 के

दौरान इसमें विगत वर्ष से ₹ 288.85 करोड़ की वृद्धि हुई तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 32.68 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन पर व्यय (₹ 12,192.52 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 12,704.14 करोड़) के भीतर था।

**ब्याज भुगतान:** वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान, वर्ष 2017-18 के ₹ 3,788.22 करोड़ से 22.51 प्रतिशत बढ़कर ₹ 4,640.79 करोड़ हो गया। विगत वर्ष से 2021-22 में वृद्धि ₹ 168.34 करोड़ (3.76 प्रतिशत) थी। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 12.44 प्रतिशत एवं राजस्व व्यय का 12.82 प्रतिशत रहा। ब्याज भुगतान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 5,017.57 करोड़) से कम रहा।

**पेंशन भुगतान:** पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2017-18 के ₹ 4,708.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 6,398.91 करोड़ एवं विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 310.52 करोड़ (5.10 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन व पेंशन भुगतान दोनों, राजस्व व्यय का 51.37 प्रतिशत थे। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 6,398.91 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (₹ 7,082 करोड़) से कम रहा।

#### 2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (01 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो सीमित अंशदान पेंशन योजना है, में ₹ 1,133.19 करोड़ का कुल अंशदान हुआ (कर्मचारी अंशदान ₹ 474.41 करोड़ व सरकारी अंशदान ₹ 658.75 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.03 करोड़)। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को मुख्य शीर्ष 8342-117-सीमित अंशदान पेंशन योजना (लोक लेखा) से ₹ 1,126.55 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 470.17 करोड़ व सरकारी अंशदान ₹ 656.38 करोड़) हस्तांतरित किए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार का ₹ 5.42 करोड़ कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदान पेंशन योजना में ₹ 14.30 करोड़ की शेष राशि (₹ 7.66 करोड़ का प्रारंभिक शेष जमा करने के बाद)



अभी तक नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार ने ₹ 7.66 करोड़ के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शेष पर ₹ 0.54 करोड़ के ब्याज का न तो प्रावधान किया और न ब्याज भुगतान किया। इस प्रकार, सरकार के ₹ 5.42 करोड़ के कम अंशदान एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शेष हेतु ₹ 0.54 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप इस सीमा तक राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

#### 2.4.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार विभिन्न विभागों/ संस्थाओं/ निकायों/ निगमों को सब्सिडी देती है। वर्ष 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय 2017-18 के ₹ 906.79 करोड़ से ₹ 281.20 करोड़ (31 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 1,187.99 करोड़ हो गया। 2017-22 की अवधि के दौरान सब्सिडी राशि राजस्व प्राप्तियों की 3.18 प्रतिशत से 4.15 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि तालिका 2.16 में विवर्णित है।

तालिका 2.16: 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	906.79	1,282.60	1,067.78	1,240.63	1,187.99
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.31	4.15	3.47	3.71	3.18
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.35	4.36	3.49	3.70	3.28

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में ₹ 52.64 करोड़ (4.24 प्रतिशत) की कमी पायी गई। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,187.99 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया, जो राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय दोनों का लगभग 3 प्रतिशत था। सब्सिडी के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे विद्युत (₹ 419.99 करोड़ या 35.35 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 314.53 करोड़ या 26.48 प्रतिशत), परिवहन (₹ 171.20 करोड़ या 14.41 प्रतिशत), कृषि (₹ 87.73 करोड़ या 7.38 प्रतिशत) तथा उद्यान (₹ 101.23 करोड़ या 8.52 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई कुल सब्सिडी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 1,081.12 करोड़) से थोड़ी अधिक थी।

#### 2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 2.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.17: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>स्थानीय निकाय</b>					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	249.31	487.99	456.22	814.58	800.71
पंचायती राज संस्थाएं	781.21	1,026.07	1,053.39	1,176.07	1,148.28
<b>कुल (क)</b>	<b>1,030.52</b>	<b>1,514.06</b>	<b>1,509.61</b>	<b>1,990.65</b>	<b>1,948.99</b>
<b>अन्य</b>					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	905.15	951.22	1,020.83	944.59	1,031.74
विकास प्राधिकरण	111.07	143.68	99.16	238.37	331.69
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	343.87	337.38	439.71	458.23	673.60
अन्य संस्थान	504.85	687.61	437.17	931.27	994.78
<b>कुल (ख)</b>	<b>1,864.94</b>	<b>2,119.89</b>	<b>1,996.87</b>	<b>2,572.46</b>	<b>3,031.81</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>2,895.46</b>	<b>3,633.95</b>	<b>3,506.48</b>	<b>4,563.11</b>	<b>4,980.80</b>
राजस्व व्यय	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	10.70	12.34	11.41	13.61	13.76

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी


तालिका 2.17 दर्शाती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2017-18 के ₹ 2,895.46 करोड़ से ₹ 2,085.34 करोड़ (72.02 प्रतिशत) बढ़ कर ₹ 4,980.80 करोड़ हो गई, जो वर्ष के दौरान राजस्व व्यय का 13.76 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सहायता की कुल प्रमात्रा में ₹ 417.69 करोड़ (9.15 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई। वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों (नगर निगम व नगर पालिकाएं एवं पंचायती राज संस्थाएं) के मामले को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता विगत वर्ष से अधिक थी। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्राप्तकर्ताओं में से नगर निगम, नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय निकाय) दोनों ने कुल वित्तीय सहायता का 39.13 प्रतिशत दर्ज किया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदत्त सहायता में ₹ 41.66 करोड़ (दो प्रतिशत) की गिरावट हुई जबकि अन्य निकायों को दी सहायता में ₹ 459.35 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। 2017-22 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दी गई है।

चार्ट 2.14: 2017-22 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2017-22 के दौरान इसमें ₹ 2,273.71 करोड़ (60.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 6,029.38 करोड़) विगत वर्ष 2020-21 (₹ 5,309.22 करोड़) से ₹ 720.16 करोड़ (13.56 प्रतिशत) बढ़ गया। विगत वर्ष (13.56 प्रतिशत) की तुलना में चालू वर्ष में यह कुल व्यय का 14.15 प्रतिशत था।

#### 2.4.3.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका 2.18 विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा गिरावट को चिह्नित करती है।

तालिका 2.18: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के विचलन

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
पूंजीगत व्यय	5,309.22	6,029.38	720.16
सामान्य सेवाएं	169.54	389.63	220.09
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	115.69	274.33	158.64
सामाजिक सेवाएं	1,736.19	1,925.31	189.12
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	355.54	488.72	133.18
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	29.06	61.48	32.42
आर्थिक सेवाएं	3,403.49	3,714.44	310.95
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	147.17	330.51	183.34
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	85.99	205.93	119.94
5002- भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-	100.00	213.00	113.00
4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	17.27	122.73	105.46
5054- सड़कों व पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,315.55	2,162.98	-152.57

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 720.16 करोड़ की वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से लोक निर्माण कार्य (सामान्य सेवाओं), शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (सामाजिक सेवाओं) के अंतर्गत विद्यालय भवनों आदि के निर्माण, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना, 'स्थानीय जिला नियोजन विकास में जन सहयोग' आदि, परिवहन के अंतर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश, 'बस स्टैंड निर्माण' आदि में, ग्राम एवं लघु उद्योग (आर्थिक सेवा) के अन्तर्गत भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाईनों के निर्माण एवं 'औद्योगिक क्षेत्र/ संपदा के विकास', भवनों/ केन्द्रों आदि के निर्माण पर बढ़े हुए व्यय के कारण था। यह सड़कों व पुलों पर व्यय में कमी से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

### (i) निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2022 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारिताओं में ₹ 4,913 करोड़ का निवेश किया (तालिका 2.19)। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 5.31 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2017-22 के दौरान सरकार ने उसके उधारों पर 7.84 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। एक कंपनी (सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने कुल प्रतिफल में 98 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की।

तालिका 2.19: निवेशों का विवरण एवं निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,532.97	3,848.83	4,261.06	4,562.40	4,913.00
प्रतिफल (₹ करोड़)	255.58	181.91	248.44	245.43	166.53
प्रतिफल (प्रतिशत)	7.23	4.73	5.83	5.38	3.39
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.41	8.32	7.98	7.44	7.03
ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	1.18	3.59	2.15	2.06	3.64
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण सांकेतिक हानि (₹ करोड़ में) #	41.69	138.17	91.61	93.99	178.83

स्त्रोत: वित्त लेखे

# वर्ष की समाप्ति पर निवेश X ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

₹ 4,913 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 4,337.21 करोड़ का निवेश (88.28 प्रतिशत) पांच<sup>3</sup> कंपनियों में किया गया था।

<sup>3</sup> सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम लिमिटेड (₹ 414.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 935.86 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 844.64 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 1,044.07 करोड़)

इस प्रतिवेदन के अध्याय-V में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात्- सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन/प्रास्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है।

**(ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन**

सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे के विकास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई तथा किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक साझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। 31 मार्च 2022 तक पूर्ण, प्रक्रियाधीन तथा योजनाबद्ध सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं तालिका 2.20 में दी गई हैं:

तालिका 2.20: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	शहरी अवसंरचना	9	151.00	15	1,213	05	0
2.	ऊर्जा	33	13,851.98	11	1,575.38	49	5,278.57
3.	सामाजिक	04	115.00	00	0	00	00
4.	पर्यटन	03	201.57	03	723.43	01	278.46
5.	अन्य	00	00	01	13	00	00
योग		49	14,319.55	30	3,524.81	55	5,557.03

**(iii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी**

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं को पूरा करने के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। वर्ष 2021-22 के राज्य के वित्त लेखाओं के परिशिष्ट-IX के अनुसार 31 मार्च 2022 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई विभागों में 74 अपूर्ण/प्रक्रियाधीन परियोजनाएं (कुछ मण्डलों द्वारा आपूरित जानकारी के अनुसार) थीं। 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु रूपरेखा एवं विभाग-वार रूपरेखा तालिका-2.21 व तालिका 2.22 में दी गई है।

तालिका 2.21: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की आयु रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/ संशोधित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)
1995	1	8.52	5.07
1996	1	5.62	9.40

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/ संशोधित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)
1998	1	4.55	26.81
2000	1	8.76	6.39
2003	1	9.28	25.03
2004	1	51.46	71.51
2005	1	5.45	10.14
2007	2	12.96	17.7
2008	1	2.15	0.71
2009	1	6.09	6.23
2011	3	67.88	66.38
2012	2	129.70	61.98
2013	7	90.32	71.26
2014	4	295.88	284.58
2015	14	68.55	37.96
2016	10	189.1	153.14
2017	9	94.92	40.65
2018	12	76.78	69.28
2019	2	6.99	3.69
<b>योग</b>	<b>74</b>	<b>1,135.00</b>	<b>967.92</b>

स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.22: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य (जल शक्ति)	39	871.75	802.04
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	35	263.25	165.88
<b>योग</b>	<b>74</b>	<b>1,135.00</b>	<b>967.92</b>

स्त्रोत: वित्त लेखे

इन परियोजनाओं को समय बीतने के कारण लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं विलंब किए बिना पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

#### 2.4.3.2 राज्य सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी सोसायटियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। तालिका 2.23, 2017-18 से 2021-22

की पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों सहित 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण व अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.23: 2017-22 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण का अथ शेष*	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	502.53	467.98	458.21	320.12	377.97
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	39.62	21.83	21.03	23.02	40.73
<b>बकाया ऋण का अंत शेष*</b>	<b>6,507.18</b>	<b>6,953.33</b>	<b>7,390.49</b>	<b>7,687.59</b>	<b>8,024.83</b>
निवल योग	462.91	446.15	437.17	297.09	337.24
प्राप्त ब्याज	255.59	272.15	135.11	248.98	97.72
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर	4.23	4.18	1.94	3.37	1.24
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.02	7.88	7.80	7.19	6.52
चुकाए गए ब्याज की दर एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.79	3.70	5.86	3.82	5.28

स्त्रोत: वित्त लेखे

\* 2016-17 के बाद से, उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अथ व अंत शेष में शामिल है।

31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण व अग्रिम की कुल राशि ₹ 8,024.83 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न संस्थाओं को ₹ 377.97 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई, जिसमें से आर्थिक सेवाओं के तहत प्रमुख प्राप्तकर्ता ₹ 370.40 करोड़ (98 प्रतिशत) के साथ विद्युत क्षेत्र था।

चालू वर्ष (2021-22) में वसूली की गई ₹ 40.73 करोड़ की राशि 2017-18 के बाद विगत पांच वर्षों में ऋण व अग्रिम की वसूली की उच्चतम प्रमात्रा थी। इसका कारण मुख्य रूप से सहकारिता विभाग (₹ 34.88 करोड़) द्वारा ऋण व अग्रिम की चुकौती रहा। उदय हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ब्याज की किस्त प्राप्त न होने से 2019-20 में हुई भारी गिरावट को छोड़कर विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान ऋण व अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियां लगभग स्थिर रहीं। ऋण व अग्रिमों की कमजोर वसूली राज्य सरकार द्वारा वसूली तंत्र की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

कुल बकाया ऋणों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विगत पांच वर्षों (मार्च 2022 तक) में विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग व खनिज के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों ने ऋणों की चुकौती नहीं की थी तथा फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए। इस प्रकार, पिछले कुछ वर्षों में समग्र बकाया राशि में वृद्धि हुई है।

#### 2.4.4 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

**तालिका-2.24** 2017-18 को आधार वर्ष लेते हुए 2021-22 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय तथा पूंजीगत व्यय के संदर्भ में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

**तालिका-2.24: 2017-18 एवं 2021-22 में राज्य की व्यय प्राथमिकता**

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	विकासात्मक व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
<b>2017-18 में औसत (अनुपात)</b>							
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य	26.07	34.98	29.17	64.15	16.10	17.56	6.22
हिमाचल प्रदेश	22.60	36.66	27.52	64.18	11.99	19.30	6.41
<b>2021-22 में औसत (अनुपात)</b>							
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य	27.56	35.55	27.01	62.56	17.46	15.95	7.25
हिमाचल प्रदेश	24.32	37.11	29.33	66.43	14.15	16.90	6.74


- जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-18 में उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश के कुल व्यय से विकास व्यय का अनुपात लगभग समान है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह उच्च स्तर पर है।
- वर्ष 2017-18 व 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश के पूंजीगत व्यय का अनुपात उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों से नीचे रहा।
- 2017-18 व 2021-22 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में कम रहा।
- वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय से शिक्षा का अनुपात उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में अधिक रहा, जबकि स्वास्थ्य से कुल व्यय का अनुपात उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में कम रहा।

#### 2.4.5 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय वस्तु/ व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। **चार्ट-2.15** में वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण दिया गया है।



चार्ट-2.15: वस्तु शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत में)



## 2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2022 की समाप्ति पर राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.25 में दिए गए हैं।

तालिका 2.25: 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

विभाग	उप विभाग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I.- लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28
	कुल (I)	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28
J.- आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	8.48	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	316.54	316.60	834.66	834.66	316.00
	कुल (J):	325.02	317.60	2,722.31	2,717.20	1,973.90
K.- निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	-0.89	-1.41	-1.64	7.66	14.30
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	2,799.09	3,208.52	3,382.45	3,454.50	3,412.87
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.53	-0.51	-0.51	-0.51
	कुल (K):	2,797.67	3,206.58	3,380.30	3,461.65	3,426.66
L.- उचंत एवं विविध	(क) उचंत	73.04	74.12	-1,330.44	-1,539.83	-292.98
	(ख) अन्य लेखे	-723.54	-101.91	-982.25	-1,696.28	-2,568.27
	(ग) विदेशी सरकारों के लेखे	0	0	0	0	0

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विभाग	उप विभाग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	(घ) विविध	0	0	0	0	0
	<b>कुल (L):</b>	<b>-650.50</b>	<b>-27.79</b>	<b>-2,312.69</b>	<b>-3,236.11</b>	<b>-2,861.25</b>
M.-प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	398.45	509.19	612.45	546.02	653.51
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	-1.21	0.31	-6.16	-4.11	-0.01
	<b>कुल (M):</b>	<b>397.24</b>	<b>509.50</b>	<b>606.29</b>	<b>541.91</b>	<b>653.50</b>
<b>सकल योग</b>		<b>16,105.81</b>	<b>18,355.42</b>	<b>19,933.34</b>	<b>20,007.29</b>	<b>20,199.09</b>


स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: -(ऋणात्मक) डेबिट शेष को दर्शाता है तथा +(धनात्मक) क्रेडिट शेष को दर्शाता है

2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष राशि के संगठन में आए वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दिए गए हैं।

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेष के संगठन में आया वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका 2.25 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान लोक लेखा शेष में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान यह 2017-18 के ₹ 16,105.81 करोड़ से ₹ 4,093.28 करोड़ बढ़कर ₹ 20,199.09 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 में लोक लेखा के तहत अंत शेष वर्ष 2020-21 के ₹ 20,007.29 करोड़ से ₹ 191.80 करोड़ (क्रेडिट) (0.96 प्रतिशत) थोड़ा बढ़ कर ₹ 20,199.09 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान हुई मामूली वृद्धि मुख्यतः लघु बचत (₹ 483.64 करोड़), निक्षेप (₹ 111.59 करोड़) तथा उचंत व विविध (₹ 374.86 करोड़) के तहत डेबिट शेष में परिवर्तन के कारण हुई, जो आरक्षित निधियों (₹ 743.30 करोड़) एवं निक्षेप व अग्रिम (₹ 34.99 करोड़) के शीर्षों के तहत क्रेडिट शेष में गिरावट से समायोजित हो गई।

### 2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की **विवरणी 21 व 22** में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पांच आरक्षित निधियां (दो ब्याज सहित आरक्षित निधियां एवं तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां) निर्धारित की गई थीं। यदि ब्याज रहित आरक्षित निधियों में निवेश नहीं किया गया हो तो इन ब्याज सहित आरक्षित निधियों के शेष पर ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है तथा इन शेषों को भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर के केन्द्रीय लेखा विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति/कोषागार बिल में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2022 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि (सब्याज एवं ब्याज रहित) **तालिका 2.26** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.26: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2022 तक बकाया शेष
<b>क</b>	<b>सब्याज आरक्षित निधियां</b>	<b>1,657.90</b>
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	49.79
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1,608.11
<b>ख</b>	<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियां</b>	<b>316.00</b>
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	315.52
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	0.32
	<b>सकल योग</b>	<b>1,973.90</b>

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त में से ब्याज रहित दो आरक्षित निधियां यथा औद्योगिक विकास एवं विद्युत विकास कम से कम चार वर्षों से परिचालन में नहीं थीं। राज्य सरकार को इन अपरिचालित आरक्षित निधियों को बंद करके शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करना शेष है।

### 2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तों में राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाते हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था।

उपरोक्त निर्देशानुसार वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक राज्य सरकार को 31 मार्च 2021 तक की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अंशदान करना था। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 67,164.75 करोड़ थीं। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार को इस निधि में न्यूनतम ₹ 335.82 करोड़ राशि (₹ 67,164.75 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान अपेक्षित होता।

हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया। फलस्वरूप, इसकी स्थापना के बाद से निधि के प्रति राज्य सरकार की देयता ₹ 335.82 करोड़ रही।

### 2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से तत्कालीन आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में परिवर्तित कर दिया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार (सितंबर 2010, जुलाई 2015 व जनवरी 2022) इस निधि में केंद्र एवं राज्य सरकारें 90:10 के अनुपात में अंशदान कर रही थीं। इस अंशदान को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-2245 को संचालित कर व्यय किया गया।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलामी किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य ब्याज सहित निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए, आपदा की तैयारी, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं शमन के प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्ष/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल करना होगा।

1 अप्रैल 2021 तक ₹ 233.81 करोड़ की राशि वित्त लेखे के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में थी। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत ₹ 363.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹ 327.20 करोड़, राज्यांश: ₹ 35.80 करोड़) हस्तांतरित किए गए। चालू वर्ष के दौरान ₹ 596.81 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 547.02 करोड़ का संवितरण/उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में ₹ 49.79 करोड़ शेष रहा। 31 मार्च 2022 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 49.79 करोड़ की सम्पूर्ण शेष राशि बिना निवेश के थी, जो भारत सरकार के उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

31 मार्च 2021 तक की ₹ 7.88 करोड़ की शेष राशि को भी राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत राज्य सरकार ने निवेश नहीं किया। यदि इस शेष राशि का निवेश किया जाता तो ₹ 0.47 करोड़ का ब्याज अर्जित होता, जो इस सीमा तक राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण तालिका 2.27 में दिया गया है।

तालिका 2.27: वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	व्यय
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि।	101-मुफ्त राहत	114.96
	102-पेयजल आपूर्ति	3.33
	104-चारे की आपूर्ति	1.11
	106-क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	376.18
	109-क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्यों की मरम्मत और बहाली	204.50
	111-शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	165.81
	113-आवासों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	19.77
	1193-स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	124.70
	<b>कुल</b>	<b>1,010.36</b>
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौतीs - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	(-) 1,065.68
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय		950.72

स्त्रोत: वित्त लेखे

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार केवल 2245-02-101 के तहत दर्ज की गई राशि ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय करने हेतु स्वीकार्य है। अतएव राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिले ₹ 1,065.68 करोड़ में से ₹ 950.72 करोड़ का व्यय दिशानिर्देशों के विपरीत था। यह वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकतम ₹ 950.72 करोड़ के राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ जिससे राज्य का राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ।

### 2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाया गया था। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

### 2.5.2.4 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

क्षतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां एवं इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अथवा वहां घटित आकस्मिक मामलों के लिए संग्रहित धन के उपयोग एवं प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष का सर्जन आवश्यक है। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को न तो उपयोगकर्ता एजेंसियों से और न ही राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निक्षेप से कोई राशि प्राप्त हुई। 2021-22 के दौरान ₹ 1,702.88 करोड़ (अथशेष: ₹ 1,648.73 करोड़ + वर्ष के दौरान जमा ब्याज: ₹ 54.15 करोड़) के बढ़ते शेष में से मात्र ₹ 94.77 करोड़ संवितरित किए गए तथा 2021-22 की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 1,608.11 करोड़ अव्ययित रहे। यह राशि शीर्ष-8121-129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष के तहत दर्ज की गई है।

### 2.5.3 उचंत एवं विविध


वर्ष 2021-22 के दौरान सह-वाउचर, स्वीकृति आदेश एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 78.74 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 74.28 करोड़ व पूंजीगत व्यय ₹ 4.46 करोड़) की राशि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की बहियों में उचंत लेखा में रखी गई है। इस प्रकार उक्त राशि को वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध वित्त लेखे में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय तथा विनियोग लेखे में वास्तविक व्यय के रूप में शामिल नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान आपत्ति किए गए तथा वस्तु उचंत में रखे गए ₹ 1,601.42 करोड़ (2019-20: ₹ 1,373.77 करोड़ व 2020-21: ₹ 227.65 करोड़) के वस्तु उचंत में से ₹ 1,190.78 करोड़ राशि (2019-20: ₹ 1,183.76 करोड़ व 2020-21: ₹ 7.02 करोड़) को वर्ष 2021-22 के दौरान अनापत्ति दे दी गई।

## 2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि हेतु समग्र ऋण की वर्ष-वार प्रास्थिति चार्ट 2.17 में नीचे दी गई है:



\* कुल बकाया ऋण/देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।

### 2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनता है। वर्ष 2021-22 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की

गई हैं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां तालिका 2.28 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.28: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
	31 मार्च 2022 तक समय बकाया ऋण (1+2)	51,030.51	54,299.19	62,211.84	67,164.75*	69,122.58*	
1.	लोक ऋण	(क) आंतरिक ऋण	33,591.47	35,363.18	39,527.77	42,918.21	44,376.03
		(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,079.43	1,061.77	1,043.81	1,544.54*	2,339.19*
2.	लोक लेखा देयताएं	16,359.61	17,874.24	21,640.26	22,702.00	22,407.36	
	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	
	सब्याज आरक्षित निधियां	8.48	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90	
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	316.54	316.60	834.66	834.66	316.00	
	सब्याज निक्षेप	-0.88	-1.41	-1.63	7.66	14.30	
	ब्याज रहित निक्षेप	2,799.09	3,208.52	3,382.45	3454.50	3,412.88	
3.	समय बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.01	6.41	14.57	7.96	2.91	
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 <sup>अ</sup>	1,56,675.06 <sup>ब</sup>	1,75,173.31 <sup>स</sup>	
5.	समय ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.83	36.59	39.09	42.87*	39.46*	
6.	लोक ऋण प्राप्तियां **	5,600.29	6,427.41	10,847.39	15,032.21**	6,639.75**	
7.	लोक ऋण चुकौतियां	3,499.85	4,673.34	6,700.75	11,141.05	4,387.28	
8.	उपलब्ध लोक ऋण (6-7)	2,100.44	1,754.07	4,146.64	3,891.16	2,252.47	
9.	लोक ऋण चुकौतियां / प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/8)	62.49	72.71	61.77	74.11	66.08	
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,686.04	1,514.64	2,457.90	787.97	- 294.64	
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	3,786.48	3,268.71	6,604.54	4,679.13	1,957.83	

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।


\*\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान



चार्ट 2.18: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)




\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

राज्य का कुल बकाया ऋण/देयताएं 2017-18 के ₹ 51,030.51 करोड़ से ₹ 18,092.07 करोड़ बढ़कर ₹ 69,122.58 करोड़ (2020-22) (₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर) हो गई क्योंकि वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक प्राप्त ऋण से 35.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से आंतरिक ऋण (₹ 10,784.56 करोड़), ऋण व अग्रिम (₹ 1,259.76 करोड़) एवं लोक लेखा देयताओं (₹ 6,047.75 करोड़) में वृद्धि था। विगत वर्ष के 7.96 प्रतिशत की तुलना में समग्र बकाया ऋण/देयताएं 2021-22 में 2.91 प्रतिशत बढ़ गई। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2017-18 के 36.83 प्रतिशत से बढ़कर 42.87 प्रतिशत हो गया यद्यपि 2021-22 में यह घट कर 39.46 प्रतिशत हो गया। देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 1.85 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की 5.61 गुना थीं। वास्तविक बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जो 39.46 प्रतिशत था, 15वें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य (38.3 प्रतिशत) से अधिक एवं बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (40.26 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा कम था। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य की लोक लेखा देयताओं में ₹ 6,047 करोड़ (36.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। प्रमुख वृद्धि 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' (₹ 3,770 करोड़: 28.48 प्रतिशत), 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' (₹ 1,649 करोड़: 19,451 प्रतिशत - 2019-20 के दौरान यह वृद्धि राज्य क्षतिपूर्क वनीकरण कोष के तहत प्राप्त (₹1,661 करोड़) के कारण हुई) एवं 'ब्याज रहित निक्षेप (₹ 614 करोड़: 21.93 प्रतिशत) के तहत हुई।

विगत पांच वर्ष (2017-22) के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल बकाया ऋण का प्रतिशत 36 से 43 प्रतिशत के मध्य ही रहा। लगभग 62 प्रतिशत से 74 प्रतिशत ऋण प्राप्तियों का उपयोग 2017-18 से 2021-22 की अवधि में पिछले दायित्वों की चुकौती हेतु किया गया।

चार्ट 2.19: लिए गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020-21 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण 2017-18 के ₹ 5,518 करोड़ से ₹ 8,919 करोड़ बढ़ कर ₹ 14,437 करोड़ हो गया परन्तु बाज़ार उधार (33 प्रतिशत) एवं भारतीय रिजर्व बैंक से लिए अर्थोपाय अग्रिम (87 प्रतिशत) में मुख्य रूप से हुई गिरावट के कारण वर्ष 2021-22 में ₹ 8,690 करोड़ तेजी से घट कर ₹ 5,747 करोड़ हो गया।

बाजारी उधार राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा है, जिसकी ब्याज दरें 6.29 से 9.75 प्रतिशत के मध्य हैं। 2021-22 में ₹ 5,747 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से बाजार उधार ₹ 4,000 करोड़ थे। ₹ 4,290 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण चुकौती में से बाजार ऋणों की चुकौती ₹ 2,125 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 तक ₹ 33,772.16 करोड़ के बकाया बाजार उधार थे। राज्य सरकार को न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखने के लिए 16 अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,043.49 करोड़) लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुकाया गया।

राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) तालिका 2.29 में परिलक्षित होता है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान वित्तीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखा सहित ऋण प्रवृत्तियों को चार्ट 2.20 में चिहनांकित किया गया है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>राजस्व घाटे के संघटक</b>	<b>3,869.87</b>	<b>3,512.54</b>	<b>5,597.06</b>	<b>5,700.09</b>	<b>5,244.85</b>
क राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	313.90	1,508.21	11.98	-96.66	1,114.76
ख निवल पूंजीगत व्यय	-3,720.85	-4,574.59	-5,171.87	-5,306.33	-6,022.37
ग निवल ऋण व अग्रिम	-462.92	-446.16	-437.17	-297.10	-337.24
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न*</b>					
1 बाजारी उधार	2,550.99	2,108.10	4,460.00	3,755.00	1,874.99
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	3.00	-17.65	-17.95	2,217.73*	3,489.87*
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-514.71	-538.25	-569.10	-569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	61.16	201.86	273.69	204.54	151.92
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,391.97	1,113.14	1,187.60	985.51	483.65
6 निक्षेप एवं अग्रिम	188.63	408.91	173.71	81.35	-34.99
7 उर्ध्व व विविध	-118.76	1.08	-1,404.92	-209.39	1,246.84
8 प्रेषण	69.02	112.25	96.80	-64.38	111.59
9 आरक्षित निधियां	105.45	-7.43	2,404.71	-5.11	-743.30
10 <b>समग्र घाटा</b>	<b>3,736.75</b>	<b>3,382.01</b>	<b>6,604.54</b>	<b>6,396.15</b>	<b>6,011.47</b>
11 नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	133.12	130.53	-1,007.48	-696.06	-766.62
12 <b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>3,869.87</b>	<b>3,512.54</b>	<b>5,597.06</b>	<b>5,700.09</b>	<b>5,244.85</b>


स्रोत: वित्त लेखे

ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/ जारी किए गए का निवल हैं।

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

चार्ट 2.20: 2017-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2021-22 में ₹ 5,244.85 करोड़ के राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण, लघु बचत आदि शामिल थे, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जैसाकि तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	3,999.99	2,125	1,874.99
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	3,587.50*	97.63	3,489.87
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	703.98	552.06	151.92
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,562.18	3,078.53	483.65
6 निक्षेप एवं अग्रिम	3,566.07	3,601.06	-34.99
7 उचंत व विविध	1,063.49	-183.35	1,246.84
8 प्रेषण	6,573.89	6,462.30	111.59
9 आरक्षित निधियां	417.15	1,160.45	-743.30
<b>10 समग्र घाटा</b>	<b>23,474.25</b>	<b>17,462.78</b>	<b>6,011.47</b>
11 नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	1,756.24	2,522.86	-766.62
<b>12 सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>25,230.49</b>	<b>19,985.64</b>	<b>5,244.85</b>

स्त्रोत: वित्त लेखे

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल है।

## 2.6.2 ऋण रुपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रुपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है।

### लोक ऋण

राज्य के बकाया लोक ऋण की परिपक्वता रुपरेखा तालिका 2.31 एवं चार्ट 2.21 में दी गई है।


तालिका 2.31: लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रुपरेखा

अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (कुल लोक ऋण के संदर्भ में)
	लोक ऋण (मूल)	ब्याज #	कुल लोक ऋण (मूल + ब्याज)	
0-1	3,346.62	3,605.66	6,952.28	10.13
1-3	7,451.70	6,398.97	13,850.67	20.18
3-5	8,666.29	5,159.85	13,826.14	20.15
5-7	8,019.94	3,775.10	11,795.04	17.19
7-10	11,203.77	3,257.80	14,461.57	21.07
10 से अधिक	6,608.94	1,134.98	7,743.92	11.28
<b>योग</b>	<b>45,297.26*</b>	<b>23,332.36</b>	<b>68,629.62*</b>	<b>100.00</b>

स्त्रोत: वित्त लेखे

\* इस राशि में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से 2020-21 व 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़, ₹ 1,417.90 करोड़ (₹ 1,333 करोड़ (केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण), ₹ 0.13 करोड़ (1984-85 से पहले के ऋण), ₹ 84.77 करोड़ व ₹ 5.80 लाख जिनकी परिपक्वता अनिश्चित है) को शामिल नहीं किया गया।


# 7.96 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकल्पित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों हेतु ब्याज दरों का औसत जैसा कि तालिका 2.32 में पृष्ठ 63 पर दिया गया है)।



उपरोक्त से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक ब्याज सहित ₹ 68,630 करोड़ (मूलधन: ₹ 45,297 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 23,333 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 10 प्रतिशत (₹ 6,952 करोड़) अगले एक वर्ष में चुकाने योग्य है, 40 प्रतिशत (₹ 27,677 करोड़) अगले दो से पांच वर्षों में (2026-27 तक) चुकाने योग्य है जबकि शेष 50 प्रतिशत (₹ 34,001 करोड़) पांच वर्ष के पश्चात् चुकाने होंगे। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण अदायगी पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,926 करोड़ होगा जबकि वर्ष के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,766 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) होगी, जो ऋण देयताओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।

आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2031-32 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी (ब्याज सहित) समय-सारणी चार्ट 2.22 में दी गई है।

**चार्ट 2.22: आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2031-32 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी (ब्याज सहित) समय-सारणी (₹ करोड़ में)**



स्त्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 7.96 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकलित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों हेतु ब्याज दरों का औसत जैसा कि तालिका 2.32 में पृष्ठ 63 पर दिया गया है)।

उपरोक्त चार्ट 2.22 से स्पष्ट है कि 2031-32 तक औसतन राज्य को ₹ 6,089 करोड़ (2021-22 के अंत में बकाया ऋण के संबंध में अनुमानित ब्याज सहित) का वार्षिक लोक ऋण


चुकाना होगा। वर्ष 2021-22 के अंत में बकाया ऋण के अतिरिक्त राज्य को संसाधन अंतराल को भरने के लिए हर वर्ष और उधारों का सहारा लेना होगा। विगत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031-32 तक अनुमानित बकाया लोक ऋण स्टॉक (कुल) (मूलधन+ब्याज) बढ़कर लगभग ₹ 1,11,717 करोड़ हो जाएगा, जैसाकि **परिशिष्ट 2.3 (क)** में दर्शाया गया है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय की पिछली प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि 2022-23 से 2031-32 के दौरान राजस्व अधिशेष होगा जैसाकि **परिशिष्ट 2.3 (ख)** में दर्शाया गया है। परन्तु तथ्य यह है कि राज्य सरकार ने अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है तथा 2021-22 से बढ़े हुए वेतन व अन्य लाभों के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त उदय योजना के तहत ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण को अनुदान (₹ 2,167.50 करोड़) एवं इक्विटी (₹ 723.00 करोड़) में परिवर्तित नहीं किया गया, जोकि राज्य सरकार द्वारा अब तक (मार्च 2022) करना अपेक्षित था। उपरोक्त सभी कारकों को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि जारी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष काफी हद तक राजस्व घाटे में बदल जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारकों जैसे लोक लेखा देयताओं एवं अप्रत्याशित घटनाओं<sup>4</sup> और/या राजस्व के किसी अन्य अप्रत्याशित नुकसान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

### बाजारी उधार/ऋण

बकाया बाजारी ऋण एवं उस पर आगामी दस वर्षों में चुकाए जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण **चार्ट 2.23** में दिया गया है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋणों की अदायगी समय-सारणी



स्त्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है एवं ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

<sup>4</sup> \$- जैसे कोविड-19 महामारी एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसका प्रभाव।

ब्याज सहित ₹ 51,640 करोड़ के कुल बकाया बाज़ार ऋणों में से (मूलधन: ₹ 33,772 करोड़ व ब्याज: ₹ 17,868 करोड़) राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2024-25 तक बाजार ऋणों पर ₹ 5,647 करोड़ मूलधन एवं ₹ 7,222 करोड़ ब्याज चुकाना होगा। 2026-27 तक आगामी दो वर्षों में ₹ 4,205 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 3,888 करोड़ का ब्याज देय होगा। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 4,192 करोड़ रुपये होगा। वर्ष के दौरान ब्याज सहित ऋणों की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 4,604 करोड़ है।

वर्ष 2027-28 से 2031-32 के दौरान ₹ 17,720 करोड़ का बाज़ार ऋण एवं ₹ 5,761 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऐसे में राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 4,696 करोड़ की अदायगी वार्षिक रूप से करनी होगी।

## 2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता का निर्धारण करने वाले तथा भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों को चुकाने में उसकी क्षमता का संकेत देने वाले विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति, ऋण भुगतान व ऋण प्राप्ति के अनुपात; राज्य के पास उपलब्ध कुल ऋण के सन्दर्भों में सरकार के ऋण की धारणीयता का आंकलन प्रस्तुत करता है। **तालिका 2.32**, 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में इन सूचकांकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.32: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता सूचकांक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	34,670.90	36,424.95	40,571.59	44,462.75 <sup>§</sup>	46,715.22 <sup>§</sup>
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.45	5.06	11.39	9.59	5.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 <sup>अ</sup>	1,56,675.06 <sup>ब</sup>	1,75,173.31 <sup>घ</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.02	24.55	25.49	28.38	26.67
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,828.71	2,958.20	3,070.99	3,227.58	3,422.38
बकाया लोक ऋण के औसत ब्याज दर (अदा ब्याज/लोक	8.41	8.32	7.97	7.59	7.51

ऋण धारणीयता सूचकांक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	10.34	9.56	9.99	9.65	9.17
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी का प्रतिशत	62.50	72.71	61.77	74.12	66.07
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण <sup>#</sup> (₹ करोड़ में)	-729	-1,204	1,076	664	-1,169
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-13.02	-18.73	9.91	4.42	-17.61
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार <sup>@</sup> + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	565.10	65.62	-1,651.06	-5,296.34	1,404.175

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

\* बकाया लोक ऋण, केंद्र सरकार से शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण व अग्रिम के तहत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ- द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

# राज्य को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति आधिक्य के रूप में की जाती है।


@ मात्रा विस्तार = ऋण स्टॉक x ब्याज विस्तार; ब्याज विस्तार = सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - औसत ब्याज दर

ऋण धारणीयता की आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना होगी बशर्ते प्राथमिक शेष शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार यदि प्राथमिक घाटा एवं परिमाण विस्तार दोनों ऋणात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः बढ़ जाएगा तथा यदि यह धनात्मक है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घट जाएगा।

2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लोक ऋण का अनुपात 24.55 से 28.38 प्रतिशत था। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी मुख्य रूप से बकाया लोक ऋण की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि होने के कारण हुई। 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.24 में दर्शाई गई है।



चार्ट 2.24: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति



वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण ₹ 34,671 करोड़ से 34.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 46,715 करोड़ बढ़ गया (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ अर्थात् 2020-21 के दौरान ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ को छोड़कर)। उल्लेखनीय ढंग से जब इस अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संयुक्त वार्षिक वृद्धि की 4.80 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई बकाया लोक ऋण में 6.14 प्रतिशत की तीव्र दर से वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों का 9.17 प्रतिशत से 10.34 प्रतिशत था तथा ऋण प्राप्तियों का 61.78 से 74.12 प्रतिशत मौजूदा देयताओं के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया।

### 2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सर्जन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.33 एवं चार्ट 2.25 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 2.33: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	1	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल उधार	2	5,600.29	6,427.40	10,847.39	15,032.21 <sup>\$</sup>	6,639.75 <sup>\$</sup>
पिछले उधारों की अदायगी (मूलधन)	3	3,499.85 (62.49)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)	4,387.28 (66.08)
निवल पूंजीगत व्यय*	4	2,100.44 (37.51)	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)	2,252.47 (33.92)
संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	5	0	0	0	0	0
राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग	6 {2-(3+4+5)}	0				

<sup>\$</sup> वस्तु व सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

\* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां  
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.25: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



टिप्पणी: 2017-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं ऋण व अग्रिमों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्तियों के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं किया गया था।

वर्ष 2017-22 के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2017-22 के दौरान पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी हेतु उधार ली गई निधियों का उपयोग 62 से 74 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय हेतु 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत था।

वर्ष 2021-22 के दौरान उधार ली गई निधियों के 66.08 प्रतिशत का उपयोग पिछले उधारों के लिए (मूलधन) तथा 33.92 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु किया गया।

## 2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति) - आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं होती हैं, जो उधारकर्ताओं, जिन्हें गारंटी दी गई थी, के बकाया होने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखों की **विवरणी-9**


एवं 20 के अनुसार विगत पांच वर्षों में राज्य द्वारा अधिकतम राशि हेतु दी गई गारंटियां तालिका 2.34 में दी गई है तथा 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक राज्य सरकार से गारंटियां प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता/निकायों के विवरण चार्ट 2.26 में दिए गए हैं।

तालिका 2.34: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
गारंटियों की बकाया राशि	4,393.66	4,309.21	1,947.07	2,141.76	1,884.61
वर्ष के दौरान वृद्धि	146.27	74.28	639.70	418.03	289.46
वर्ष के दौरान विलोपन	303.03	158.72	3,001.84*	165.60	283.09
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्त का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	17	16	6	7	6

\* इस वर्ष के वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कोम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के रूप में दर्शाई गई थी।



वर्ष 2021-22 के दौरान गारंटी की कोई राशि नहीं मांगी गई। 31 मार्च 2022 तक वित्त लेखाओं के अनुसार गारंटियों की बकाया राशि ₹ 1,884.61 करोड़ थी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चालू लेखे नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों के अंतर का मिलान नहीं किया। 2021-22 के दौरान विभिन्न निकायों को राज्य सरकार की गारंटी पर ₹ 289.46 करोड़ की राशि प्रदान की गई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत (₹ 137.83 करोड़), सहकारिता बैंक (₹ 80.95 करोड़) एवं सांविधिक निगम एवं बोर्ड (₹ 40.07 करोड़) रहे। 2021-22 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹ 1,885 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का छः प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 एवं सरकार के दिशा-निर्देशानुसार (6 मार्च 1992) गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ता से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) एवं प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) उदग्रहित किया जाना है। राज्य सरकार को निकायों/इकाइयों से प्रप्ति योग्य गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों (2018-19 से) में राज्य सरकार ने गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की कोई राशि प्राप्त/उदग्रहित नहीं की। यद्यपि 2021-22 के दौरान ₹ 3.00 करोड़, ₹ 0.72 लाख (2019-20 में) एवं ₹ 2.16 करोड़ (2020-21 में) का गारंटी शुल्क एवं प्रतिबद्धता प्रभार राशि प्राप्त की गई।

### 2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक ₹ 715 करोड़ एवं 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ₹ 880 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देती है।

2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने 349 दिनों के लिए न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखा। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 16 मौकों पर कुल ₹ 1,043.49 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा, जिनका भुगतान वर्ष के दौरान कर दिया गया। वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष नहीं था। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में ₹ 0.25 करोड़ राशि चुकाई गई। तालिका 2.35 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इसमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.35: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 तक अथ शेष	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
<b>(क) सामान्य नकद शेष</b>			
कोषागारों में नकद	0	0	0
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	0	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	59.96	-45.41	-105.37
<b>कुल</b>	<b>59.96</b>	<b>-45.41</b>	<b>-105.37</b>
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	1,696.09	2,568.08	871.99
<b>योग (क)</b>	<b>1,756.05</b>	<b>2,522.67</b>	<b>871.99</b>

विवरण	1 अप्रैल 2021 तक अथ शेष	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
<b>(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश</b>			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	0
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03	0
निर्धारित निधियों का निवेश	0	0	0
<b>योग (ख)</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>	<b>0</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>1,756.24</b>	<b>2,522.86</b>	<b>766.62</b>

वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष 2020-21 के ₹ 1,756.24 करोड़ से ₹ 766.62 करोड़ बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,522.86 करोड़ हो गया। नकद शेष से किए गए निवेश में भी ₹ 1,696.09 करोड़ से ₹ 2,568.08 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका-2.36 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-2.36: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	759.43	723.72	(-) 35.71	81.13
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50


स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2018-19 के दौरान निवेशों में उल्लेखनीय गिरावट हुई। तदोपरान्त 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निवेश में क्रमशः ₹ 879.97 करोड़, ₹ 714.03 करोड़ व ₹ 871.99 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष का होना राज्य सरकार द्वारा नकद का इष्टतम प्रबंधन न करने का परिचायक है, जिसने भारी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण लिया एवं उसका लाभकारी उपयोग नहीं किया गया।


चार्ट 2.27, 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम ब्याज दरों पर किए गए थे।

चार्ट 2.27: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष



चार्ट 2.28, 2021-22 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.28: 2021-22 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्त्रोत: मासिक सिविल लेखे

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उनका सृजनात्मक उपयोग न करते हुए बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा। 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 1,875 करोड़ लिए जबकि तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में नकद शेष उपलब्ध था तथा इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

## 2.8 निष्कर्ष

- 2017-22 (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के दौरान वित्तायोग की संस्तुतियों पर केन्द्रित हस्तांतरण में वृद्धि के कारण राज्य में लगातार राजस्व अधिशेष हुआ। यद्यपि 2017-18 (₹ 920 करोड़) से 2019-20 (₹ 12 करोड़) में राजस्व अधिशेष में लगातार गिरावट हुई (वर्ष 2018-19 को छोड़कर) तथा 2020-21 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों का राजस्व अधिशेष ₹ 97 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। तदोपरांत वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक यह पुनः ₹ 1,114.76 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 5,245 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत था जो 15वें वित्तायोग (चार प्रतिशत) एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (तीन प्रतिशत या उससे कम) द्वारा निर्धारित के लक्ष्य के भीतर था। घाटे को मुख्यतः बाजारी उधारों से पूरा किया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधनों, जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल थे, से राजस्व प्राप्तियों का मात्र 33 प्रतिशत प्राप्त हुए जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों, जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (20 प्रतिशत) एवं भारत सरकार के सहायता-अनुदान (47 प्रतिशत) शामिल थे, द्वारा दिए गए, जो वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय हस्तांतरणों एवं उधार ली गई निधियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
- 2017-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 85.37 प्रतिशत (84.51 प्रतिशत से 86.40 प्रतिशत के मध्य) था। 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 64.19 प्रतिशत से 71.21 प्रतिशत था, जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 62.27 प्रतिशत से 70.39 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 6,029.38 करोड़) में विगत वर्ष 2020-21 (₹ 5,309.21 करोड़) की अपेक्षा ₹ 720.16 करोड़ (13.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह कुल व्यय का 14.15 प्रतिशत था।
- वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर समग्र राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की तुलना में 2.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 69,122.58 करोड़ (₹ 4,412.12 करोड़ को छोड़कर (बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में 2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़)

थीं। वर्ष 2021-22 में कुल राजकोषीय देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष (42.87 प्रतिशत) से 3.41 प्रतिशत कम होकर 39.46 प्रतिशत हो गया जो 15वें वित्तायोग (38.3 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक तथा बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (40.26 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से मामूली सा कम था। 2021-22 में सरकार के आंतरिक ऋण 2020-21 के ₹ 42,918 करोड़ से ₹ 1,458 करोड़ (3.4 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 44,376 करोड़ हो गए।

- वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारिताओं पर उसके कुल निवेश (₹ 4,913.00 करोड़) पर 3.39 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया तथा उसके उधारों पर 7.03 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। एक कंपनी (सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने कुल प्रतिफल के 98 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की।
- विगत पांच वर्षों (मार्च 2022 तक) में विद्युत् परियोजनाओं एवं उद्योग व खनिज के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों की अदायगी नहीं की गई तथा इन्हें और अतिरिक्त ऋण दिए गए। वर्ष के दौरान समग्र बकाया शेष में वृद्धि हुई।
- 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार ने पांच आरक्षित निधियों का संचालन किया, जिसमें से दो सब्याज आरक्षित निधियां (₹ 1,657.90 करोड़ क्रेडिट) एवं तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां (₹ 316 करोड़ क्रेडिट) हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इनमें से कोई निधि निवेशित नहीं की।

## 2.9 सिफारिशें

- राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
- राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के तरीके खोजें ताकि विकास व्यय हेतु अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें;
- राज्य सरकार उधार लेने की उच्च लागत को देखते हुए लाभ अर्जित करने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के मार्ग खोजें;
- विभिन्न क्षेत्रों को अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों की वसूली करने में सरकार कमजोर रही अतः राज्य सरकार ऋणों व अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा लेखाओं में उनकी सही स्थिति दर्शाने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करें;
- राज्य सरकार आगामी लागत-वृद्धि से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।



**अध्याय-III**  
**बजटीय प्रबंधन**



## अध्याय - III


### बजटीय प्रबंधन

#### 3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, रखवाएगा। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों<sup>1</sup> को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट से सम्बन्धित जरूरी शब्दों की शब्दावली परिशिष्ट 3.1 में दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट चार्ट-3.1 में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।


चार्ट-3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों तथा घटकों का विवरण



1 **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती हैं तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।  
**दत्तमत व्यय:** अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2021-22 के लिए बजट कार्यान्वयन का सारांश नीचे चार्ट-3.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.2: वर्ष 2021-22 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



### विधायिका द्वारा प्राधिकरण

### सरकार द्वारा कार्यान्वयन

स्रोत: बजट नियमावली व विनियोजन लेखे में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर

#### 3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश

वर्ष 2021-22 में व्यय के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 55,714.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 50,129.36 करोड़ (90 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5,585.36 करोड़ (10 प्रतिशत) की बचत हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/ आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
45,270.18	10,444.54	41,019.93	9,109.43	-4,250.25	-1,335.11

स्रोत: विनियोजन लेखे

#### 3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान संवितरण एवं बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/ आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2017-18	33,869	7,399	30,440	7,371	-3,428	-28
2018-19	37,936	9,048	33,620	8,849	-4,316	-199
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741
2021-22	45,270	10,445	41,020	9,110	-4,250	-1,335

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि तालिका-3.2 से स्पष्ट है, 2017-18 के बाद से दोनों प्रभागों (अर्थात् दत्तमत एवं प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ बचत हुई। यह इंगित करता है कि राज्य सरकार को अपने बजट प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। परिच्छेद-3.3.7 में पर्याप्त एवं निरंतर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

### 3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं तथा इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

### 3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

#### 3.3.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका-3.3 बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय की सारांशित स्थिति दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका-3.3: बजट प्रावधान के बिना किए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
<b>दत्तमत</b>			
5	2245-01-101-07-C00N	360.00	दवा आपूर्ति पर व्यय
	2245-01-102-01-C00N	80.00	ट्रकों आदि द्वारा पेयजल आपूर्ति।
	2245-02-101-01-C00N	3,070.00	बाढ़, चक्रवातों के तहत मुफ्त राहत (नकदी सहायता)।
	2245-02-102-01-C00N	50.00	पेयजल पर व्यय
	2245-02-106-01-C00N	24,500.00	सड़कों व पुलों की मरम्मत
	2245-02-109-01-C00N	13,400.00	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवरेज कार्यों पर व्यय
	2245-02-111-01-C00N	3049.00	अनुग्रह राशि भूगतान
	2245-02-113-01-C00N	792.00	घरों की मरम्मत व निर्माण हेतु सहायता
	2245-02-193-01-C00N	6,480.00	स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी बोर्डों/संस्थाओं को सहायता
	2245-80-102-02-S00N	1,000.00	तेरहवें वित्त आयोग के तहत क्षमता निर्माण पर व्यय
8	2202-02-109-15-S00N	1,684.09	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना
	2202-80-107-09-S50N	413.00	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
9	2211-00-200-12-C00N	213.00	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी हेतु पैकेज
10	4059-01-051-15-S00N	1.94	न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का उन्नयन
11	2401-00-789-22-A00N	0.50	सामान्य विस्तार गतिविधियाँ
	2401-00-800-14-S00N	134.24	फसल विविधीकरण परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)
14	2405-00-101-07-C53N	33.74	नीली क्रांति-मत्स्य पालन का एकीकृत विकास व प्रबंधन
	2405-00-101-07-C90N	314.57	
	2405-00-101-07-S10N	25.92	
	2405-00-101-07-S13N	10.55	
20	2505-02-101-01-C00N	200.00	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
	2515-00-102-23-C00N	533.61	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
	2515-00-197-05-S00N	905.49	पंचायत समितियों को अनुदान
	4216-03-800-01-S00N	115.00	पंचायत इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर के आवास का निर्माण
22	4408-02-101-02-C00N	37.94	हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम
28	2217-80-193-17-S00N	100.00	बाल उद्यानों का विकास
30	4059-80-051-06-S00N	161.20	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान भवनों का निर्माण
31	2405-00-796-07-C53N	1.79	नीली क्रांति
	2405-00-796-07-S13N	0.56	
32	2216-03-789-05-S00N	91.35	मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का रखरखाव
	2405-00-789-07-C53N	23.82	नील क्रांति एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंध एवं विकास
	2405-00-789-07-C90N	138.87	
	2405-00-789-07-S10N	16.38	
	2405-00-789-07-S13N	7.45	
	2515-00-789-10-S00N	11.55	पंचायती राज विभाग/ पंचायती राज संस्थाओं का उन्नयन
	4210-03-789-04-S10N	22.31	चिकित्सा महाविद्यालय नाहन
	4711-01-800-05-S00N	0.99	आरआईडीएफ नाबार्ड के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय
	5055-00-789-03-S00N	403.00	अनुमंडल/ब्लॉक स्तरों पर बस स्टैंडों का निर्माण
<b>योग</b>		<b>58,383.86</b>	

स्रोत: विनियोजन लेखे

### 3.3.2 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय व प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाइयों को श्रेणीबद्ध करते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण का प्रावधान रखने के लिए विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में अथवा पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण, राजस्व व्यय की अत्योक्ति/ न्यूनोक्ति तथा राजस्व घाटा/ अधिशेष में परिणत होता है।


वर्ष 2021-22 में लेनदेन की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 2.77 करोड़ के व्यय को व्यय के उद्देश्य से निर्धारित पूंजीगत वर्ग के बजाय राजस्व वर्ग के तहत गलत तरीके से बुक किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के कारण राज्य के राजस्व घाटे में अधिकतम ₹ 2.77 करोड़ की न्यूनोक्ति रही।

### 3.3.3 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर कोई पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन किया जा सकता है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। जब ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य हो एवं पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय आधिक्य को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन हेतु प्रस्ताव देते हैं।

2021-22 के दौरान 11 अनुदानों (राजस्व-दत्तमत/पूंजीगत-दत्तमत) के तहत 13 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 647.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका-3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। 12 मामलों (तालिका 3.5) में ₹ 876.14 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि कुल ₹ 1,706.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट-3.3)।

चार्ट-3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका-3.4: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
1.	04- सामान्य प्रशासन	258.44	18.13	248.87	9.57
2.	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,415.89	84.25	2,256.28	159.61
3.	11- कृषि	381.39	8.83	352.30	29.09
4.	16- वन एवं वन्यजीव	710.41	58.56	634.58	75.83
5.	19- सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,233.63	15.34	1,202.59	31.04
6.	20- ग्रामीण विकास	1,103.60	125.51	1,095.01	8.59
7.	21- सहकारिता	34.93	0.69	33.89	1.04
8.	26- पर्यटन	117.53	24.95	94.03	23.50
9.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2,025.47	53.19	1,937.17	88.30
<b>पूँजीगतदत्तमत -</b>					
10.	13- सिंचाई, जलापूर्ति और स्वच्छता	755.24	49.89	731.67	23.57
11.	16- वन और वन्यजीव	11.30	0.26	10.20	1.10
12.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	181.82	2.24	85.02	96.80
13.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,600.60	205.31	1,415.45	185.15
<b>योग:</b>		<b>10,830.26</b>	<b>647.13</b>	<b>10,097.05</b>	<b>733.21</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका-3.5: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
1.	05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,298.70	7.67	1,773.33	466.96
2.	12-उद्यान	370.46	102.74	497.36	24.16
3.	23- विद्युत विकास	269.99	183.97	1,490.94	1,036.98
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>					
4.	05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	13.68	64.40	98.32	20.24
5.	07- पुलिस और संबद्ध संगठन	67.54	20.52	96.53	8.47
6.	08-शिक्षा	91.38	133.31	239.73	15.04
7.	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	92.66	118.45	229.36	18.25
8.	17-चुनाव	0.75	19.30	39.35	19.30
9.	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	31.84	5.38	111.88	74.67
10.	20- ग्रामीण विकास	0.59	13.42	18.85	4.84
11.	25- सड़क और जल परिवहन	110.55	194.86	319.23	13.82
12.	27- श्रम रोजगार और प्रशिक्षण	83.35	12.12	98.87	3.40
<b>योग:</b>		<b>2,431.49</b>	<b>876.14</b>	<b>5,013.76</b>	<b>1,706.13</b>

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पूरक अनुदान की मांग इस तर्क के आधार पर की गई थी कि संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया जाना था, फिर भी 13 मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था जैसाकि तालिका-3.4 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जैसाकि तालिका-3.5 में दर्शाया गया है, 12 मामलों में पूरक प्रावधान



अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधान से अधिक था। उपरोक्त दृष्टांत दर्शाते हैं कि प्रशासनिक विभाग व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/ अनुमान नहीं कर पाया था।

### 3.3.4 पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’ का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, इस प्रकार एक मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यार्थ निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन बदल दिया जाता है। विधानसभा की सम्मति से एक निश्चित प्रयोजन हेतु किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2021-22 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।

अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

### 3.3.5 अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे कई मामले थे जहां पुनर्विनियोजन या तो अनावश्यक या अपर्याप्त सिद्ध हुए, जिसका विवरण परिशिष्ट-3.2 में दर्शाया गया है। तालिका-3.6 व तालिका-3.7 क्रमशः अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के कुछ प्रमुख दृष्टांतों (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत) का विवरण दर्शाती हैं।

तालिका-3.6: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
1	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-103-02	118.76	1.06	0.06	119.88	107.10	-12.78
2		2053-00-093-01	163.05	0.93	0.66	164.65	138.85	-25.79
3		2245-08-101-01	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	-91.00
4	07- पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2055-00-108-01	94.05	0.00	8.61	102.66	85.29	-17.37
5		2055-00-109-03	69.47	0.00	2.25	71.72	59.84	-11.88
6	08-शिक्षा	2202-01-104-02	70.44	0.00	0.36	70.80	58.40	-12.40
7	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-110-03	284.70	0.00	5.36	290.06	235.19	-54.87
8		2210-05-105-06	139.07	0.00	0.04	139.11	124.36	-14.75
9		5054-04-337-02	253.37	0.00	9.22	262.59	248.86	-13.74

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
10	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	5054-04-337-09	355.37	99.96	5.34	460.67	438.13	-22.54
11	20-ग्रामीण विकास	2515-00-196-07	22.48	0.00	4.48	26.96	13.48	-13.48
12		2515-00-197-07	21.86	0.00	4.21	26.08	13.25	-12.83
13		2515-00-198-06	102.02	2.83	19.58	124.43	61.83	-62.60
14	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	4215-02-106-02	134.66	2.24	0.30	137.20	38.65	-98.55
15	31- जनजातीय विकास	2055-00-796-01	56.49	0.00	0.66	57.15	46.80	-10.35

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका-3.7: अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-02-106-01	0.00	0.00	65.15	65.15	131.18	66.03
2		2245-02-109-01	0.00	0.00	46.00	46.00	70.50	24.50
3		2245-02-111-01	0.00	0.00	35.00	35.00	101.24	66.24
4		2245-02-193-01	0.00	0.00	41.40	41.40	59.90	18.50
5		2245-80-102-05	0.00	0.00	22.72	22.72	37.07	14.35
6	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2211-00-200-12	0.00	75.78	3.65	79.43	171.39	91.96
7	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	3054-04-105-02	325.24	0.00	0.60	325.84	336.84	11.00
8	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	5054-04-800-06	38.00	0.00	7.27	45.27	55.81	10.54
9	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2225-01-789-08	10.00	0.00	5.55	15.55	32.35	16.80
10		2236-02-789-01	17.91	0.00	0.50	18.41	29.24	10.83

उपरोक्त सभी मामलों में संबंधित योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए, मार्च 2022 के माह में पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे। तथापि तालिका-3.6 में दर्शाए गए 15 मामलों में पुनर्विनियोग (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी। दूसरी ओर, तालिका-3.7 में दर्शाए गए 10 मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि इन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य बना हुआ था।

यद्यपि 2021-22 के दौरान पूंजीगत से राजस्व में तथा राजस्व से पूंजीगत में एवं दत्तमत से प्रभारित या प्रभारित से दत्तमत में पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं देखा गया।

### 3.3.6 बचत

पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए।

प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, व्यय पर खराब निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/ कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को प्रोत्साहित किया तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को बढ़ाया। अत्यधिक बचत ने अन्य विभागों को भी निधियों से वंचित किया जिसे उपयोग किया जा सकता था।

#### (i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि 45 मामलों में, बचत कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ या उससे अधिक हुई, जैसाकि परिशिष्ट-3.3 में विवर्णित है। इन मामलों में ₹ 50,688 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 7,363 करोड़ विभिन्न अनुदानों में बचत के रूप में शेष रहे। ₹ 7,363 करोड़ की कुल अप्रयुक्त राशि/बचत में से ₹ 6,641 करोड़ (90 प्रतिशत) की राशि के 10 अनुदानों (दत्तमत व प्रभारित) से संबंधित 14 मामलों में पर्याप्त बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ व अधिक) देखी गई, जिसका विवरण तालिका-3.8 में दिया गया है।

तालिका-3.8: वर्ष के दौरान बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़ कर बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1	07	1,550.83	0.00	1,550.83	1,306.08	-244.75	-163.35	-81.40
2	08	7,087.45	0.00	7,087.45	5,991.02	-1,096.43	-717.67	-378.76
3	09	2,415.89	84.25	2,500.13	2,256.28	-243.85	0.00	-243.85
4	10	3,733.35	0.00	3,733.35	2,538.89	-1,194.46	-1,028.24	-166.22
5	16	710.41	58.56	768.96	634.58	-134.39	-82.42	-51.97
6	20	1,103.60	125.51	1,229.11	1,095.01	-134.10	0.00	-134.10
7	29	7,203.58	0.00	7,203.58	6,495.11	-708.47	-562.52	-145.95
8	31	1,664.21	0.00	1,664.21	1,260.79	-403.42	-112.92	-290.50
9	32	2,025.47	53.19	2,078.66	1,937.17	-141.50	-8.31	-133.19

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़ कर बचत
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>								
10	29	5,017.57	0.00	5,017.57	4,640.79	-376.78	-562.52	185.74
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>								
11	26	578.39	0.00	578.39	82.18	-496.21	-519.17	22.96
12	31	574.14	0.00	574.14	444.04	-130.10	-2.42	-127.69
13	32	1,600.60	205.31	1,805.91	1,415.45	-390.46	-278.88	-111.58
<b>पूँजीगत (प्रभारित)</b>								
14	29	5,333.51	0.00	5,333.51	-946.41	-946.23	-946.41	0.19
<b>योग</b>		<b>40,598.99</b>	<b>526.82</b>	<b>41,125.81</b>	<b>34,484.66</b>	<b>-6,641.15</b>	<b>-4,984.81</b>	<b>-1,656.33</b>


स्रोत: विनियोजन लेखे

बचत दोनों क्षेत्रों अर्थात् सामाजिक एवं अवसंरचना के अंतर्गत देखी गई। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण, शिक्षा, वित्त, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरने, प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित में परिवर्तित न करने, विभिन्न योजनाओं/ कार्यों के आदि के रखरखाव पर व्यय न करने के कारण बड़ी बचत देखी गई। इसके अतिरिक्त अंतिम बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त वेतन एवं पेंशन के अंतर्गत भी बचत हुई क्योंकि पूरे वित्तीय वर्ष में वेतनमान के संशोधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमानों का आकलन किया गया था। हालांकि प्रक्रिया में देरी के कारण 2021-22 की अंतिम तिमाही में वेतनमान को संशोधित किया गया था, इसलिए संशोधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त अवसंरचना (पूँजी) क्षेत्र के तहत पर्यटन व नागरिक उड्डयन, जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य), लोक निर्माण आदि के मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन एवं हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट के विकास के कारण महत्वपूर्ण बचत देखी गई।

इस प्रकार, इन अनुदानों के अंतर्गत हुई बड़ी बचत परिचायक है कि राज्य सरकार ने निधियों की आवश्यकता का ठीक अनुमान किए बिना बजट प्रावधान बनाए थे।

**चार्ट-3.4** वर्ष 2021-22 के दौरान बजट आवंटन के प्रति बचत के प्रतिशत के अनुसार अनुदानों/ विनियोगों को वर्गीकृत करता है। इस चार्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान 11 अनुदानों में ₹ 4,315.24 करोड़ की बचत हुई।



बचत अपने पास रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है अतः आदर्श रूप से इसे समय पर अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अतएव जिन विनियोजनों के अव्ययित रहने की संभावना है, इनके अभ्यर्पण हेतु शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। जैसाकि नमूना-जांचित विभागों से स्पष्ट है (संदर्भ परिच्छेद 3.5.1.1 (च) एवं 3.5.2.1 (ड)), आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरणों को प्रस्तुत करने में सात से 82 दिनों के मध्य का विलंब था। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अन्य व्यय करने वाले विभाग उस निधि से वंचित नहीं रह जाते, जिसका वे उपयोग कर सकते थे तथा इस प्रकार पूरक अनुदानों की परिहार्य मांगों से बचा जा सकता था। अभ्यर्पण आमतौर पर मार्च माह में किए जा रहे हैं तथा किए गए व्यय के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं गत माह के व्यय की प्रगति पर ध्यान देना एक नियंत्रण अधिकारी को उचित सटीकता एवं शुद्धता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताएं तय करने में सक्षम बनाता है।

## (ii) निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान 21 अनुदानों से सम्बंधित 28 ऐसे मामले पाए गए जहां निरंतर बचत देखी गई (विवरण परिशिष्ट-3.4 में दिए गए हैं) जिनमें से सात मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे तालिका-3.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.9: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदानविनियोजन का नाम/	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्वदत्तमत-							
1	08	शिक्षा	665.02	955.16	1,110.61	1,362.09	1,096.43
2	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	211.66	330.83	377.72	489.64	243.85

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदानविनियोजन का नाम/	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
3	20	ग्रामीण विकास	402.93	383.93	351.17	163.47	134.10
4	29	वित्त	266.88	939.93	1,212.96	1,202.66	708.47
5	31	जनजातीय विकास	242.34	325.72	371.39	415.69	403.42
6	32	अनुसूचित जाति उप योजना	405.83	390.87	513.37	264.69	141.50
<b>पूँजीगतदत्तमत-</b>							
7	32	अनुसूचित जाति उप योजना	132.87	154.08	231.62	149.75	390.46

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे तथा निधियों के आबंटन के दौरान पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। इसे पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

**(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण**

मार्च माह के दौरान/मार्च की समाप्ति तक प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण के दृष्टांत तालिका-3.10 में दिए गए हैं।

तालिका-3.10: मार्च माह की समाप्ति तक ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1.	03	251.84	27.52	279.36	250.17	-29.19	15.62
2.	07	1,618.37	20.59	1,638.96	1,402.68	-236.27	163.35
3.	08	7,178.83	133.54	7,312.37	6,230.98	-1,081.40	717.67
4.	10	5,045.32	176.47	5,221.79	3,981.99	-1,239.79	1,028.24
5.	11	470.22	8.83	479.05	429.89	-49.16	46.26
6.	13	3,404.77	50.14	3,454.90	3,300.86	-154.04	259.45
7.	14	409.76	5.01	414.77	378.45	-36.32	29.11
8.	16	721.71	58.87	780.57	644.83	-135.75	82.54
9.	19	1,241.99	15.34	1,257.33	1,207.19	-50.14	26.68
10.	26	695.92	24.95	720.87	176.21	-544.66	622.22
11.	28	814.66	131.62	946.28	841.20	-105.08	96.00
12.	29	17,574.43	0.00	17,574.43	15,537.10	-2,037.33	1,727.39
13.	31	2,238.35	0.08	2,238.43	1,704.85	-533.58	115.34
14.	32	3,626.07	258.50	3,884.57	3,352.61	-531.96	287.18
<b>योग:</b>		<b>45,292.24</b>	<b>911.46</b>	<b>46,203.68</b>	<b>39,439.01</b>	<b>-6,764.67</b>	<b>5,217.05</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे


जैसाकि तालिका में दिया है, माह मार्च 2022 में 14 मामलों में ₹ 5,217.05 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (कुल आवंटित बजट का 11.52 प्रतिशत)।

अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों की जांच/संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुल 32 अनुदानों में से 30 अनुदानों में अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश मार्च के अंतिम दिन किए गए थे। केवल दो अनुदानों में यह 7 मार्च को किए गए। इस प्रकार वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्नस्तरीय निगरानी, कमजोर वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

**(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण**

उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.5 में दिया गया है।


चार्ट-3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण



- 2021-22 के दौरान अनुदान संख्या 26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन नामक एक अनुदान के तहत उपलब्ध धन का केवल 24 प्रतिशत उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 544.66 करोड़ की बचत हुई।
- छ: अनुदानों में, विशेष रूप से अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास में, जहां प्रयुक्ति 255 प्रतिशत थी, प्रयुक्ति 100 प्रतिशत से अधिक होने के परिणामस्वरूप ₹ 1,112 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका कारण माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा

अधिग्रहित की गई भूमि के बदले रेणुका जी डैम के विस्थापितों को भूमि के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के कारण ₹ 1,112 करोड़ का व्यय आधिक्य था।

चार्ट-3.6: वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व हुई बचत एवं अभ्यर्पण



जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अभ्यर्पण आदेशों से देखा गया, सभी अभ्यर्पण (₹ 5,304 करोड़) 31 मार्च 2022 तक किए गए थे। यह निधियों के कमजोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

### 3.3.7 व्यय आधिक्य तथा इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ संबंधित विभागों को वित्त विभाग के माध्यम से लोक लेखा समिति को व्यय आधिक्य हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

#### 3.3.7.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इस को टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय आधिक्य के विवरण तालिका-3.11 दिए गए हैं।

तालिका-3.11: 2021-22 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	दत्तमत		प्रभारित	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1.	05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	4,66,95,61,477	20,24,00,000	0	0
2.	06-आबकारी एवं कराधान	0	14,70,829	0	0



क्र.सं.	अनुदान का नाम	दत्तमत		प्रभारित	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
3.	07- पुलिस एवं संबद्ध संगठन	0	8,47,44,598	3	0
4.	08-शिक्षा	0	15,03,61,271	0	0
5.	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	0	18,24,51,519	0	0
6.	12-उद्यान	24,16,48,889	0	0	0
7.	17-चुनाव	0	19,30,00,000	0	0
8.	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	0	74,66,87,810	0	0
9.	20- ग्रामीण विकास	0	4,84,00,000	0	0
10.	23- विद्युत विकास	10,36,97,87,955	74,91,79,000	0	0
11.	25- सड़क और जल परिवहन	0	13,82,12,643	0	0
12.	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	0	3,40,00,000	0	0
13.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	0	0	0	68
14.	30- विविध सामान्य सेवाएं	0	97,53,080	0	0
	<b>योग</b>	<b>15,28,09,98,321</b>	<b>2,54,06,60,750</b>	<b>3</b>	<b>68</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान 17 मामलों (13 अनुदान एवं दो विनियोजन से सम्बंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 1,782.17 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका राज्य विधायिका से विनियमन अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त में उल्लेखनीय भागीदारी करने वाली योजनाओं के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि से अधिकृत से अधिक संवितरण के विवरण परिशिष्ट-3.5 में दिए गए हैं।

अंतिम बैठक के दौरान वित्त विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के बदले रेणुका जी बांध के विस्थापितों को भुगतान किए गए भूमि के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के कारण मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2801-80-800-07 के अंतर्गत हुए ₹ 1,037.92 करोड़ के व्यय आधिक्य को जिम्मेदार ठहराया।

### 3.3.7.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष व्यय आधिक्य देखा गया है। यह निरंतर व्यय आधिक्य परिचायक है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था तथा बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाए गए। बार-बार होने वाले ऐसे व्यय आधिक्य राज्य विधायिका की इच्छा की अवहेलना है। विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना, कठोरता से एक भी रुपया खर्च न किया जा सके,

इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बजट बनाते समय अनुपयुक्त प्राक्कलन बनाने के कारण निरंतर आधिक्य हो सकते हैं।

हालांकि यह देखा गया कि 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अनुदान में लगातार आधिक्य का कोई मामला नहीं था।

### 3.3.7.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान 17 अनुदान एवं 11 विनियोजनों के तहत हुआ ₹ 8,818.47 करोड़ का व्यय आधिक्य सितम्बर 2022 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 2014-21 से संबंधित ₹ 8,818.47 करोड़ के व्यय आधिक्य में से ₹ 7,471.73 करोड़ (84.73 प्रतिशत) का व्यय आधिक्य पांच वर्ष से अधिक की अवधि अर्थात् 2016-17 से पूर्व से संबंधित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 13 अनुदान एवं दो विनियोजनों में ₹ 1,782.17 करोड़ का प्राधिकार से अधिक किया गया व्यय आधिक्य भी विनियमन हेतु अपेक्षित था।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका-3.12 में सारांशित की गई है:

तालिका-3.12: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2014-21) से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूँजीगत) एवं 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत), 31	15,85,69,18,458	अंतिम बैठक के दौरान विभाग ने बताया कि हिमाचल
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) एवं 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	28,48,43,38,113	प्रदेश विधानसभा को जापन भेजा गया था
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूँजीगत) एवं 1, 16 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	30,37,60,82,471	परन्तु लोक लेखा समिति द्वारा
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) एवं 10 (पूँजीगत)	3,86,76,41,211	आधिक्य विनियमित करना शेष था।
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूँजीगत) एवं 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूँजीगत)	8,21,37,16,840	प्रक्रियाधीन

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूँजीगत) एवं 05 (राजस्व), 13, 29 (पूँजीगत)	49,91,20,218	
2020-21	3 अनुदान 2 विनियोजन	28 (राजस्व), 10, 25 (पूँजीगत) 13 (राजस्व), 31 (पूँजीगत)	88,69,12,706	
<b>योग</b>			<b>88,18,47,30,017</b>	

स्रोत: विनियोजन लेखे

### 3.3.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

2021-22 के दौरान पूँजीगत सम्पत्ति हेतु सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 833.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई तथा भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में लेखाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत बुक की गई।

### 3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

#### 3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

2021-22 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-3.13 में दी गई है।

तालिका-3.13: 2021-22 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)	मार्च में अभ्यर्पण	
							राशि	कुल प्रावधान के संदर्भ में प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	36,628.99	1,118.70	37,747.69	34,570.20	-3,177.49	3,175.80	8.41
	II. पूँजीगत	6,071.33	1,092.46	7,163.79	6,071.76	-1,092.03	924.95	12.91
	III. ऋण तथा अग्रिम	353.87	4.83	358.70	377.97	19.27	43.05	12.00
	<b>कुल</b>	<b>43,054.19</b>	<b>2,215.99</b>	<b>45,270.18</b>	<b>41,019.93</b>	<b>-4,250.25</b>	<b>4,143.80</b>	<b>9.15</b>

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)	मार्च में अभ्यर्षण	
							राशि	कुल प्रावधान के संदर्भ में प्रतिशत
प्रभारित	I. राजस्व	5,097.08	8.18	5,105.26	4,716.55	-388.71	214.05	4.19
	II. पूंजीगत	0.00	5.77	5.77	5.60	-0.17	0	0
	III. लोक ऋण अदायगी	5,333.51	0	5,333.51	4,387.28	-946.23	946.41	17.74
	<b>कुल</b>	<b>10,430.59</b>	<b>13.95</b>	<b>10,444.54</b>	<b>9,109.43</b>	<b>-1,335.11</b>	<b>1,160.46</b>	<b>11.11</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>53,484.78</b>	<b>2,229.94</b>	<b>55,714.72</b>	<b>50,129.36</b>	<b>-5,585.36</b>	<b>5,304.26</b>	<b>9.52</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 30 अनुदानों तथा नौ विनियोजनों में हुई ₹ 7,367.53 करोड़ की बचत के शुद्ध परिणाम के रूप में ₹ 5,585.36 करोड़ की समग्र बचत हुई थी, जो 13 अनुदान एवं दो विनियोजनों में हुए ₹ 1,782.17 करोड़ के आधिक्य से समायोजित हुई।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.14 में दिया गया है।

तालिका-3.14: 2017-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)


	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मूल बजट	37,940	43,842	46,971	52,472	53,485
अनुपूरक बजट	3,327	3,143	6,737	9,125	2,230
कुल (मूल + अनुपूरक)	<b>41,267</b>	<b>46,985</b>	<b>53,708</b>	<b>61,597</b>	<b>55,715</b>
संशोधित अनुमान	38,995	43,625	49,688	53,460	48,834
वास्तविक व्यय	37,811	42,469	45,528	53,139	50,129
बचत (-)/ आधिक्य (+)	-3,456	-4,516	-8,180	-8,458	-5,585
कुल बजट से बचत (-)/ आधिक्य (+) का प्रतिशत	-8.37	-9.61	-15.23	-13.73	-10.02

स्रोत: विनियोजन लेखे तथा संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-21 के दौरान बचत में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जबकि विगत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान बचत में कमी हुई। बचत की बड़ी राशि बजटीय परिव्यय का निम्नतर-इष्टतम उपयोग किए जाने के साथ-साथ अकुशल बजटीय प्रक्रियाओं का होना परिलक्षित करता है।

बजट आबंटन (मूल व अनुपूरक) की प्रवृत्ति एवं उसके प्रति हुए उपयोग को चार्ट-3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट-3.7: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोग



स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल आबंटन के प्रति बजट उपयोग के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जबकि 2020-22 की अवधि के दौरान इसमें बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

### 3.4.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु अंत में वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके किसी हिस्से को खर्च कर पाता है एवं न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। जबकि उसी दौरान अन्य योजनाएं निधियों की आवश्यकता के कारण अधूरी रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बड़े पैमाने पर जनता अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाती है अपितु परियोजना लागत में भी वृद्धि होती है।

‘पूँजीगत- दत्तमत’ प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.15 में नीचे दिया गया है:

तालिका-3.15: ‘पूँजीगत-दत्तमत’ प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
(₹ करोड़ में)						
पूँजीगतदत्तमत-						
1.	01- विधान सभा	3.05	0.09	3.14	2.19	0.95
2.	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	1,311.97	176.26	1,488.23	1,442.91	45.33

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
3.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	755.24	49.89	805.13	731.67	73.46
4.	16- वन एवं वन्यजीव	11.30	0.26	11.56	10.20	1.36
5.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	181.82	2.24	184.06	85.02	99.04
6.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,600.60	205.31	1,805.91	1,415.45	390.46
	<b>योग:</b>	<b>3,863.98</b>	<b>434.05</b>	<b>4,298.03</b>	<b>3,687.44</b>	<b>610.60</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष के दौरान निधियों के अभाव में पूर्ण नहीं की जा सकी योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से सूचना की अनुपलब्धता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या 'पूँजीगत दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत ₹ 610.60 करोड़ की बचत का उपयोग उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता था जो धन के अभाव के कारण अधूरी रह गई थीं।

### 3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति के) के लिए होती हैं।

2021-22 के दौरान बजट की कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं उसके प्रति हुआ वास्तविक व्यय तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: 2021-22 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना के नाम	अनुदान संख्या	वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1.	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त फसल विविधीकरण परियोजना फेज II (जेआईसीए)	31	2401-00-796-64	1.80	1.80	0.00
2	प्राकृतिक खेत खुश-हाल किसान	11	2401-00-105-12	17.62	19.74	2.12
3		31	2401-00-796-55	0.25	0.25	0.00
4		32	2401-00-789-45	2.20	2.20	0.00
5	हिमाचल गृहणी सुविधा योजना	22	2408-01-800-02	13.48	13.48	0.00
6		31	2408-01-796-10	0.90	0.90	0.00
7		32	2408-01-789-05	2.52	2.52	0.00
8	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान	12	2401-00-119-82	5.00	0.00	-5.00
9	कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल	31	2401-00-796-67	0.90	0.23	-0.67
10	नेट स्ट्रक्चर)	32	2401-00-789-65	2.52	2.52	0.00

क्र.सं.	योजना के नाम	अनुदान संख्या	वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
11	मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना	31	2501-06-796-10	0.90	0.90	0.00
12		32	2501-06-789-12	2.52	2.52	0.00
13	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	32	2515-00-789-13	0.46	15.48	15.02
14	शीर्ष 100 छात्रवृत्ति योजना	08	2202-01-109-03	2.00	0.70	-1.30
15	मेधा प्रोत्साहन योजना	08	2202-02-109-27	3.29	1.97	-1.32
16		31	2202-02-796-30	0.45	0.30	-0.15
17		32	2202-02-789-30	1.26	0.71	-0.55
18	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	08	2202-02-109-15	0.00	16.84	16.84
19		31	2202-02-796-13	2.25	5.29	3.04
20		32	2202-02-789-12	6.30	10.83	4.53
21	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर)	31	2210-06-796-17	7.65	7.65	0.00
22	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	31	2851-00-796-30	7.20	3.04	-4.16
23		32	2851-00-789-36	20.15	11.72	-8.43
24	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण-आत्म निर्भर भारत	32	2851-00-789-35	0.68	0.62	-0.06
25		32	2851-00-789-35	0.08	0.00	-0.08
26	मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना	31	4202-03-796-04	0.45	0.30	-0.15
<b>योग</b>				<b>102.83</b>	<b>122.53</b>	<b>19.70</b>

स्त्रोत: बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से प्रमाणित है, वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त योजनाओं हेतु कुल ₹ 102.83 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 122.53 करोड़ का व्यय किया गया जो बजट प्रावधान से अधिक ₹ 19.70 करोड़ के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ। दूसरी ओर दो मामलों/योजनाओं (क्रम संख्या 8 व 25) में कोई व्यय नहीं हुआ, जिससे लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

#### 3.4.4 योजनाओं हेतु प्रदत्त बजट की तुलना में व्यय

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल, योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों पर मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता के चलते कार्य प्रारम्भ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि के कारण या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। ऐसी योजनाओं में हुई बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित रहे, जिनका समुचित उपयोग किया जा सकता था।

2021-22 के दौरान ऐसी 81 योजनाएं थीं जिनमें बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ अथवा जहां संपूर्ण बजट प्रावधान शून्य कर दिया गया (विवरण परिशिष्ट-3.6 में दिया गया है)। इनमें से 10 योजनाएं ऐसी थीं (प्रत्येक

मामले में ₹ पांच करोड़ व उससे अधिक) जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया था परन्तु वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.17: उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	टिप्पणी
1.	08- शिक्षा	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5.00	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय में कमी हेतु कोई कारण सूचित नहीं किया गया।
2.	13- सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	प्रधानमंत्री कृषि के तहत विभिन्न जिलों में प्रवाह सिंचाई योजना का विचलन	32.21	
3.	29- वित्त	1.11.1966 से पहले भुगतान	9.81	
4.	31- जनजातीय विकास	हवाई अड्डों एवं हेलीपोर्ट का विकास	81.50	
5.		मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/ अनुरक्षण	12.60	
6.		प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी	7.01	
7.	23- विद्युत विकास	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को परियोजनाओं हेतु ऋण	21.01	
8.			19.65	
9.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	पुरानी जल आपूर्ति योजनाओं की रीमांडिंग/नवीकरण	5.03	
10.		विश्व बैंक से सहायता प्राप्त से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	9.07	

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

आगे यह भी पाया गया कि 81 योजनाएं ऐसी थीं, जहां ₹ एक करोड़ व अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, ऐसी 22 योजनाएं थीं जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान (₹ पांच करोड़ व उससे अधिक) या तो पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया या संशोधित परिव्यय द्वारा अभ्यर्पण कर दिया गया। इन 22 योजनाओं का विवरण तालिका-3.18 में दिया गया है:

तालिका-3.18: उन योजनाओं का विवरण जहां सम्पूर्ण बजट प्रावधान घटाकर शून्य कर दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियो जन	अभ्यर्पण	संशोधित परिव्यय
1.	क्षतिपूरक वनीकरण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत एवं भुगतान)	5.04	-5.04	0	0
2.	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	9.90	-9.90	0	0
3.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	5.06	-5.06	0	0
4.	हवाई अड्डों/ हेलीपोर्टों का विकास	278.65	-13.62	-265.03	0
5.	अवसंरचना सुविधाओं पर व्यय	13.75	-6.52	-7.23	0



क्र.सं.	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियो जन	अभ्यर्पण	संशोधित परिचय
6.	सरकारी आवासीय भवन	21.00	-21.00	0	0
7.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	14.92	0	-14.92	0
8.	जनजातीय क्षेत्रों हेतु हेलीकाप्टर सुविधा	8.00	-2.67	-5.32	0
9.	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को परियोजनाओं हेतु ऋण	37.34	0	-37.34	0
10.	राष्ट्रीय रूबन मिशन	6.12	-6.12	0	0
11.	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	57.61	-57.55	0	0
12.	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	34.28	-34.28	0	0
13.	छात्रवृत्ति	12.15	-12.15	0	0
14.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	5.30	0	-5.30	0
15.	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	6.05	-6.05	0	0
16.	पौध संरक्षण उपकरण की खरीद	12.93	0	-12.93	0
17.	पुरानी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) की रीमॉडलिंग/ नवीकरण	13.16	-13.16	0	0
18.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	15.99	-15.99	0	0
19.	कृषि मशीनीकरण पर सह-मिशन	13.35	0	-13.35	0
20.		6.46	0	-6.46	0
21.	स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रखरखाव	10.00	-10.00	0	0
22.	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान	5.00	-5.00	0	0

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

संस्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना दर्शाता है कि राज्य सरकार के विभागों ने ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए या तो पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी। घटिया योजना कार्यान्वयन क्षमताएं विभागों की बैंक खातों में सरकारी खाते के बाहर नकद शेष राशि को बनाए रखने की या निधियों को वर्ष के अंत में अभ्यर्पण करने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे जिनका उपयोग किया जा सकता था।

### 3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन तथा अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।


अंतिम तिमाही (50 प्रतिशत व 71 प्रतिशत के मध्य) एवं मार्च 2022 (12 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के मध्य) के दौरान पर्याप्त व्यय होने वाले अनुदानों के विवरण तालिका-3.19 में दिए गए:

तालिका-3.19: अनुदान जहां अंतिम तिमाही में पर्याप्त व्यय किया गया

क्र. सं.	अनुदान का नाम	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	अंतिम तिमाही में हुआ व्यय		मार्च में हुआ व्यय	
			₹ करोड़ में	प्रतिशत में	₹ करोड़ में	प्रतिशत में
1.	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	268.97	160.36	59.62	139.94	52.03
2.	22- खाद्य और नागरिक आपूर्ति	282.58	151.82	53.73	43.21	15.29
3.	23- विद्युत विकास	1,830.97	1,298.99	70.95	1186.35	64.79
5.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	841.20	459.66	54.64	103.47	12.30
6.	30- विविध सामान्य सेवाएं	149.96	75.01	50.02	39.40	26.28

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय का माह-वार विवरण चार्ट-3.8 में दिया गया है।

चार्ट-3.8: वर्ष 2021-22 के दौरान हुई मासिक प्राप्तियां एवं व्यय



स्त्रोत: मासिक सिविल लेखे

अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

### 3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2021-22 हेतु दो अनुदान अर्थात् अनुदान संख्या 8 - 'शिक्षा' एवं अनुदान संख्या 13 - 'जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ:

### 3.5.1 अनुदान संख्या 8 - शिक्षा

यह अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला व संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति के लिए ऋण शामिल है।

#### 3.5.1.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत प्रभागों के अंतर्गत आबंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति नीचे तालिका-3.20 में दी गई है।

तालिका-3.20: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
2019-20	राजस्व	6,641.11	0.30	6,641.41	5,530.35	-1,111.06
	पूंजीगत	96.85	10.40	107.25	77.02	-30.23
	<b>योग</b>	<b>6,737.96</b>	<b>10.70</b>	<b>6,748.66</b>	<b>5,607.37</b>	<b>-1,141.29 (16.91)</b>
2020-21	राजस्व	7,068.14	0.73	7068.87	5,706.77	-1,362.10
	पूंजीगत	111.50	18.96	130.46	130.44	-0.02
	<b>योग</b>	<b>7,179.64</b>	<b>19.69</b>	<b>7,199.33</b>	<b>5,837.21</b>	<b>-1,362.12 (18.92)</b>
2021-22	राजस्व	7,087.45	0.10	7,087.55	5,991.12	-1,096.43
	पूंजीगत	91.38	133.44	224.82	239.85	15.03
	<b>योग</b>	<b>7,178.83</b>	<b>133.54</b>	<b>7,312.37</b>	<b>6,230.97</b>	<b>-1,081.40 (14.79)</b>

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्रभागों में लगातार बचत हुई। 2019-22 के दौरान बचत/अप्रयुक्त बजट प्रावधान 14 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के मध्य रहा। 2021-22 के दौरान इस अनुदान हेतु मूल आवंटन (₹ 7,178.83 करोड़) कुल बजट प्रावधान (₹ 55,715 करोड़) का 13 प्रतिशत था। ₹ 7,312.37 करोड़ के कुल उपलब्ध बजट प्रावधान (मूल+पूरक) में से ₹ 1,081.40 करोड़ (14.79 प्रतिशत) खर्च नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

#### (क) अप्रयुक्त रहे सम्पूर्ण प्रावधान

इस अनुदान से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऐसे 11 लेखा शीर्ष थे (जैसाकि परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है), जहां कोई व्यय नहीं किया गया तथा ₹ 8.19 करोड़ के सम्पूर्ण बजट प्रावधान को संशोधित परिव्यय में पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया था।

इसके अतिरिक्त 2021-22 के दौरान दो मामलों/योजनाओं में ₹ 7.45 करोड़ का संपूर्ण बजट आवंटन अप्रयुक्त रहा, जो योजनाओं के अकार्यान्वयन को दर्शाता है जैसाकि नीचे तालिका 3.21 में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.21: अप्रयुक्त सम्पूर्ण प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	संस्वीकृत बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय
1.	2202-80-107-08 C00N (अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	5.00	0	0	5.00	0
2.	2202-80-107-20 C00N (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति)	2.45	0	0	2.45	0
	<b>योग:</b>	<b>7.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.45</b>	<b>0</b>

**(ख) बजट प्रावधान से अधिक व्यय**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग से ज्यादा हुए आधिक्य को राज्य विधायिका द्वारा नियमित कराना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभाग ने पूंजीगत शीर्ष अर्थात् 4202-01-203-01 S00N (महाविद्यालय भवन) के अंतर्गत ₹ 15.75 करोड़ के बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि विभाग को वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 42.49 करोड़ के मूल अनुदान के अतिरिक्त ₹ 66.50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ। ₹ 108.99 करोड़ के कुल उपलब्ध अनुदान के प्रति विभाग ने ₹ 124.74 करोड़ खर्च किए जो कुल बजट प्रावधान से अधिक ₹ 15.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ। यह इंगित करता है कि विभाग ने अवास्तविक बजट प्रावधान बनाए जो बजट बनाने की प्रक्रिया को कमजोर कर व्यय को नियंत्रण करते हैं।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि सलाहकार योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹ 15.75 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया था (मार्च 2022) परन्तु यह वित्त विभाग के पुनर्विनियोजन आदेश में परिलक्षित नहीं हुआ तथा इसलिए बजट से अधिक व्यय नहीं हुआ। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन के पूर्व वित्त विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

(ग) अवास्तविक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है।

इस अनुदान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 43 ऐसे मामले थे जिनमें पुनर्विनियोजन अवास्तविक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिसके विवरण परिशिष्ट-3.8 में दर्शाए गए हैं। तालिका-3.22 अवास्तविक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के कुछ प्रमुख दृष्टांतों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 3.22: अवास्तविक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	संस्वीकृत बजट	पुनर्विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय	बजट
1.	प्राथमिक	निदेशालय	2202-01-001-01-SOON	26.22	-8.47	17.75	14.37	-3.38
2.	शिक्षा	मध्य विद्यालयों पर व्यय	2202-01-101-03-SOON	1,421.80	-188.46	1,233.34	1,229.00	-4.34
3.		स्टार प्रोजेक्ट	2202-01-113-01-C90N	0.01	49.69	49.70	33.26	-16.44
4.		मध्यांतर भोजन	2202-01-800-01-C90N	63.38	-3.10	60.38	48.59	-11.79
5.	उच्चतर शिक्षा	माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय	2202-02-109-01 SOON	2,486.67	-98.89	2,387.78	2,183.29	-204.49
6.		सरकारी महाविद्यालयों पर व्यय	2202-03-103-01 SOON	358.49	-16.33	342.16	300.64	-41.52

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पांच मामलों में (क्रम संख्या 3 को छोड़कर), पुनर्विनियोजन द्वारा बजट प्रावधान को कम करने के बाद भी वास्तविक व्यय संशोधित बजट प्रावधानों के स्तर तक नहीं था तथा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहा। दूसरी ओर एक मामले (क्रम संख्या 3) के तहत पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवंटित बजट/ निधि भी अप्रयुक्त रही। इस प्रकार मूल अनुदान में और फिर आगे पुनर्विनियोजन के माध्यम से किए गए निधियों के अवास्तविक प्रावधान बचत में परिणत हुए जो न केवल बजट अनुमान बनाने एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियों की मांग में लापरवाह दृष्टिकोण को इंगित करता है अपितु स्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग नहीं करने को भी दर्शाता है।

तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि के पश्चात् विभाग ने बताया कि स्वीकृत पदों के प्रति संविदा एवं एसएमसी कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं रिक्त पदों आदि के कारण बचत हुई। बचत के अन्य कारणों में भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना, एमडीएम योजना के तहत कर्मचारियों का घटना तथा प्रवासी छात्रों के बैंक खाता संख्या

की अनुपलब्धता के कारण सिलाई शुल्क का उपयोग न होना/ निजी स्कूलों में छात्रों का पलायन आदि शामिल थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी तथ्यों व मान्यताओं को निधियों के पुनर्विनियोजन/ पुनः आवंटन के समय संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार/ विभाग की यह प्रक्रिया अवास्तविक/अकुशल बजटीकरण को परिलक्षित करती है।

**(घ) मूल प्रावधानों के अभाव में अनधिकृत अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोजन**

मूल प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोजन के अतिरिक्त किए गए अनुदान अनुपूरक अनुदान या विनियोजन होते हैं। किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है।

शिक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि दो लेखा शीर्षों में बजट के मूल प्रावधान के अभाव में विभाग ने बजट निर्माण एवं व्यय नियंत्रण की प्रक्रिया को कमज़ोर करते हुए ₹ 429.16 लाख की राशि अनुपूरक अनुदान व पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवंटित की। पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान के बावजूद विभाग अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि ₹ 0.31 लाख अप्रयुक्त रह गए। अनधिकृत अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोजन का विवरण नीचे तालिका 3.23 में दिया गया है।

**तालिका-3.23: मूल बजट के अभाव में अनुपूरक अनुदान, पुनर्विनियोग एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय	बचत/ आधिक्य
1	अन्य पिछड़ा वर्ग को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2202-80-107-09 S50N	0	0	413.00	413.00	413.00	0
2	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2202-03-103-07 S00N	0	0.04	16.12	16.16	15.85	-0.31
<b>योग</b>			<b>0</b>	<b>0.04</b>	<b>429.12</b>	<b>429.16</b>	<b>428.85</b>	<b>-0.31</b>

तथ्यों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया कि विगत वर्ष की देयताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब विभाग को विगत वर्ष की देयताओं के विषय में, विशेष रूप से उपरोक्त चलायमान योजनाओं के संबंध में पता था, तो उसे इसका संज्ञान लेना चाहिए था तथा मूल बजट में ही प्रावधान करना चाहिए था। यहां तक कि अधिक पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान भी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

**(ड) व्यय का तीव्र प्रवाह**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए।

शिक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि **परिशिष्ट 3.9** में दिए गए 14 लेखा शीर्षों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक 2022 के मार्च माह में व्यय किया गया। यह पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। मार्च 2022 के दौरान दो मुख्य शीर्षों (2202 व 4202) के अंतर्गत 14 लेखा शीर्षों में से 10 लेखा शीर्षों (**परिशिष्ट 3.9** की क्रम संख्या 1 से 8, 12 व 13) में अत्यधिक व्यय (80 प्रतिशत व 100 प्रतिशत के मध्य) किया गया था।

वर्ष के अंत में व्यय तीव्र प्रवाह निष्फल, व्यर्थ या गलत नियोजित व्यय का कारण बन सकता है। विभाग यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए यथासंभव निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरे वर्ष एकसमान रूप से निधियां खर्च की जाती हैं।

तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि के उपरांत विभाग ने बताया कि निधियों की प्राप्ति में विलम्ब, तकनीकी समिति द्वारा खरीदी जाने वाली मर्चों हेतु विनिर्देशन को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृतियां देने में विलम्ब के कारण मार्च में व्यय करना पड़ा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को इन सभी मुद्दों का संज्ञान लेना चाहिए था तथा वर्ष के दौरान व्यय की स्थिर गति बनाए रखनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए तिमाही-वार मानदंड निर्धारित करने चाहिए।

**(च) आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब**

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी निर्देशानुसार (अगस्त 2021) आधिक्य तथा अभ्यर्पण के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम विवरण प्रत्येक वर्ष क्रमशः 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 15 मार्च तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

शिक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण वित्त विभाग को विलम्ब से प्रस्तुत किए गए थे। विवरण प्रस्तुत करने में 15 से 82 दिनों के मध्य का विलंब था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया जो 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्रभागों में सतत बचत में भागीदारी करने वाले

कारक हो सकते (देखें परिच्छेद 3.5.1.1) हैं। आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने की तिथियों का विवरण नीचे तालिका-3.24 में दिया गया है।

तालिका-3.24: आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने का ब्यौरा

विवरण	देय तिथि	प्रस्तुति की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
<b>प्राथमिक शिक्षा</b>			
आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण	31-10-2021	16-11-2021	16
<b>उच्च शिक्षा</b>			
आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण	31-10-2021	21-01-2022	82
आधिक्य एवं अभ्यर्पण का अंतिम विवरण	15-03-2022	30-03-2022	15

इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने बताया कि कार्य की अधिकता के कारण आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा भविष्य में विवरण का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रत्युत्तर में उच्च शिक्षा विभाग ने बताया पहली बार 16 मार्च 2022 को विवरण प्रस्तुत किया गया, परन्तु विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण संशोधित विवरण 30 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि तथ्य यह है कि विभाग ने आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने में निर्धारित समयावधि का अनुपालन नहीं किया।

### 3.5.2 अनुदान संख्या 13 - जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग)

यह अनुदान जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग) द्वारा प्रशासित होता है तथा मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवास, 2700-वृहद सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी, 4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय) शामिल है।

#### 3.5.2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान की राजस्व एवं पूंजीगत प्रभागों के अंतर्गत आबंटित निधियों, किए गए व्यय एवं बचत/ आधिक्य की समग्र प्रास्थिति तालिका 3.25 में दी गई है:

तालिका-3.25: आबंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय किया	आधिक्य (+)/ बचत (-)
2019-20	राजस्व	2,586.54	0.22	2,586.76	2,358.76	-228.00
	पूंजीगत	709.05	186.92	895.97	944.28	48.31
	<b>योग</b>	<b>3,295.59</b>	<b>187.14</b>	<b>3,482.73</b>	<b>3,303.04</b>	<b>-179.69 (5.16)</b>



वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय किया	आधिक्य (+)/ बचत (-)
2020-21	राजस्व	3,808.98	0.09	3,809.07	1,439.22	-2,369.85
	पूँजीगत	951.48	2.95	954.43	922.80	-31.63
	<b>योग</b>	<b>4,760.46</b>	<b>3.04</b>	<b>4,763.50</b>	<b>2,362.02</b>	<b>-2,401.48 (50.41)</b>
2021-22	राजस्व	2,649.53	0	2,649.53	2,569.12	-80.41
	पूँजीगत	755.24	50.14	805.38	731.75	-73.63
	<b>योग</b>	<b>3,404.77</b>	<b>50.14</b>	<b>3,454.91</b>	<b>3,300.87</b>	<b>-154.04 (4.46)</b>

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत लगातार बचत हुई। 2019-22 के दौरान बचत/अप्रयुक्त बजट प्रावधान चार प्रतिशत के एवं उच्चतम 50 प्रतिशत के मध्य रहा। 2021-22 के दौरान इस अनुदान हेतु मूल बजट आवंटन (₹ 3,454.91 करोड़) कुल बजट (₹ 55,715 करोड़) का छः प्रतिशत था। ₹ 3,454.91 करोड़ के कुल उपलब्ध बजट प्रावधान में से ₹ 3,300.87 करोड़ व्ययित हुए एवं ₹ 154.04 करोड़ खर्च नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्न बिन्दु प्रकट हुए:

#### (क) बचत

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 31(4) में प्रावधान है योजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों व्यय के संशोधित अनुमान एवं आयोजनेत्तर व्यय हेतु बजट अनुमान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जांचे जाने एवं अनुमोदित किए जाने के पश्चात वित्त विभाग को निर्धारित तरीके व प्रपत्र में अग्रेषित किए जाएं। इसी भांति नियम 41 में भी निर्धारित है कि विभागाध्यक्ष अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से उनके द्वारा नियंत्रित विनियोजन अनुदान में देखी गई सभी प्रत्याशित बचत को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग को सौंप देंगे।

इस अनुदान (जल शक्ति विभाग) से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि -

- 2021-22 के दौरान 56 मामलों में से (परिशिष्ट 3.10 में दिए गए) 33 मामलों में प्रत्येक में ₹ 10 लाख या उससे अधिक की बचत हुई।
- वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर 56 मामलों में ₹ 2,729.85 करोड़ के कुल अनुदान में से ₹ 542.86 करोड़ (20 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे।

यह इंगित करता है कि विभाग ने या तो अवास्तविक बजट प्रावधान किए या निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार राशि का संवितरण/अभ्यर्पण नहीं किया जिससे वे अन्य शीर्ष जहाँ इन निधियों का उपयोग किया जा सकता था, वंचित रह गए।

तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि के पश्चात विभाग ने बताया कि बचत उचंत/स्टॉक/विनिर्माण/विविध अग्रिम, वसूलियों का समायोजन, विभिन्न योजनाएं, इत्यादि से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के कारण विभाग में कार्य पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं किए जा सके, इसलिए लेखा शीर्षों के अंतर्गत निधियों का समायोजन नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण वेतन से संबंधित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। बकाया की घोषणा/ केन्द्रीय रिलीज (केंद्र के जारी निधि) आदि की अपेक्षा में सभी बचत अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बचत के साथ-साथ जिन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया सका, उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही और जब भी अपेक्षित हो, तुरंत सरकार को सौंप दिया जाए। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 41(2) के अनुसार भविष्य में होने वाले आधिक्य के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखी जाए।

**(ख) अवास्तविक बजट अनुमान बनाना/ निरूपित करना**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 28 (3) के अनुसार समस्त विभाग बजट अनुमान तैयार करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(i) विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 43 लेखा शीर्ष (जैसाकि परिशिष्ट 3.11 में विवर्णित है) में कोई व्यय नहीं किया गया एवं ₹ 18.30 करोड़ के समग्र बजट प्रावधान को संशोधित परिव्यय में पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया था। पुनर्विनियोजन के माध्यम से समग्र बजट प्रावधान को घटाकर शून्य कर देने के कुछ दृष्टांत नीचे तालिका-3.26 में दिए गए हैं:

**तालिका-3.26: उन मामलों/योजनाओं का विवरण जहां कुल स्वीकृत बजट के पुनर्विनियोजन द्वारा संपूर्ण बजट प्रावधान को घटाकर शून्य कर दिया गया**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	व्यय
<b>राजस्व शीर्ष</b>					
1.	2701-15-799-01-S00N-79-उचंत	28.30	0	-28.30	0
2.	2701-16-799-01-S00N-79-उचंत	120.29	0	-120.29	0
3.	2701-16-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण	21.23	0	-21.23	0
4.	2701-16-799-03-S00N-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम	49.53	0	-49.53	0
5.	2711-01-799-03-S00N-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम	97.65	0	-97.65	0

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	व्यय
<b>पूँजीगत शीर्ष</b>					
6.	4215-01-102-26-S00N	1,316.00	0	-1,316.00	0
7.	4215-01-102-28-S00N	150.00	0	-150.00	0

यह इंगित करता है कि बजट प्रावधान उनकी आवश्यकता का अनुमान लगाए बिना बनाए गए थे, जिसने बजट बनाने की प्रक्रिया एवं व्यय नियंत्रण को कमजोर किया।

(ii) अन्य दृष्टांत में विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 10 लेखा शीर्षों/ योजनाओं हेतु ₹ 42.43 करोड़ का पर्याप्त प्रावधान किया गया था परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, जैसाकि तालिका-3.27 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 41 (2) प्रावधान का अनुपालन नहीं किया तथा वित्तीय वर्ष के अंत में भविष्य की अधिकता हेतु बचत को आरक्षित रखा गया।

तालिका-3.27: उन लेखा शीर्षों/योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बजट	व्यय
<b>राजस्व प्रभाग</b>						
1	2700-01-799-01-S00N79-उंचंत	358.05	0	0	358.05	0
2	2700-01-799-03-S00N79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम	187.17	0	0	187.17	0
3	2701-11-799-01-S00N-79- उंचंत	4.24	0	0	4.24	0
4	2701-11-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण	1.41	0	0	1.41	0
5	2701-11-799-03-S00N-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम	1.41	0	0	1.41	0
6	2701-21-799-01-S00N-79- उंचंत	70.76	0	0	70.76	0
7	2701-21-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण	14.15	0	0	14.15	0
8	2701-21-799-03-SOON-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम	6.37	0	0	6.37	0
<b>कुल राजस्व शीर्ष</b>		<b>643.56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.56</b>	<b>0</b>
<b>पूँजीगत शीर्ष</b>						
9	4702-00-101-07 एलआईएस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना C90N	3,220.80	0	0	3,220.80	0
10	4702-00-101-06 एलआईएस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना S10N	379.00	0	0	379.00	0
<b>कुल पूँजीगत शीर्ष</b>		<b>3,599.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,599.80</b>	<b>0</b>
<b>सकल योग (राजस्व व पूँजीगत शीर्ष)</b>		<b>4,243.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,243.36</b>	<b>0</b>

तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि के पश्चात विभाग ने कहा कि राजस्व प्रभाग के तहत कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों का निष्पादन अनुमान के अनुसार पूर्ण रूप से नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री की मांग कम रही। इसलिए इन लेखा शीर्षों के प्रति निधियों का समायोजन नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत योजनाएं स्वीकृति न होने एवं केन्द्रीय अंशदान के अंतर्गत निधियां प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी घटकों के साथ केन्द्रीय अंश/ राज्यांश, पिछली देयताओं आदि पर विचार करना चाहिए था।

### (ग) अनावश्यक/ अत्यधिक पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में बाद में अन्य इकाइयों के तहत बचत उपलब्ध होने पर उस इकाई में विपथित (डाईवर्टेड) विनियोजन को बहाल करने के इरादे से किसी इकाई से निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान 14 मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान घटाना अपर्याप्त सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के अंत में इन लेखा शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई। इन 14 मामलों का विवरण नीचे तालिका-3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.28: उन मामलों के विवरण जहां पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान घटाने के बावजूद बचत हुई  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	व्यय	बचत
<b>राजस्व प्रभाग</b>							
1	2215-01-001-01-SOONM	28.37	0.20	-0.90	27.67	25.21	-2.46
2	2215-01-001-02-SOON	6.83	0.00	-0.25	6.58	6.07	-0.51
3	2215-01-001-02-SOON	110.66	0.09	-1.33	109.42	97.83	-11.59
4	2215-01-005-01-SOONM	4.34	0.00	-0.39	3.94	3.04	-0.90
5	2215-01-101-02-SOON	296.91	0.00	-35.46	261.45	242.61	-18.85
6	2215-01-101-04-SOON-NP-21 (एम.टी.एस.)	130.43	0.00	-35.21	95.22	75.98	-19.24
7	2215-01-102-03-SOON	664.04	0.00	-84.57	579.46	537.91	-41.55
8	2215-01-102-12-SOON	423.32	0.00	-83.86	339.46	236.30	-103.16
9	2700-01-001-01-SOON	9.41	0.00	-0.94	8.46	7.49	-0.97
10	2702-80-001-01-SOON	83.42	0.00	-5.61	77.80	67.97	-9.83
11	2702-80-001-02-SOON-NP	250.92	0.00	-30.95	219.97	192.00	-27.98
12	2702-80-001-06-SOON	250.92	0.00	-22.64	228.28	163.69	-64.58

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	व्यय	बचत
<b>पूँजीगत प्रभाग</b>							
13	4215-01-101-01-SOON(P) UWSS-विभिन्न जिलों में	33.66	0.00	-0.13	33.53	30.43	-3.10
14	4702-00-101-03-SOON एल.आई.एस. नाबार्ड	52.11	0.00	-3.11	49.00	48.36	-0.64

सरकार सटीक बजट सुनिश्चित करने हेतु वर्ष के दौरान संभावित व्यय का अनुमान लगाने एवं प्राक्कलित आवश्यकताओं हेतु कठोर तंत्र स्थापित करने पर विचार करें।

**(घ) मूल प्रावधानों के अभाव में अनुचित अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन**

मूल प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोजन के अतिरिक्त किए गए अनुदान अनुपूरक अनुदान या विनियोजन होते हैं। किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है।

इस अनुदान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2021-22 के दौरान सात लेखा शीर्षों में कोई मूल प्रावधान नहीं बनाया गया था। विभाग ने अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन के माध्यम से इन उप-शीर्षों पर ₹ 13.89 करोड़ का व्यय किया। वर्ष के दौरान विभाग ने इन उप-शीर्षों में ₹ 14.06 करोड़ (₹ 0.15 करोड़ के पुनर्विनियोजन एवं ₹ 13.91 करोड़ के अनुपूरक अनुदान द्वारा) का प्रावधान किया। इसके बावजूद विभाग ने अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं किया क्योंकि ₹ 0.17 करोड़ अप्रयुक्त रहे। बजट के मूल प्रावधान के अभाव में किया गया पुनर्विनियोग/अनुपूरक अनुदान अनुचित था तथा यह भी सिद्ध होता है कि बजट प्रावधान का अवास्तविक अनुमान लगाया गया था जिससे बजट निर्माण एवं व्यय नियंत्रण की प्रक्रिया कमजोर हुई। अनुचित अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन का विवरण नीचे तालिका-3.29 में दिया गया है।

तालिका-3.29: मूल बजट के अभाव में किए गए पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान एवं किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बजट	व्यय	बचत/ आधिक्य
1	4215-01-102-01 SOONM 29-क्षतिपूर्ति (दत्तमत)	0	24.60	0	24.60	24.61	0.01
2	4215-01-102-01--SOONM 29-क्षतिपूर्ति (प्रभारित)	0	7.66	0	7.66	7.65	-0.01

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बजट	व्यय	बचत/आधिक्य
3	4701-21-800-01-S00N	0	552.00	0	552.00	551.97	-0.03
4	29- क्षतिपूर्ति (दत्तमत)	0	0.01	14.49	14.50	14.50	0
5	4711-01-800-13-SOON दौलतपुर से गगरेट ब्रिज पीआर IV तक स्वान का चैनलाइजेशन	0	17.17	0	17.17	0	-17.17
6	4711-01-800-15-SOON छौंच खड्ड में एफपीडब्ल्यू	0	790	0	790.00	790.00	0
योग		0	1,391.44	14.49	1,405.93	1,388.73	-17.20

तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया कि इन मामलों में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न भू-स्वामियों से भू अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का आकस्मिक भुगतान, भू अधिग्रहण के न्यायालयीन मामले, लंबित देयताओं के निपटान आदि हेतु अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन किए गए थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि वर्ष के दौरान किए गए समस्त अनुपूरक एवं पुनर्विनियोजन तथ्यों पर आधारित हैं तथा सही एवं न्यायोचित हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को वित्तीय वर्ष हेतु भूमि अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति भुगतान, न्यायालय से संबंधित मामलों तथा पिछली देयताओं इत्यादि से संबंधित सभी घटकों पर विचार करना चाहिए था तथा इन लेखा शीर्षों के तहत उचित रूप से बजट प्रावधान करना चाहिए था।

#### (ड) आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी निर्देशानुसार (अगस्त 2021) आधिक्य तथा अभ्यर्पण के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम विवरण प्रत्येक वर्ष क्रमशः 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 15 मार्च तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

इस अनुदान सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण वित्त विभाग को विलम्ब से प्रस्तुत किए गए थे। विवरण प्रस्तुत करने में सात से 46 दिनों के मध्य का विलंब था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया जो 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत सतत बचत में भागीदारी करने वाले कारक हो सकते (देखें परिच्छेद 3.5.2.1) हैं। विवरण नीचे तालिका-3.30 में दिए गए हैं।

तालिका-3.30: आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने का ब्यौरा

क्र. सं.	विवरण	देय तिथि	प्रस्तुति की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण	31-10-2021	16-12-2021	46
2	आधिक्य एवं अभ्यर्पण का द्वितीय विवरण	31-01-2022	07-02-2022	7
3	आधिक्य एवं अभ्यर्पण का तृतीय (अंतिम) विवरण	15-03-2022	28-03-2022	13

तथ्यों की पुष्टि के पश्चात् विभाग ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आधिक्य एवं समर्पण विवरणी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, तथापि विभाग इसे समय पर प्रस्तुत करने के लिए सदैव उत्सुक रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्पष्टतः विभाग विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि का पालन करने में विफल रहा।

**(च) राज्य बजट के इतर भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय जापन संख्या 1 (13)/पी.एफ.एम.एस./ एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 में प्रावधान है कि हर राज्य सरकार को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करना अपेक्षित है। एकल नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापार करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता खोलेगी। इसके अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा समग्र अव्ययित राशि निश्चित रूप से एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए।

इस अनुदान से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जल जीवन मिशन (पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) नाम की एक केंद्र प्रायोजित योजना (90:10 अंशदान स्वरूप) को विभाग द्वारा हर ग्रामीण परिवार को चलायमान घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने अर्थात् हर घर नल से जल के उद्देश्यों में से एक के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि केंद्र प्रायोजित योजना होने के नाते विभाग ने एक एकल नोडल खाता खोला (जुलाई 2019)। मई 2021 तक भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत निधियां (केंद्रीय अंश) एकल नोडल खाते में राज्य कोषागार के माध्यम से जारी की जा रही थी।

हालांकि चूंकि बकाया राज्यांश के बराबर अंश के साथ केन्द्रीय अंश मिशन के एकल नोडल खाते में समय पर अंतरित नहीं किया जा रहे थे, फरवरी 2021 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का 'एस्करो खाता' संचालित करने का निर्णय लिया।

आगे यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान गैर-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-एसटीसी (अनुदान-13), केन्द्रीय प्रायोजित योजना (अनुदान-32) एवं एसटीसी (अनुदान-31) श्रेणी के तहत ₹ 193.12 करोड़ की पहली किश्त का केवल पहला अंश विभाग द्वारा बनाए गए एकल नोडल खाते में प्राप्त हुआ। तदोपरांत पहली किश्त के दूसरे अंश के पश्चात भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के एस्करो खाते यानी जल शक्ति विभाग के जल जीवन मिशन में राज्य के बजट से इतर सीधे ₹ 1,077.50 करोड़ जारी किए गए, जो चिंता का विषय है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को अंतरित की गई निधियों के विवरण नीचे तालिका-3.31 में दिए गए हैं।

तालिका-3.31: वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत संख्या	दिनांक	राज्य सरकार के खाते के माध्यम से जारी राशि (एकल नोडल एजेंसी-65063927212)	राज्य सरकार के खाते से जारी राशि (एस्करो खाता-65063927212)
			(₹ करोड़ में)	
1	G-11011/2/2021-JJM-DDWS-Part-I/08	13-05-2021	193.12	
2	W-11020/27/2020-JJM-I-DDWS/23	30-07-2021	0.00	193.12
3	W-11020/27/2020-JJM-I-DDWS/39	30-11-2021	0.00	193.12
4	W-11020/27/2020-JJM-I-DDWS/58	28-01-2022	0.00	193.12
5	W-11020/3/2022-JJM-I-DDWS/77	30-03-2022	0.00	498.14
योग:			193.12	1,077.50

इस प्रकार, राज्य बजट/ कोषागार के माध्यम से न भेज कर भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की गई निधियों ने राज्य बजट निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं राज्य संसाधनों/ वित्त की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

### 3.6 निष्कर्ष

- बजटीय प्रबंधन स्तरीय नहीं था क्योंकि वर्ष 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान एवं विनियोजन का लगभग 90 प्रतिशत रहा। बजटीय आबंटन सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि कुल 32 अनुदानों में से 10 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई; एवं छः अनुदानों में विगत पांच वर्षों से ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई। अनुपूरक प्रावधान भी सही ढंग से नहीं बनाए गए थे क्योंकि 25 मामलों में पूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे।



- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। छः अनुदानों के तहत अंतिम तिमाही (51-71 प्रतिशत के मध्य) तथा 2022 के मार्च (12-65 प्रतिशत के मध्य) के दौरान पर्याप्त व्यय किया गया था।
- 13 अनुदानों एवं दो विनियोजनों में किया गया ₹ 1,782.17 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका द्वारा दिए गए प्राधिकरण से अधिक था। अतिरिक्त व्यय को 2014-15 से 2020-21 की अवधि से संबंधित ₹ 8,818.47 करोड़ के व्यय आधिक्य सहित राज्य विधायिका से नियमित किया जाना अपेक्षित है।
- 81 योजनाओं में से 10 योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ से अधिक के बजट प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 22 योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ व अधिक) या तो पुनर्विनियोजन या अभ्यर्पण द्वारा हटा दिया गया। यह राज्य सरकार के विभागों द्वारा कमजोर वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लाभों का खंडन किया गया तथा संसाधनों का भी अवरोधन हुआ।

### 3.7 सिफारिशें

- राज्य सरकार बजट प्राक्कलन बनाने हेतु उसके पूर्वानुमानों में और अधिक वैज्ञानिकता एवं सटीकता लाएं।
- राज्य सरकार को निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति का पता लगाने तथा बचत/आधिक्य के आंकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जा सके। विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय करने से बचा जाएं तथा इसे शीघ्रताशीघ्र विनियमित किया जाएं।



## अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग  
प्रथाएँ



## अध्याय - IV

### लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना साथ ही इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है।

इस अध्याय में वित्तीय रिपोर्टिंग की पूर्णता, पारदर्शिता, मापदण्ड एवं प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

### लेखाओं की पूर्णता से सम्बंधित मुद्दे

#### 4.1 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में प्रावधान है कि किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, उस सरकार द्वारा कोषागार बिल, ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उठाया गया समस्त ऋण तथा ऋण अदायगी से उस सरकार को प्राप्त समस्त धन राज्य की समेकित निधि का पात्र होने के लिए एक समेकित निधि का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि अन्य समस्त लोक धन जो राज्य की सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से, प्राप्त किया जाता है, राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना के कुछ उल्लेखनीय दृष्टांतों पर नीचे चर्चा की गई है।

#### 4.1.1 भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिकों की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों के विनियमन तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के उपाय उपलब्ध कराने के लिए भवन और अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। उपकर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) निरूपित किया। तदनुसार, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक नियम, 2008 बनाया गया। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन मार्च 2009 में किया गया। बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इसके लेखाओं की अलग से लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन किया जाता है।

उपकर अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य से सम्बंधित प्रत्येक नियोक्ता पर उपकर लगाया व संग्रहित किया जाए तथा इस उपकर की संग्रह-लागत काटने के पश्चात्, जो एकत्रित राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हो, इसे बोर्ड को चुकाया जाए। उपकर नियमों की धारा 5 के अनुसार संग्रहित उपकर की आय राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के तहत निर्धारित चालान के रूप में (एवं बोर्ड के लेखा शीर्ष में) बोर्ड को हस्तांतरित की जाए। यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रम उपकर के लेखांकन हेतु कोई नियम नहीं बनाए एवं श्रम उपकर की बुकिंग व संग्रहण के लिए सरकार द्वारा कोई निश्चित उप-शीर्ष प्रदान नहीं किया। लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग मण्डलों द्वारा निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर एकत्र किया जा रहा है तथा 8443-सिविल निक्षेप-108-लोक निर्माण जमा निक्षेप के तहत बुक किया जा रहा है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 38.74 करोड़ एकत्र किए एवं भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹ 41.59 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8443 से ₹ 24.92 करोड़ राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

हालांकि बोर्ड द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, 2021-22 के दौरान उसके पास ₹ 671.82 करोड़ का अथ शेष था एवं श्रम उपकर, ब्याज आदि के रूप में ₹ 132.16 करोड़ प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान बोर्ड ने ₹ 100.83 करोड़ खर्च किए, जिसमें से ₹ 3.68 करोड़ प्रशासनिक व्यय व श्रम कल्याण गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च किए गए। वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2022 तक बोर्ड के पास ₹ 703.15 करोड़ की राशि थी। विगत वर्ष अर्थात् 2020-21 (₹ 656.99 करोड़) के अंत शेष के आंकड़ों एवं चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 (₹ 671.82 करोड़) के अथ शेष के मध्य ₹14.83 करोड़ का अंतर पाया गया। बोर्ड ने इस अंतर का कारण, विगत वर्ष की सूचना भेजते समय लेखाओं को अंतिम रूप न देना बताया।

लोक लेखा में सभी स्रोतों से प्राप्त विशेष रूप से इस उपकर की बुकिंग हेतु लोक निर्माण-कार्य निक्षेप में कोई पृथक उप-शीर्ष नहीं है, अतः एकत्र की गई उपकर राशि श्रमिक कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित की गई तथा शेष राशि को अभी तक स्थानांतरित किया जाना पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

#### 4.1.2 समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण

प्रदत्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बजट से इतर (ऑफ-बजट) उधार का सहारा नहीं लिया। वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्ध वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे कोई उधार नहीं पाए गए।

### 4.1.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी जाने वाली समस्त सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी न करके राज्य सरकार को जारी करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद निधियां अभी भी भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित की जा रही थीं। ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से जारी नहीं करने के कारण राज्य सरकार के लेखों में दर्शाई नहीं गई थीं।

विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित सकल राशि का विवरण तालिका-4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां

राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण	2019-20	2020-21	2021-22
अंतरित निधियां (₹ करोड़ में)	1,372.69	1,866.98	2,534.57

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2,534.57 करोड़ (लेखापरीक्षित नहीं किए गए आंकड़े) सीधे जारी किए। 2021-22 में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण 2020-21 के ₹ 1,866.98 करोड़ से 35.76 प्रतिशत बढ़कर ₹ 2,534.57 करोड़ हो गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त लेखे के परिशिष्ट-VI में वर्णित कुल राशि ₹ 2,534.57 करोड़ में से, केन्द्रीय प्रायोजित 30 योजनाओं के तहत ₹ 1,533.06 करोड़ का केंद्रीय अंश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किया गया। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 37,309.30 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 17,633.32 करोड़) का क्रमशः 4.11 प्रतिशत व 8.69 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 हेतु राज्य सरकार के लेखाओं में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के केंद्रीय अंश के तहत मात्र ₹ 5,420.75 करोड़ दर्शाए गए। इसके अतिरिक्त, जनता के लिए समर्पित एवं बनाई गई परिसंपत्तियां, राज्य सरकार के बजट एवं व्यय को अधिकतम ₹ 1,533.06 करोड़ तक सीमित करते हुए राज्य सरकार के लेखाओं से बाहर रखा गया।

2021-22 के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सीधे निधियां प्राप्त करने वाली कुछ प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम तालिका-4.2 में दिए गए हैं:

तालिका 4.2: भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां
1	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी सोसायटी	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	1,085.03
2	निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम की अधिकारिता	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	147.64
3	निदेशक, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजना एवं आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास	73.36
4	निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	61.48
5	निदेशक उच्च शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	33.70
6	निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम की अधिकारिता	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	29.39
7	निदेशक, कृषि	कृषि यंत्रीकरण पर सह-मिशन	22.47

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

ये निधियां राज्य की समेकित निधि के माध्यम से नहीं भेजी जाती हैं, इसलिए वार्षिक लेखे ऐसी निधियों के प्रवाह को नहीं दर्शाते हैं। इस प्रकार, राज्य की प्राप्तियों व व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चर एवं उनसे व्युत्पन्न मापदण्ड अधिकतम सीमा तक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

#### 4.2 सब्याज निक्षेपों के प्रति ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना

2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (राष्ट्रीय पेंशन योजना) की सीमित अंशदान पेंशन योजना हेतु ₹ 5.42 करोड़ का कम अंशदान किया तथा 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत रखे शेष ₹ 7.66 करोड़ के लिए न तो प्रावधान किया और न ही ₹ 0.54 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में उसके भाग का अंशदान ₹ 0.20 करोड़ कम किया एवं मार्च 2021 की समाप्ति तक मुख्य लेखा शीर्ष 8342 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में रखे शेष ₹ 7.88 करोड़ के लिए न तो प्रावधान किया एवं न ही ₹ 0.47 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

#### पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

#### 4.3 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 157 की शर्तों के अनुसार जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वहां सम्बंधित विभागीय



अधिकारी अनुदेयी से उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसका सत्यापन करने के पश्चात् स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अगेषित करेंगे। सहायता-अनुदान का आहरण करने वाले विभागीय अधिकारी अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूर्ण करने का प्रमाणीकरण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से कराने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों के उपयोग का आश्वासन न मिलने का परिचायक है तथा इस प्रकार लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2022 तक ₹ 4,752.14 करोड़ राशि के 3,619 उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे (परिशिष्ट-4.1)। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया तालिका-4.3 व तालिका-4.4 में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2019-20 तक	1,487	1,587.06	526	537.09	961	1,049.97
2020-21	1,312	1,970.76	477	661.58	835	1,309.18
2021-22	15,605	4,563.10	13,782	2,170.11	1,823	2,392.99
<b>योग:</b>	<b>18,404</b>	<b>8,120.92</b>	<b>14,785</b>	<b>3,368.78</b>	<b>3,619</b>	<b>4,752.14</b>

स्त्रोत:- प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।

टिप्पणी: 2020-21 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्र केवल 2021-22 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।


तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	15	25.79
2016-17	111	65.54
2017-18	248	313.74
2018-19	587	644.90
2019-20	835	1,309.18
2020-21	1,823	2,392.99
<b>योग</b>	<b>3,619</b>	<b>4,752.14</b>

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने का अर्थ है कि वर्षों से निधियां कैसे खर्च की गई इसका प्राधिकारियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी आश्वासन नहीं मिला कि यह निधियां जिन अभीष्ट लक्ष्यों हेतु प्रदान की गई थी उन्हें प्राप्त किया गया। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को

प्रस्तुत न करने से निधियों के दुरुपयोग का खतरा रहता है इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करें एवं उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के समयबद्ध प्रस्तुतीकरण हेतु जिम्मेदार सम्बंधित व्यक्तियों पर दबाव बनाएं।

चार्ट-4.1: 2020-21 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में चुकाए गए अनुदानों हेतु बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र



₹ 4,752.14 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 3,619 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,359.15 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,796 उपयोगिता-प्रमाणपत्र 2015-16 से 2019-20 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 4,752.14 करोड़ की राशि में से 81.43 प्रतिशत चार विभागों से सम्बंधित थे - पंचायती राज हेतु 33.25 प्रतिशत (₹ 1,580.03 करोड़); शहरी विकास हेतु 23.87 प्रतिशत (₹ 1,134.45 करोड़); आयुर्वेद (आयुष) हेतु 13.42 प्रतिशत (₹ 637.98 करोड़) तथा ग्रामीण विकास हेतु 10.89 प्रतिशत (₹ 517.42 करोड़)।

चयनित पांच विभागों अर्थात् पंचायती राज (519 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 225.64 करोड़), शहरी विकास (21 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 32.85 करोड़), आयुर्वेद (आयुष) (18 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 73.73 करोड़), ग्रामीण विकास (43 उपयोगिता-प्रमाणपत्र- ₹ 342.36 करोड़) एवं युवा सेवाएं व खेल (04 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 0.40 करोड़), के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा/नमूना-जांच करते समय यह देखा गया कि अनुदान के ₹ 3,870.29 करोड़ (1,503 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से 605 उपयोगिता-प्रमाणपत्र) में से ₹ 674.98 करोड़ की राशि का या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से उपयोग किया गया एवं उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को अनुदेयियों (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों) ने विभागाध्यक्षों को भेजा था। तथापि संबंधित विभागाध्यक्षों ने अपेक्षानुसार सत्यापन के उपरांत उन्हें प्रधान महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को लेखाओं में बकाया के रूप में दर्शाया गया। ऐसा निदेशालय स्तर पर निगरानी की कमी के कारण हुआ, अतः बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की प्रास्थिति/ पहलू पर विभागाध्यक्षों द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए ताकि उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

#### 4.4 अनुदेयी संस्थान को “अन्य” के रूप में दर्ज करना

सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों को विशेष कोड प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस तरह से ये अनुदान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जा सकते हैं तथा प्रत्येक निकाय/प्राधिकरण की बकाया राशि पर उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी की जा सकती है। उचित कोड के अभाव में अनुदेयी की बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की निगरानी करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों/संस्थानों/प्राधिकरणों को कोड आवंटित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2021-22 हेतु वित्त लेखाओं की **विवरणी-10** के अनुसार विभिन्न संस्थानों को सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 4,980.80 करोड़ की राशि दी गई थी जिसमें से ₹ 1,039.50 करोड़ (20.85 प्रतिशत) “अन्य” को दिए गए।

विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान सरकार ने सहायता-अनुदान की उल्लेखनीय राशि लगातार “अन्य” के रूप में दर्ज की, जो 15.83 प्रतिशत से 28.85 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा की **तालिका-4.5** में दर्शाया गया है:

**तालिका 4.5: ‘अन्य’ प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को सहायता-अनुदान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता-अनुदान की कुल राशि	‘अन्य’ प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को दी गई राशि	कुल सहायता अनुदान से प्रतिशत
2017-18	2,895.45	784.69	27.10
2018-19	3,633.95	1,048.43	28.85
2019-20	3,506.49	555.22	15.83
2020-21	4,563.11	946.89	20.75
2021-22	4,980.80	1039.50	20.87

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

#### 4.5 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक की उसके तत्काल

संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बिल के माध्यम से सेवा शीर्षों से डेबिट करते हुए धन का आहरण करने का अधिकार होता है। नियम 187 में आगे अप्रत्याशित परिस्थितियों हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए सार आकस्मिक बिलों से आहरण करने का प्रावधान है, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एक समय में जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा मात्र एक अग्रिम प्रदान/पारित किया जा सकता है। यह सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी होगी की अग्रिम को जिस वित्तीय वर्ष में आहरित किया गया है उसी वर्ष में समायोजित किया जाए। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी अग्रिमों को अलग-अलग अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वे इस बात का निगरानी करेंगे कि इनका प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लेखांकन किया गया है। अग्रिम भुगतान रजिस्टर लगातार संचालित किया जाना चाहिए तथा उनका अनुरक्षण तब तक किया जाना चाहिए जब तक सभी अग्रिम पूरी तरह से वसूली/समायोजित की श्रेणी में प्रविष्ट नहीं हो जाते।

राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिमों के आहरण एवं निगरानी तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों के द्वारा उनका समायोजन करने के लिए किसी तंत्र का निरूपण नहीं किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार से आकस्मिक प्रकृति के अग्रिम आहरित करने हेतु उसी फॉर्म (अर्थात् HPTR-5) का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, आकस्मिकता/सहायता-अनुदान/छात्रवृत्ति/ अन्य शुल्क, आदि जैसे अन्य सभी नियमित प्रकृति के व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। अतएव सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों को अन्य व्यय से अलग करने /पहचानने एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन हेतु कोई तंत्र नहीं था। जिसके फलस्वरूप प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों की सूची/विवरणों की निगरानी करने तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनका समायोजन करने में असमर्थ है। यह मुद्दा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के विगत वर्षों के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा वित्त लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र में मामलों के महत्त्व में लगातार चिह्नित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस मामले पर राज्य सरकार के साथ भी बार-बार चर्चा की गई/उठाया गया।

प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2022) कि सार आकस्मिक बिलों के आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश विचाराधीन हैं तथा इन बिलों के संहिताकरण (कोडीफिकेशन) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा सेवा एवं खेल, कृषि, उद्यानिकी एवं अभियोजन नाम के छः विभागों को सार आकस्मिक बिल के आहरण हेतु अधिकृत किया है। इन विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों/रजिस्ट्रों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि 2016-17 से 2021-22 के दौरान आयुर्वेद (60), उद्यानिकी (37), युवा सेवा एवं खेल (05) एवं अभियोजन (01) विभागों द्वारा ₹ 97.26 करोड़ की राशि के 103 सार आकस्मिक बिल आहरित किए गए, जिनमें से आयुर्वेद विभाग के ₹ 10.67 करोड़ राशि के आहरित किए गए 46 सार आकस्मिक बिल समायोजन हेतु लंबित हैं।

आगे यह देखा गया कि कुछ अन्य विभाग भी, जिन्हें राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम लेने हेतु अधिकृत नहीं किया था, अग्रिम आहरण कर रहे थे। उदाहरणार्थ, प्राथमिक शिक्षा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के आयोजन हेतु ₹ 0.12 करोड़ आहरित किए, जिसे वर्ष के दौरान समायोजित भी कर दिया गया।

इस प्रकार बिलों की पहचान/ उन्हें अलग करने के किसी उपयुक्त तंत्र के बिना सार आकस्मिक बिल के माध्यम से अग्रिमों का आहरण सरकारी धन के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त विस्तृत आकस्मिक बिलों के अधिकतम सीमा तक प्राप्त न होने से वित्त लेखाओं में दिखाए गए व्यय को सही/अंतिम नहीं बताया जा सकता। और तो और सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरित करने के लिए केवल/छह विभागों का चयन/प्राधिकार, राज्य सरकार/विभाग की ओर से समझ की कमी को दर्शाता है क्योंकि यदि अन्य विभाग द्वारा किसी सार आकस्मिक बिल का आहरण किया गया हो, तो उसकी पहचान/निगरानी नहीं की जा सकती।

#### 4.6 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड-I, 1971 के नियम 12.7 के तहत व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन किसी विशिष्ट उद्देश्यार्थ समेकित निधि से राशि के हस्तांतरण द्वारा एवं सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्ष में बिना वास्तविक नकदी प्रवाह के अंतिम व्यय के रूप से बुक करके किया जाता है। व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में रखा अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समेकित निधि में वापस अंतरित किया जाना तथा आवश्यकतानुसार अगले वर्ष पुनः खोलना अपेक्षित है। विगत कई वर्षों से लगातार पत्राचार करने के बावजूद राज्य सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया।

2021-22 की समाप्ति पर 106 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में ₹ 1.74 करोड़ की राशि समेकित निधि में हस्तांतरित किए बिना अव्ययित शेष के रूप में रखी गई (परिशिष्ट-4.2)। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की प्रास्थिति तालिका-4.6 में दी गई है।

तालिका 4.6: 31 मार्च 2022 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं (मुख्य शीर्ष 8443-106) की प्रास्थिति  
(₹ करोड़ में)

01.04.2021 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे		वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष के दौरान समापन/आहरण		31.03.2022 तक अंत शेष		परिचालित लेखे		अपरिचालित लेखे	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	2.18	02	0.22*	08	0.66	106	1.74	69	1.71	37	0.03

\* 2021-22 के दौरान ₹ 0.22 करोड़ की राशि को प्राप्ति के रूप में ₹ 0.59 करोड़- व्ययगत हुई निक्षेप राशि ₹ 0.37 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है।

कुल 106 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में से 69 परिचालनाधीन थे जबकि 37 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे (जिनमें से 26 लेखाओं में शून्य शेष था) तीन वर्ष से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे प्रारंभ किए गए तथा आठ व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बंद किए गए।

निर्धारित प्रक्रियानुसार व्यक्तिगत निक्षेप लेखे प्राधिकृत लेखा शीर्षों के तहत यथा मुख्य शीर्ष-8443-सिविल निक्षेप-106-व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में खोले जाते हैं तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाधारकों एवं कोषागारों द्वारा आपूरित धन व ऋण ज्ञापनों के साथ मिलान किए जाते हैं। यद्यपि 38 ऐसे मामले पाए गए जहां व्यक्तिगत निक्षेप लेखे मुख्य शीर्ष-8448-109 के तहत खोले गए थे जो की प्राधिकृत लेखा शीर्ष नहीं था।


व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष रखने का अर्थ है कि व्यय में अधिकतम शेष तक अन्योक्ति हुई। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का आवधिक रूप से मिलान न करने एवं व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी अव्ययित राशि समेकित निधि में हस्तांतरित न करने से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

#### 4.7 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग


अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्यशीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। यदि ऐसे दृष्टांत नियमित रूप से घटित होते हैं तब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से चर्चा कर उचित लघु शीर्ष खोलने की मंजूरी प्राप्त करें। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि प्राप्तियों व व्यय की लघु शीर्ष-800 के तहत अविवेकपूर्ण बुकिंग लेनदेन की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करती है तथा लेखाओं को अस्पष्ट बनती है।

2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 का अधिकतम परिचालन चार्ट-4.2 एवं चार्ट-4.3 में दिया गया है।

चार्ट-4.2: 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां का परिचालन



चार्ट-4.3: 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



2021-22 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,255.53 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 42,223.92 करोड़) कुल व्यय का 5.34 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,957.37 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 37,316.31 करोड़) का 5.25 प्रतिशत थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के तहत प्राप्ति व व्यय के उल्लेखनीय अनुपात (मुख्य शीर्ष के तहत कुल प्राप्ति/व्यय का 20 प्रतिशत या अधिक एवं ₹ 5 करोड़ से अधिक) वर्गीकृत करने के दृष्टांत तालिका-4.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.7: 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष-'800-अन्य प्राप्ति/व्यय' के तहत बुक की गई उल्लेखनीय राशि  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियां"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
1.	0801- विद्युत	1,183.51	1,183.51	100.00	2043- राज्य वस्तु व सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	5.37	5.37	100.00
2.	4000- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	7.01	100.00	2075- विविध सामान्य सेवाएं	30.06	29.81	99.17
3.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.17	17.49	91.24	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	330.52	323.60	97.91
4.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	104.90	90.16	85.95	4235- सामाजिक प्रतिभूति एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	14.39	13.30	92.43
5.	0230- श्रम एवं रोजगार	13.94	10.63	76.26	4851- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	122.73	109.07	88.87
6.	0045- माल व सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	340.58	235.68	69.20	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	19.47	14.52	74.58
7.	0401- फसल पालन	8.19	5.62	68.62	4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	11.21	7.78	69.40
8.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.23	11.55	67.03	2801- विद्युत	1,645.69	1,048.98	63.74
9.	1054- सड़क एवं पुल	21.69	11.17	51.50	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	89.81	56.27	62.65
10.	0059- लोक निर्माण कार्य	69.00	23.75	34.42	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.99	9.49	59.35
11.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.59	1.90	28.83	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	31.82	16.84	52.92



क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
12.	0406- वानिकी एवं वन्य जीव	106.28	30.62	28.81	2402- मृदा एवं जल संरक्षण	124.98	44.67	35.74
13.	0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.11	4.53	22.53	2851- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	167.20	55.97	33.47
14.	--	--	--	--	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	261.83	78.12	29.84
15.	--	--	--	--	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पूंजीगत परिव्यय	12.67	2.49	19.65
	<b>योग:</b>	<b>1,918.20</b>	<b>1,633.62</b>	<b>85.16</b>	<b>योग:</b>	<b>2,883.74</b>	<b>1,816.28</b>	<b>62.98</b>

स्त्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से प्रमाणित होता है कि 13 मुख्य शीर्षों में लगभग 85 प्रतिशत प्राप्तियाँ '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत तथा 15 मुख्य शीर्षों में लगभग 63 प्रतिशत व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि के वर्गीकरण ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं आवंटन सम्बन्धी प्राथमिकता/ व्यय की गुणवत्ता पर समझ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

राज्य सरकार/वित्त विभाग के साथ अंतिम बैठक (जून 2021) के दौरान वर्ष 2020-21 की राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित मामले पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने बताया कि लघु शीर्ष-800 के तहत बुक राशि समाप्त करने/युक्तिसंगत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा इसके प्रभाव/परिवर्तन आगामी बजट अनुमानों में देखे जा सकेंगे।

### माप से सम्बंधित मुद्दे

#### 4.8 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। उचंत एवं प्रेषण मदों की अनापत्ति राज्य कोषागारों/कार्यों व वन मण्डलों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत विवरण पर निर्भर करती है। विगत तीन वर्षों में मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की प्रास्थिति तालिका-4.8 में दी गई है।

तालिका 4.8: उचंत एवं प्रेषण शेष की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
<b>8658 - उचंत लेखा</b>						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	124.62	56.33	138.83	66.53	133.69	87.07
<b>निवल</b>	<b>68.29 डेबिट</b>		<b>72.30 डेबिट</b>		<b>46.62 डेबिट</b>	
102- उचंत लेखा (सिविल)	1,551.08	164.34	1,854.36	223.31	767.15	271.88
<b>निवल</b>	<b>1386.74 डेबिट</b>		<b>1,631.05 डेबिट</b>		<b>495.27 डेबिट</b>	
110- रिज़र्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	3,755.23	3,755.23	2.24	2.26	26.53	00.00
<b>निवल</b>	<b>निरंक</b>		<b>0.02 क्रेडिट</b>		<b>26.53 डेबिट</b>	
112- स्रोत से कर कटौती उचंत	447.74	468.23	471.25	497.83	00.03	41.60
<b>निवल</b>	<b>20.49 क्रेडिट</b>		<b>26.58 क्रेडिट</b>		<b>41.57 क्रेडिट</b>	
129- सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	139.79	244.17	81.69	219.46	00.00	234.90
<b>निवल</b>	<b>104.38 क्रेडिट</b>		<b>137.77 क्रेडिट</b>		<b>234.90 क्रेडिट</b>	
<b>8782 - एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन</b>						
102- लोक लेखा प्रेषण	7,507.51	8,104.89	6,841.07	7,372.10	00.00	637.47
<b>निवल</b>	<b>597.38 क्रेडिट</b>		<b>531.03 क्रेडिट</b>		<b>637.47 क्रेडिट</b>	
103- वन प्रेषण	124.72	141.58	0.03	16.81	00.00	16.67
<b>निवल</b>	<b>16.86 क्रेडिट</b>		<b>16.78 क्रेडिट</b>		<b>16.67 क्रेडिट</b>	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत लघु शीर्ष 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102-उचंत लेखा (सिविल) एवं 110-रिज़र्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के तहत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं:

**वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101):** इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्संरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। विगत वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 72.30 करोड़ के डेबिट शेष के प्रति बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2022) ₹ 46.62 करोड़ था। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है।

**उचंत लेखा - सिविल (लघु शीर्ष 102):** वे लेनदेन जो कुछ जानकारी/दस्तावेजों (चालन, वाउचर इत्यादि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के तहत बुक किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस लेखा में प्राप्तियां क्रेडिट की जाती हैं एवं व्यय डेबिट किए जाते हैं तथा अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति पर ऋण क्रेडिट व ऋण डेबिट द्वारा समाप्त किए जाते हैं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष दर्शाता है कि 'भुगतान किया गया' परन्तु कुछ वांछित विवरणों के अभाव में व्यय के

अंतिम शीर्ष से डेबिट नहीं किया जा सका तथा बकाया क्रेडिट शेष 'प्राप्तियां' दर्शाता है जो वांछित विवरणों के अभाव में अंतिम प्राप्ति लेखा शीर्ष में क्रेडिट नहीं की जा सकी।

2021-22 के दौरान वित्त लेखाओं में मुख्य रूप से व्यय के संबंधित शीर्षों (राजस्व व्यय: ₹ 1,057.29 करोड़ व पूंजीगत व्यय: ₹ 133.49 करोड़) के तहत ₹ 1,190.78 करोड़ (2019-20 के ₹ 1,183.76 करोड़ व 2020-21 के ₹ 7.02 करोड़) के निपटान/समायोजन एवं बुक करने के कारण उच्चतम शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर ₹ 1,135.78 करोड़ घट कर 2020-21 के ₹ 1,631.05 करोड़ से ₹ 495.27 करोड़ हो गया जो बजट प्रावधानों के प्रति इस सीमा तक व्यय की अन्योक्ति के रूप में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के साक्ष्य के रूप में वाउचर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 78.74 करोड़ राशि (राजस्व व्यय: ₹ 74.28 करोड़ व पूंजीगत व्यय: ₹ 4.46 करोड़) पर आपत्ति की गई तथा इस शीर्ष के तहत बुक किया गया। वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के प्रति ₹ 78.74 करोड़ की आपत्तिजनक राशि को वित्त लेखाओं में राजस्व/पूंजीगत व्यय अथवा विनियोजन लेखाओं में वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया।

वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष (लोक लेखा) के तहत भारी शेष राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

#### 4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को बजट अनुदानों के भीतर सीमित रखने के लिए खर्च को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाने एवं उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य के वित्तीय नियम निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी लेखा-बहियों में दर्ज प्राप्ति व व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की लेखा-बहियों की प्रविष्टियों से हर माह उनके द्वारा किया जाए।

वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 37,316.31 करोड़) एवं राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 42,223.92 करोड़) के इस प्रकार के मिलान पूर्ण किए गए।

#### 4.10 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की लेखा-बहियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए शेष के मध्य दर्शाए गए राज्य के नकद शेष में अंतर नहीं होना चाहिए।

यद्यपि 31 मार्च 2022 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के लेखा में दर्शाए गए आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों के मध्य नकद शेष में ₹ 10.11 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर पाया गया। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा ₹ 45.41 करोड़ (क्रेडिट) का नकद शेष परिकल्पित किया गया था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 55.52 करोड़ (डेबिट) की सूचना दी थी। अंतर का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा लेनदेनों की गलत रिपोर्टिंग तथा उनका मिलान न करना रहा।

### डिस्कलोजर से सम्बंधित मुद्दे

#### 4.11 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखांकन प्रणालियों की परिवृद्धि हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक निरूपित करने हेतु 2002 में सरकारी लेखांकन मानक परामर्श बोर्ड की स्थापना की। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना का विवरण तालिका-4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1	भारत सरकार लेखांकन मानक 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी	आंशिक अनुपालन	भारत सरकार लेखांकन मानक-1 में अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्र-वार एवं श्रेणी-वार डिस्कलोजर वित्त लेखाओं में दर्ज किया जाए। विवरणी 9 व 20 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उसके द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटी राशि पर ब्याज को दर्शाती है। यद्यपि राज्य के वित्त लेखाओं में क्षेत्र-वार विवरण का डिस्कलोजर दिया गया है तथापि श्रेणी-वार विवरण दर्ज नहीं किए गए।
2	भारत सरकार लेखांकन मानक 2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन	भारत सरकार लेखांकन मानक-2 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति की विशेष अनुमोदन के मामले को छोड़कर, सहायता-अनुदान से सम्बंधित व्यय का वर्गीकरण राज्य से व्यय के रूप में किया जाए, भले ही यह परिसंपत्ति सृजन से अंतर्विष्ट हो। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता-अनुदान के लेखांकन व वर्गीकरण से सम्बंधित आवश्यकताएं विवरणी 10 व परिशिष्ट III में दर्शाई गई हैं, जो भारत सरकार लेखांकन मानक-2 की अपेक्षानुसार बनाई जाती है। इस प्रकार से दिए गए सहायता-अनुदान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अनुदेयी को अगली किस्त उपलब्ध कराने से पूर्व उपयोगिता

क्र. सं.	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
			प्रमाणपत्र प्राप्त करने के भारत सरकार लेखांकन मानक के निर्देश सुनिश्चित नहीं किए गए।
3	भारत सरकार लेखांकन मानक 3: सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	आंशिक अनुपालन	वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18 को भारत सरकार लेखांकन मानक 3 के तहत डिस्कलोजर सम्मिलित करके बनाया गया है। वित्त लेखाओं की इन विवरणियों में सूचित किए गए ऋणों व अग्रिमों के विवरण सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण व अग्रिमों के सम्बन्ध में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं एवं उसके द्वारा तैयार किए गए लेखाओं से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम के तहत शेष राशि का पूरी तरह से मिलान नहीं किया गया था। छ: ऋणी संस्थाओं में से पांच ने 31 मार्च 2022 तक विवरण 7 व 18 में दर्शाई गई शेष राशि का मिलान कर लिया है।

स्त्रोत: भारत सरकार के लेखा मानक एवं वित्त लेखे

#### 4.12 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 18 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं (परिशिष्ट-4.3)। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण तालिका-4.10 में दिया गया है:

तालिका- 4.10: निकायों अथवा प्राधिकरणों के बकाया लेखे

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	जब से लेखे लंबित हैं	2021-22 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	08
2.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2017-18	04

तालिका-4.10 से स्पष्ट है कि दो निकायों/प्राधिकरणों (18 में से) के लेखे प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के संदर्भ में चार वर्ष एवं हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के संदर्भ में आठ वर्ष की अवधि तक बकाया रहे। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है एतएव लेखाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।

\* नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम, (ii) हाउसिंग बोर्ड, (iii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, (v) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं (vi) सामान्य वित्तीय संस्थान

सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

#### 4.13 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/ प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/ या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों/संस्थानों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी। किसी भी निकाय/प्राधिकरण (जानकारी मांगी जाने वाले 35 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की (परिशिष्ट-4.3)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत न करना लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त ऐसी जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा किए जाने वाले निकायों/प्राधिकरणों की पहचान नहीं हो सकी साथ ही राज्य की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों एवं ऋणों से किए गए व्यय की शुद्धता, नियमितता/औचित्य की जांच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

#### 4.14 लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता

2021-22 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को मासिक लेखे प्रस्तुत करने वाली समस्त इकाइयों (कोषागार, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई व लोक स्वास्थ्य विभाग तथा वेतन व लेखा कार्यालय, नई दिल्ली) ने उनके लेखे समय पर प्रस्तुत किए तथा छोड़ दिए जाने का कोई मामला नहीं देखा गया।

अन्य मुद्दे

4.15 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 के अनुसार किसी अधिकारी से जानबूझ कर अथवा अनजाने में हुई किसी चूक, कृत्य या उपेक्षा के कारण इन नियमों के नियम 21 में उल्लेखित कारणों से सरकार को हुई किसी हानि के लिए उसे व्यक्तिगत अथवा परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 145(5) के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल खराब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

विगत वर्ष अर्थात् मार्च 2021 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 90.12 करोड़ राशि के दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 42 मामले थे। वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें से ₹ 37.80 करोड़ की राशि वाले 11 मामलों का निपटारा/समाशोधन किया गया। हालांकि, मार्च 2022 तक सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त ₹ 52.32 लाख राशि के दुर्विनियोजन /हानि, चोरी आदि के अभी भी 31 मामले थे, जिन पर अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इन सभी मामलों में संबंधित विभागों ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं इन मामलों में लंबित कार्रवाई के कारणों को तालिका 4.11 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.11: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	03	2.95	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	19	15.84
भू-राजस्व	01	2.57	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	2.57
बागवानी	03	2.89			
पुलिस	01	0.08			
नगर निगम, चम्बा	01	0.42	न्यायालयों में लंबित	03	25.43
गृह रक्षक	02	25.37			
लोक स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	07	8.06
वन	04	5.93			
लोक निर्माण	15	11.16			
			अन्य	01	0.42
<b>योग</b>	<b>31</b>	<b>52.32</b>	<b>योग</b>	<b>31</b>	<b>52.32</b>

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र खोजें।

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा तथा सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या तालिका-4.12 में सारांशित की गई है।

तालिका-4.12: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
0-5	1	0.40	चोरी के मामले	6	3.78
5-10	5	8.50			
10-15	2	0.71	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	25	48.54
15-20	5	26.58			
20-25	7	8.71			
25 व अधिक	11	7.42			
<b>योग</b>	<b>31</b>	<b>52.32</b>	<b>कुल लंबित मामले</b>	<b>31</b>	<b>52.32</b>

हानि के कुल मामलों में से 80.65 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि से सम्बंधित हैं तथा शेष 19.35 प्रतिशत चोरी के मामले हैं। दुर्विनियोजन/चोरी के कुल 31 मामलों में से 61.29 प्रतिशत (19 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने में विलम्ब एवं आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि 30 मामले (कुल 31 में से) पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें 18 वे मामले भी हैं, जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे।

इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के उदासीन दृष्टिकोण से न केवल राज्य के राजकोष को हानि हुई अपितु गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई। सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

#### 4.16 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः उत्तर प्रस्तुत किए। राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर इस तिथि तक चर्चा नहीं की थी।



#### 4.17 निष्कर्ष

- ₹ 4,752.14 करोड़ (3,619 उपयोगिता प्रमाणपत्र) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा में थे, जो विभाग द्वारा अनुदेयी को जारी अनुदानों के संदर्भ में निगरानी के अभाव की परिचायक थे एवं इससे विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- इसी भांति अग्रिमों की पहचान/विशिष्टता जानने के किसी तंत्र के बिना आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सार आकस्मिक बिलों के माध्यम अग्रिमों के आहरण एवं तत्पश्चात निगरानी के अभाव से सरकारी धन के दुर्विनियोजन/दुरुपयोग का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने एवं अनुदानों व ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न करने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत व्यय (₹ 2,255.53 करोड़- कुल व्यय का 5.34 प्रतिशत) व प्राप्तियों (₹ 1,957.37 करोड़- कुल प्राप्तियों का 5.25 प्रतिशत) की उल्लेखनीय राशि बुक की गई जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकता को अस्पष्ट किया।
- ₹ 0.52 करोड़ राशि की चोरी, दुर्विनियोजन/शासकीय सामग्री की हानि एवं गबन के 31 मामले पाए गए, जिनके संबंध में विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।
- राज्य सरकार ने अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक राज्य में अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किए।

#### 4.18 सिफारिशें

- सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार सार आकस्मिक बिलों द्वारा अप्रत्याशित प्रकृति के अग्रिमों के आहरण एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करें।

- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि सम्बंधित स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनके लेखे लेखापरीक्षा को अविलम्ब प्रस्तुत करते हैं।
- राज्य सरकार लेखा-बहियों में लेनदेन सही रूप से वर्गीकृत करने के लिए उचित लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बुक की गई राशि के उचित लेखांकन हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
- राज्य सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य में भारत सरकार लेखांकन मानक पूर्णतः लागू करने के लिए कदम उठाएं।

## अध्याय-V

# राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम



## अध्याय - V

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखाओं से प्रकट हुए उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान (या गत वर्षों के, जिन्हें 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप दिया गया था) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

#### 5.1 सरकारी कंपनियों/ निगमों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित हो तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी<sup>1</sup> को सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

#### 5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, तथा उनके तहत विनियमन किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों के लिए उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी चाहिए।

<sup>1</sup> कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा जारी कंपनी (कठिनाई का निराकरण) सातवां आदेश।

### 5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए की गई हैं तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं राज्य के 25 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 19 सरकारी कंपनियां, दो<sup>2</sup> सांविधिक निगम व चार<sup>3</sup> सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के नाम सहित उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में कार्यशील राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन<sup>4</sup> सरकारी कंपनियां हैं तथा एक<sup>5</sup> सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है। राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पर ऋण में सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी तक (30 सितम्बर 2022) अपना व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में 26 कार्यशील कम्पनियां हैं। 19 सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियां<sup>6</sup> व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में से एक<sup>7</sup> कंपनी निष्क्रिय है। ये विगत चार से 22 वर्षों से अकार्यशील हैं एवं इनमें पूंजीगत (₹ 17.75 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋण (₹ 60.15 करोड़) के रूप में ₹ 77.90 करोड़ का कुल निवेश है। यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता। राज्य सरकार निष्क्रिय कंपनियों के समापन हेतु शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करें।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों

<sup>2</sup> हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम।

<sup>3</sup> धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी)।

<sup>4</sup> हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>5</sup> हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>6</sup> एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड।

<sup>7</sup> हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।

के टर्नओवर व हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे तालिका-5.1 में दिया गया है।

तालिका-5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल टर्नओवर	8,814.81	9,725.96	9,912.71	10,603.36	10,176.86
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर)	1,38,351	1,53,845	1,65,472	1,56,622	1,72,174
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का प्रतिशत	6.37	6.32	5.99	6.77	5.91

स्त्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार टर्नओवर के आंकड़ों व हिमाचल प्रदेश सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर<sup>8</sup> का प्रतिशत वर्ष 2017-18 के 6.37 प्रतिशत से वर्ष 2021-22 में 5.91 प्रतिशत तक घट गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 6,548.60 करोड़ - 2020-21 का टर्नओवर), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 788.16 करोड़ - 2020-21 का टर्नओवर) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 1,359.11 करोड़ - 2018-19 का टर्नओवर) प्रमुख योगदानकर्ता थे।

#### 5.4 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

##### 5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में धारित इक्विटी एवं ऋण

31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 कार्यशील उद्यमों में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा दिया गया इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण तालिका-5.2 में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.2: 31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश <sup>9</sup> (₹ करोड़ में)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार का ऋण	कुल इक्विटी व दीर्घावधि ऋण
विद्युत	3,973.00	2,246.37	12,133.29	7,602.37	16,106.29
वित्त	146.63	139.94	160.40	84.68	307.03
उद्योग एवं आधारभूत ढांचा	62.99	62.87	2.97	2.97	65.96
कृषि एवं संबद्ध	69.33	59.80	72.05	71.65	141.38
सेवा	1,095.20	1,079.00	24.56	0	1,119.76
योग	5,347.15	3,587.98	12,393.27	7,761.67	17,740.42

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

<sup>8</sup> टर्नओवर सम्बंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणियों पर आधारित।

<sup>9</sup> निवेश में इक्विटी व दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश का मुख्य जोर विद्युत क्षेत्र पर रहा जिसने ₹ 17,740.42 करोड़ के कुल निवेश का 90.80 प्रतिशत (₹ 16,106.29 करोड़) प्राप्त किया। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी व ऋण के रूप में किए गए निवेश का विवरण परिशिष्ट-5.2 में दर्शाया गया है।

#### 5.4.2 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजटीय सहायता

हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न रूपों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बड़े खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों हेतु बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका-5.3 में दिया गया है:

तालिका-5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>10</sup>	2019-20		2020-21		2021-22	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	7	335.89	7	263.25	7	272.12
दिया गया ऋण	2	571.26	2	268.83	2	258.72
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	9	691.15	9	983.68	10	885.32
<b>कुल व्यय</b>		<b>1,598.30</b>		<b>1,515.76</b>		<b>1,416.16</b>
ऋण चुकोती/ बड़े खाते में डालना			2	4.18 <sup>11</sup>	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण			-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटियां	7	673.60	8	491.44	8	455.84
गारंटी प्रतिबद्धता/बकाया	8	1,447.15	4	93.74	4	111.37

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 140.48 करोड़) एवं राज्य के विद्युत क्षेत्र के दो उद्यमों<sup>12</sup> (₹ 117.00 करोड़) में इक्विटी का निवेश किया। राज्य सरकार ने राज्य के एक विद्युत् क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश विद्युत् ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड: ₹ 258.14 करोड़) को ऋण उपलब्ध कराया। राज्य सरकार द्वारा

<sup>10</sup> राशि राज्य के बजट से बाहर जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

<sup>11</sup> ₹ 1.93 करोड़ व ₹ 2.25 करोड़ ऋण का पुर्नभुगतान क्रमशः हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया।

<sup>12</sup> हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 50.00 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 67.00 करोड़)



अनुदानों/सब्सिडी का बड़ा भाग हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 521.69 करोड़<sup>13</sup>), हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 101.00 करोड़) तथा शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 147.00 करोड़<sup>14</sup>) को उपलब्ध कराया गया।

#### 5.4.3 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्ति के सापेक्ष कुल कर्ज/ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने की विधियों में से एक है कि क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (सॉल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज अनुपात तालिका-5.4 में दिया गया है।

तालिका-5.4: 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्षेत्र	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्ति	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्ति से दीर्घावधि ऋण अनुपात
		(₹ करोड़ में)		
सरकारी कंपनियां	11	23,226.48	11,576.30	2.00:1
सांविधिक निगम	2	1,219.74	141.49	8.62:1
<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>24,446.22</b>	<b>11,717.79</b>	<b>2.09:1</b>

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य उनके सकल ऋण/ कर्ज से अधिक था।

#### 5.4.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड राज्य की एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी। यद्यपि 1976 से इसके शेयरों में व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं हुआ तथा यह सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। इसलिए कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कंपनी का बाजार पूंजीकरण कंपनी पर लागू नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक अन्य सरकारी कंपनी है। इसके ऋण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

<sup>13</sup> हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली निःशुल्क/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान।

<sup>14</sup> परिचालन एवं प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए।

#### 5.4.5 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम के विनिवेश/पुनर्गठन/निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की।

#### 5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल

##### 5.5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 कार्यशील उद्यमों में से 10 कार्यशील उद्यमों ने 2020-21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 28.18 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 21.47 करोड़ का लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पांच<sup>15</sup> उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे/लाभ व हानि लेखे नहीं बनाए थे अथवा उनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी।

30 सितम्बर 2022 तक हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 13.18 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 3.36 करोड़) ने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभ का योगदान किया। 2021-22 के दौरान राज्य के इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों ने ₹ 21.47 करोड़ के कुल लाभ के अधिकतम 77 प्रतिशत का योगदान किया। 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की वित्तीय स्थिति का सारांश परिशिष्ट-5.3 में दर्शाया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात नीचे तालिका-5.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात
विद्युत्	-445.62	6,732.16	-6.62
विद्युत् के अतिरिक्त	21.97	3,444.70	-0.63
<b>योग</b>	<b>467.59</b>	<b>10,176.86</b>	<b>-4.6</b>

<sup>15</sup> राज्य के वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई या राज्य के वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने लाभ व हानि के लेखे नहीं बनाए: i) धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड iii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, iv) रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड एवं v) ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

### 5.5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार ने नीति बनाई थी (अप्रैल 2011) कि सभी लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) को राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत की सीमा तक करेंगे। 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 कार्यशील उद्यमों ने कुल ₹ 21.47 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया (निष्क्रिय उद्यम-हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड को छोड़कर) तथा जिनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः<sup>16</sup> उद्यमों से राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश घोषित करना अपेक्षित था।

यद्यपि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल दो उद्यमों ने ₹ 0.71 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़)। 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए उनके लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.42 करोड़<sup>17</sup> का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया/प्रदान नहीं किया। लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यम<sup>18</sup> राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने के योग्य नहीं थे।

## 5.6 ऋण अदायगी

### 5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कम्पनी के उपार्जित लाभ को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही। 2019-20 से 2021-22

<sup>16</sup> (i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, (v) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड एवं (vi) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड।

<sup>17</sup> हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.49 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 1.54 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड (₹ 0.12 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (₹ 0.27 करोड़)।

<sup>18</sup> हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

की अवधि के दौरान अधिकतम ब्याज वहन करने वाले राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों एवं सांविधिक निगमों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-5.6 में दिया गया है।

तालिका-5.6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2019-20			2020-21			2021-22		
	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
<b>राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम</b>									
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	457.06	460.72	1.01	476.22	290.90	0.61	476.22	290.90	0.61
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	96.23	17.11	0.18	11.04	(-) 44.27	(-) 4.01	129.55	1.31	0.01
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.13	(-) 31.79	(-) 3.48	129.80	23.82	0.18	111.77	-20.29	(-) 0.18
<b>सांविधिक निगम</b>									
हिमाचल पथ परिवहन निगम	19.90	(-) 134.90	(-) 6.78	15.24	(-) 131.19	(-) 8.61	8.54	(-)31.69	(-)3.71
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम <sup>19</sup>	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम व सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

टिप्पणी: राज्य के विद्युत के अतिरिक्त क्षेत्र के उद्यमों (23) के ब्याज कवरेज अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 11,777.94 करोड़ में से उनकी ऋण/ देयताएं मात्र ₹ 121.05 करोड़ थी।

राज्य के विद्युत् क्षेत्र के किसी भी उद्यम व सांविधिक निगम का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम उनके ब्याज के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

### 5.6.2 राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

30 सितंबर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर) के संबंध में राज्य

<sup>19</sup> वर्ष 2018-22 के आंकड़े समान हैं क्योंकि 2018-19 के बाद राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 2,750.44 करोड़ की ब्याज देयता अर्जित हुई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के इन (सात) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दी गई ऋण की नगण्य राशि के कारण राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विश्लेषण नहीं किया गया। राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के ऋण पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका-5.7 में दिया गया है:

तालिका-5.7: राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	226.69	202.78	23.91
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,960.30	242.96	1,717.34
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	563.45	85.13	478.32
	<b>योग</b>	<b>2,750.44</b>	<b>530.87</b>	<b>2,219.57</b>

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,750.44 करोड़ का उत्पन्न ब्याज भुगतान हेतु लंबित था तथा जिसमें से ₹ 2,219.57 करोड़ का ब्याज एक वर्ष से अधिक के लिए देय था।

## 5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

### 5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पूर्व कंपनी की अर्जित आय को नियोजित पूंजी<sup>20</sup> से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की कुल नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका-5.8 में दिया गया है।

<sup>20</sup> नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका-5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत)
2019-20	342.93	9,678.45	3.54
2020-21	178.87	11,450.50	1.56
2021-22	285.50	12,598.20	2.27

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार प्राप्त जानकारी।

वर्ष 2021-22 में नियोजित पूंजी में बढ़ती वृद्धि एवं ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन में कमी के कारण राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2019-20 के 3.54 प्रतिशत से 2.27 प्रतिशत घट गया। विद्युत क्षेत्र में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2020-21 के ₹ 4.58 करोड़ की तुलना में 2021-22 में ₹ 5.18 करोड़ रहा। इसी भांति राज्य के विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के 2020-21 ₹ 322.01 करोड़ की तुलना में 2021-22 में ₹ 203.64 करोड़ रहा।

### 5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् कर पश्चात् निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना हर उस कंपनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारक निधि दोनों धनात्मक संख्या हो।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों, निवल संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेच दी जाएं एवं सभी ऋण चुका दिए जाएं तब कंपनी के शेयरधारकों हेतु कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 10 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 16.45 प्रतिशत था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल के विवरण नीचे तालिका-5.9 में दिए गए हैं।

तालिका-5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2019-20	(-)280.23	856.81	-
2020-21	(-) 490.37	819.58	-
2021-22	(-) 477.92	782.91	-

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कार्यशील 26 उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक थी, अतः इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

### 5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2022 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयुक्त किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती हैं। अतः जहां कहीं भी परिचालन एवं प्रबंधन खर्च हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों के प्रारंभ होने से 31 मार्च 2022 तक हुए विनिवेशों को शामिल नहीं किया गया। वर्ष 1999-2000 से 2021-22 की अवधि हेतु ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश की कंपनी-वार स्थिति परिशिष्ट-5.4 में इंगित की गई है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से घटा दिया गया है एवं उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>21</sup> हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वो वर्ष हेतु निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

तालिका-5.10: राज्य सरकार द्वारा किए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं वर्ष 1999-2000 से 2021-22 तक सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/सम्बिन्धी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारत औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपाजन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=सी+डी+एफ+जी	आई=बी+एच		के=आई*(1+जे/100)	एल=के-आई		एन=एम/के*100
1999-2000 तक	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	-	-	-	-	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	-	-	-	-	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	-	-	-	-	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	-	-	-	-	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	-	-	-	-	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	-	-	-	120.67	974.23	9.09	1062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1062.78	306.29	-0.10	-	-	-	306.19	1368.97	9.19	1494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1494.78	405.27	-	-	-	-	405.27	1900.05	8.59	2063.27	163.21	-55.92	-
2010-11	2063.27	566.89	-	-	-	-	566.89	2630.16	7.78	2834.78	204.63	-190.77	-
2011-12	2834.78	124.99	9.50	-	-	645.85	-511.36	2323.42	7.80	2504.65	181.23	-224.68	-
2012-13	2504.65	303.72	5.00	-	-	-	308.72	2813.37	8.08	3040.69	227.32	-404.40	-
2013-14	3040.69	287.24	2.54	-	-	-	289.78	3330.47	7.71	3587.25	256.78	-625.17	-
2014-15	3587.25	339.20	-	-	-	550.00	-210.80	3376.45	7.91	3643.53	267.08	-455.69	-
2015-16	3643.53	217.31	14.54	-	-	-	231.85	3875.38	8.37	4199.75	324.37	-332.71	-

<sup>21</sup> भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2] \* 100



वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारत औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=बी+डी+ई+एफ-जी	आई=बी+एच		के=आई*(1+जे/100)	एल=के-आई		एन=एम/के*100
2016-17	4199.75	250.82	10.07	-	-	-	260.89	4460.64	8.13	4823.29	362.65	-105.47	-
2017-18	4823.29	232.91	8.00	-	-	-	240.91	5064.20	8.41	5490.10	425.90	-123.81	-
2018-19	5490.10	312.85	10.00	-	-	-	322.85	5812.95	8.32	6296.58	483.64	-183.99	-
2019-20	6296.58	335.91	-	-	114.89	-	450.80	6747.38	7.97	7285.15	537.77	-270.79	-
2020-21	7285.15	263.25	-1.35	-	236.84	-	498.74	7783.89	7.59	8374.69	590.80	-480.93	-
2021-22	8374.69	272.12	-	-	153.33	-	425.45	8800.14	7.37	9448.71	648.57	-467.18	-
		4,767.70	62.60	-	505.06	1,195.85	4,139.51						

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

31 मार्च 2022 तक इन कंपनियों में राज्य सरकार का निवल निवेश ₹ 4,139.51 करोड़ रहा, जो राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिवेश के ₹ 1,195.85 करोड़ के समायोजन (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 537.15 करोड़ एवं 2014-15 में ₹ 550.00 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 108.70 करोड़) के पश्चात् था। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 9,448.71 करोड़ था। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के लिए वास्तविक प्रतिफल की दर (-) 4.94 प्रतिशत थी। वर्ष 2000-01 के बाद से कंपनियों का कुल उपार्जन ऋणात्मक ही रहा, जो परिचायक है कि निवेशित निधि पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय ये कंपनियां पूंजी की लागत की वसूली करने में भी सक्षम नहीं थीं।

## 5.8 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

### 5.8.1 हानि

31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विवरण तालिका-5.11 में दिए गए हैं।

तालिका-5.11: 2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हुई हानि

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष में हुई निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ <sup>22</sup>
		(₹ करोड़ में)		
<b>सांविधिक निगम (क)</b>				
2019-20	2	160.30	1,553.84	(-) 674.78
2020-21	2	151.93	1,700.26	(-) 741.82
2021-22	2	45.73	1,740.49	(-) 718.27
<b>सरकारी कंपनियां (ख)</b>				
2019-20	7	156.22	436.91	1,804.39
2020-21	8	366.67	2,253.44	1,009.34
2021-22	10	452.82	2,511.28	1,072.39
<b>कुल (क+ख)</b>				
2019-20	9	316.52	1,990.75	1,129.61
2020-21	10	518.60	3,953.70	267.52
2021-22	12	498.55	4,251.77	354.12

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 498.55 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 40.23 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी क्रमशः ₹ 185.32 करोड़, ₹ 132.06 करोड़ एवं ₹ 128.24 करोड़ की हानि के भागीदार बने।

### 5.8.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,378.24 करोड़ की संचित हानि पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों में 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 498.55 करोड़ की हानि हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ ऋणात्मक था। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 1,920.12 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति उनका नेटवर्थ (-) ₹ 1,847.69 करोड़ था। 31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यमों में ₹ 2,081.07 करोड़ की सरकारी इक्विटी निवेशित थी एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों में ₹ 3,219.98 के सरकारी ऋण बकाया थे।

<sup>22</sup> नेट वर्थ का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी एवं मुक्त भंडार व अधिशेष का कुल योग कम (-) संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय तथा मुक्त भंडार का अर्थ है लाभ व शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार।

पूंजी का क्षरण हो चुके राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्यमों में से दो<sup>23</sup> उद्यमों ने 30 सितम्बर तक 2022 के उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 1.52 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जैसाकि तालिका-5.11 में विवर्णित है।

तालिका-5.11: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों का विवरण जिनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उनका नेटवर्थ समाप्त हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर व लाभांश के पश्चात् निवल लाभ/हानि	संचित हानियां (-)	नेटवर्थ	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के ऋण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2020-21	807.23	-185.32	-1,705.92	-898.69	857.23	3,015.13
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2020-21	38.77	-1.66	-86.75	-47.98	31.20	60.09
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2018-19	11.71	0.98	-113.04	-101.33	11.71	0
4.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2017-18	99.57	-5.5	-166.56	-66.99	92.98	84.61
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	2019-20	9.25	0.54	-13.43	-4.18	9.22	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2016-17	12.30	-2.43	-24.51	-12.21	14.30	0.00
7.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2020-21	922.65	-40.23	-1,573.93	-651.28	1047.68	0.00
8.	एग्री इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	-0.04	-78.23	-60.51	16.75	60.15
9.	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	0.92	-0.01	-5.44	-4.52	0	0
सकल योग			1,920.12	-233.67	-3,767.81	-1,847.69	2,081.07	3,219.98

\* कॉलम 8 व 9 में दिए गए आंकड़े अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं।

## 5.9 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

### 5.9.1 वित्तीय बदलाव

2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय योजना एवं त्रिपक्षीय समझौता जापान प्रावधानों के अनुसार 15 सितम्बर 2015 को राज्य डिस्कॉम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत

<sup>23</sup> हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड।

बोर्ड लिमिटेड) से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,854.00 करोड़) में से कुल ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत सब्याज ऋण के माध्यम से उपलब्ध से करवाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि को वर्ष 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत को इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। यद्यपि उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अभी तक अनुदान (₹ 2167.50 करोड़) व इक्विटी (₹ 723.00 करोड़) में अब तक परिवर्तित नहीं किया गया (मार्च 2022)। डिस्कॉम ने फरवरी 2017 से मार्च 2021 की अवधि एवं अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि हेतु ₹ 912.00 करोड़ का ब्याज भुगतान किया, कुल ब्याज देयता ₹ 228.00 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 25.00 करोड़ को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समायोजित किया, इस प्रकार 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उदय योजना के तहत दिए गए ऋण पर ₹ 203.00 करोड़ की बकाया ब्याज देयता थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7.49 प्रतिशत से 8.19 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया था। सब्याज ऋणों को परिवर्तित न करने का प्रभाव यह है कि वर्ष 2021-22 हेतु राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 1,114.76 करोड़) ₹ 1,052.74 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा।

#### 5.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा या टिप्पणियां जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

#### 5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं। अगस्त 2021 व जून 2022 के मध्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु उपर्युक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

## 5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

### 5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाए। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष की उक्त आम वार्षिक बैठक में विचार करने के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का प्रावधान भी करती है। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित है।

### 5.12.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 26 कंपनियों (हिमाचल वस्टेड मिल्स लिमिटेड, जो 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया में है, को छोड़कर 22 सरकारी कंपनियों व चार<sup>24</sup> सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों) थीं। इनमें से एक<sup>25</sup> कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु लेखे एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 25 उद्यमों के वर्ष

<sup>24</sup> हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

<sup>25</sup> ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

2020-21 या पूर्ववर्ती वर्षों के लेखे प्रस्तुत किए। 30 सितम्बर 2022<sup>26</sup> तक या इससे पूर्व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों<sup>27</sup> के 20<sup>28</sup> वार्षिक वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया गया। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) के 73 वार्षिक लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों (सरकारी कंपनियों: 22 व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों: चार) के सम्बन्ध में बकाया वार्षिक लेखाओं के विवरण नीचे तालिका-5.12 में दिए गए हैं:

**तालिका 5.12: 30 सितम्बर 2022 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं व बकाया लेखाओं का विवरण**

विवरण	सरकारी कंपनियों	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों	कुल
31 मार्च 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	22	04	26
30 नवम्बर 2021 को बकाया लेखाओं की संख्या	56	06	62
कंपनियों की संख्या, जिनके लेखे वर्ष 2021-22 हेतु बकाया हो गए थे	22	04	26
<b>अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए बकाया लेखाओं की कुल संख्या</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>88</b>
1 दिसंबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक के लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	16	04	20
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	11	04	15
30 सितम्बर 2022 को बकाया लेखाओं की संख्या	67	06	73
<b>बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण</b>	<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या (30 सितम्बर 2022 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखे)</b>		
एक वर्ष	7 (7)	2(2)	9 (9)
दो वर्ष व तीन वर्ष	9(23)	2(4)	11 (27)
तीन वर्ष से अधिक	6(37)	-	6(37)
<b>योग</b>	<b>22 (67)</b>	<b>4 (6)</b>	<b>26 (73)</b>

30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं की संख्या एवं कंपनियों के नाम परिशिष्ट-5.5 में दर्शाए गए हैं।

<sup>26</sup> वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनियों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की तिथि 30 सितम्बर 2022 थी।

<sup>27</sup> सरकारी कंपनियों: 15 व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों: तीन।

<sup>28</sup> धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड से: दो-दो एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 16 उद्यमों से: एक-एक।

लेखाओं के अभाव में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का सही आंकलन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग/कंपनियों के प्रमुख के साथ बकाया लेखाओं के मामले को उठाया गया (सितंबर 2021)। यद्यपि, 30 सितम्बर 2022 तक अभी भी ऐसी छः कंपनियां थीं जिनके लेखे तीन साल से अधिक समय से बकाया थे।

### 5.12.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों<sup>29</sup> में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संचालित की जाती है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। 30 सितम्बर 2022 तक इन दो सांविधिक निगमों के पांच लेखे (हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम: चार एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम: एक) लेखापरीक्षा हेतु बकाया थे।

## 5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

### 5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में वित्तीय विवरणी बनाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

### 5.13.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा

<sup>29</sup> हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके; एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

### 5.13.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की होती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणी हो, तो उसे वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

## 5.14 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

### 5.14.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 18 कंपनियों<sup>30</sup> के 20 लेखाओं की लेखापरीक्षा में समीक्षा की। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष के दौरान<sup>31</sup> कुल

<sup>30</sup> सरकारी कंपनियां: 15 एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: तीन।

<sup>31</sup> 2014-15: एक; 2015-16: एक; 2017-18: दो; 2018-19: पांच; 2019-20: 11 व 2020-21: तीन।



मिलाकर 18 कंपनियों के सभी 20 लेखाओं<sup>32</sup> की समीक्षा की, जो 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त किए गए/अन्तिम रूप दिए गए थे। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

#### 5.14.2 वित्तीय विवरणियों का संशोधन

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देश पर उनकी वित्तीय विवरणियों में संशोधन करने का कोई मामला नहीं पाया गया। यद्यपि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियां सांविधिक लेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त की गई थीं (अप्रैल 2022) तथापि निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने से उन्हें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निदेशक मंडल के अनुमोदन एवं तदोपरांत सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार करने हेतु वापस कर दिया गया (अप्रैल 2022)।

#### 5.14.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2021-22 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 01 दिसंबर 2021 व 30 सितम्बर 2022 के मध्य संचालित वर्ष 2021-22 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पुनरीक्षण का कोई मामला नहीं पाया गया।


#### 5.14.4 अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में, जैसाकि परिशिष्ट-5.6 दर्शाया गया है, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं साथ ही गुणात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों में संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षित लेखाओं में हुए मूल्यवर्धन (लाभप्रदता पर ₹ 189.67<sup>33</sup> करोड़ व परिसंपत्ति/देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़) को नीचे चार्ट-5.1 में दर्शाया गया है:

<sup>32</sup> धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: दो-दो एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 16 उद्यम: एक-एक।

<sup>33</sup> अत्योक्ति: {लाभ (₹ 17.36 करोड़) व हानि (₹ 47.88 करोड़)} व न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 124.20 करोड़) व लाभ (₹ 0.23 करोड़)}।

चार्ट 5.1- जनवरी 2022 से सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप दी गई वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का विवरण



### 5.15 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2022 तक दो सांविधिक निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से तीन अकार्यशील उद्यम हैं। 30 सितंबर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 78 लेखे बकाया थे।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,378.24 करोड़ की संचित हानियां पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों को 30 सितंबर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹ 498.55 करोड़ की हानि हुई।
- राज्य सरकार की नीति के अनुपालन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों ने 30 सितंबर 2022 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹ 0.71 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया जबकि लाभ कमाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.42 करोड़ का लाभांश भुगतान/प्रदान नहीं किया।

### 5.16 सिफारिशें

- राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें, क्योंकि लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में किए गए सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहते हैं।

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यम न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं एवं न ही अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने/पूर्ण करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार लाभांश नीति के निर्देशों की अनुपालना हेतु लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश घोषित/अदायगी करना सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, जिनके नेटवर्थ का क्षरण हो गया, घाटे के कारणों का विश्लेषण करें तथा उनके परिचालन को कुशल एवं लाभदायक बनाने के लिए प्रयास करें।

चंदा

(चंदा मधुकर पंडित)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 22 मार्च 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 24 मार्च 2023



परिशिष्ट



## परिशिष्ट

### परिशिष्ट-1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1)

#### राज्य रूपरेखा

#### अ सामान्य विवरण

क्र. सं.	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 प्रति वर्ग किलोमीटर
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना के अनुसार (2011) 2021 (अनुमानित)	0.69 करोड़ 0.74 करोड़
3.	क) जनसंख्या का घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत)	109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत)	8.06% (21.92 %)
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत)	76.48% (64.84%) 82.80% (73%)
6.	(क) शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000सजीव जन्म के प्रति शिशु मृत्यु दर) (2020) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2015-19) (अखिल भारतीय औसत)	17 (28) 73.1 (69.7)
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 (₹ करोड़ में)	1,75,173
8.	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2021-22) (₹ में)	हिमाचल प्रदेश 2,34,377 अखिल भारतीय 1,72,919
9.	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (2012-13 से 2021-22)	हिमाचल प्रदेश 8.68 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 9.99 अखिल भारतीय 10.11
10.	मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2012-13 से 2021-22)	हिमाचल प्रदेश 7.83 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 8.86 अखिल भारतीय 8.86
11.	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	हिमाचल प्रदेश 7.34 उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य 13.00 अखिल भारतीय 12.12

#### ब वित्तीय विवरण

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर		2012-13 से 2015-16		2016-17 से 2019-20		2019-20 से 2020-21		2020-21 से 2021-22	
विवरण		उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	हिमाचल प्रदेश	उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	हिमाचल प्रदेश	उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	हिमाचल प्रदेश	उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्य	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियां	11.51	14.54	7.21	5.39	6.95	8.77	18.08	11.58
ख	स्व कर राजस्व	10.22	13.12	7.75	2.70	2.92	6.03	19.62	20.18
ग	कर भिन्न राजस्व	7.16	10.09	10.88	13.36	-14.65	-12.51	2.90	19.37
घ	कूल व्यय	11.47	11.28	9.40	4.21	4.58	7.70	16.14	8.78
ङ	पूजीगत व्यय	7.70	11.13	7.10	-6.04	10.37	-0.05	28.31	13.82
च	राजस्व व्यय	12.17	11.30	9.82	6.63	3.60	9.13	13.86	7.93
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.98	6.32	10.63	7.52	3.13	3.34	8.28	5.74
ज	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.35	10.96	14.10	11.39	15.46	5.78	18.04	17.41
झ	वेतन व मजदूरी पर राजस्व व्यय	10.67	4.06	12.41	6.64	0.24	1.38	7.53	2.42
ञ	पेंशन पर राजस्व व्यय	16.34	11.77	16.28	10.09	11.38	10.90	25.75	5.10
ट	सब्सिडी पर राजस्व व्यय	25.71	33.40	7.26	11.81	8.74	16.19	0.22	-4.24

स्रोत: वित्त लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की जानकारी (2011), हिमाचल प्रदेश के अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

**परिशिष्ट-1.2**

(संदर्भ: परिच्छेद 1.4.2)

**31 मार्च 2021 व 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय प्रास्थिति**

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक
<b>आंतरिक ऋण -</b>	<b>42,918.21</b>	<b>44,376.03</b>
सब्याज बाजार ऋण	31,897.10	33,772.10
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.06	0.06
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.61	18.68
नाबार्ड से प्राप्त ऋण	2,969.28	3,164.12
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	140.06	120.43
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड	2,890.50	2,890.50
अन्य संस्थानों से ऋण	40.74	20.38
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम व अधिविकर्ष	0	0
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,958.86	4,389.76
<b>केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम -</b>	<b>3,261.54*</b>	<b>6,751.41*</b>
आयोजनागत ऋण	2.38	1.94
राज्य की आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	3,259.03	3,162.03
1984-85 के पूर्व के ऋण	0.13	0.13
राज्य हेतु अन्य ऋण	0	3,587.31
<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	16,522.64	17,006.28
निकोप व अग्रिम	3,461.64	3,426.66
आरक्षित निधि	2,717.19	1,973.90
उचंत व विविध शेष	-1,539.83	- 292.98
प्रेषण शेष	541.91	653.50
<b>कुल</b>	<b>67,888.30</b>	<b>73,899.80</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>		
<b>अचल संपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -</b>	<b>49,430.11</b>	<b>55,459.49</b>
कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	4,562.40	4,913.00
अन्य पूंजीगत व्यय	44,867.71	50,546.49
<b>ऋण व अग्रिम -</b>	<b>7,687.59</b>	<b>8,024.83</b>
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	7,274.42	7,644.83
अन्य विकास ऋण	384.83	354.51
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	28.34	25.49
<b>विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
प्रेषण शेष	0	0
<b>नकद</b>	<b>1,756.24</b>	<b>2,522.86</b>
कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण	59.96	-45.41
विभागीय नकद शेष	0.19	0.19
स्थायी अग्रिम/नकद अग्रदाय	0	0
नकद शेष निवेश	1,696.09	2,568.08
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	0	0
चिन्हित (इरमार्कड) निधियों से निवेश	0	0
<b>उचंत व विविध शेष</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
पूर्णांकन के कारण जुड़ा अंतर	0	0
<b>सरकारी लेखा में घाटा</b>	<b>9,014.36</b>	<b>7,892.62</b>
<b>योग</b>	<b>67,888.30</b>	<b>73,899.80</b>

स्रोत: वित्त लेखा

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति के बदले में 2020-22 के दौरान भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को शामिल किया गया है, जिसका भुगतान राज्य द्वारा अपने स्रोतों से नहीं किया जाना है।



## परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1 व 2.4.1)

## राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>भाग-क: प्राप्तियां</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>27,367</b>	<b>30,950</b>	<b>30,742</b>	<b>33,438</b>	<b>37,309</b>
(i) कर राजस्व (अ+ब)	11,909	13,003	12,302	12,837	17,064
(अ) स्व कर राजस्व	7,108(26)	7,573(24)	7,624(25)	8,083(24)	9,715 (26)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,833(26)	3,343(44)	3,550(47)	3,467 (43)	4,482 (46)
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2,526(36)	1,185(16)	1,170(15)	1,630 (20)	1,592 (16)
राज्य आबकारी	1,311(18)	1,482(20)	1,660(22)	1,600 (20)	1,981 (20)
वाहन कर	367(5)	408(5)	466(6)	380 (5)	510 (5)
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	229(3)	251(3)	260(4)	253 (3)	318 (3)
विद्युत पर कर व शुल्क	361(5)	487(7)	101(1)	402 (5)	394 (4)
भू-राजस्व	17(-)	8(-)	5(-)	7 (-)	5 (-)
वस्तु व यात्री कर	112(2)	104(1)	104(1)	84 (1)	99 (1)
अन्य कर	352(5)	305(4)	308(4)	261 (3)	341 (4)
(ब) संचयी करों व शुल्क में राज्यांश	4,801(17)	5,430(18)	4,678(15)	4,754 (14)	7,349 (20)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	2,364(9)	2,830(9)	2,501(8)	2,188 (7)	2,612 (7)
(iii) भारत सरकार से सहायता अनुदान	13,094(48)	15,117(49)	15,939(52)	18,413(55)	17,633 (47)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्ति</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>3. ऋण व अग्रिम की वसूली</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>40</b>
<b>4. कुल राजस्व व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>27,442</b>	<b>30,981</b>	<b>30,765</b>	<b>33,464</b>	<b>37,356</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>5,600</b>	<b>6,427</b>	<b>10,847</b>	<b>16,749<sup>5</sup></b>	<b>9,335<sup>5</sup></b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	5,118 (91)	4,864 (76)	7,333 (67)	6,693 (40)	4,704 (51)
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	400 (7)	1,496 (23)	3,444 (32)	7,744 (46)	1043 (11)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	82 (2)	67 (1)	70 (1)	2,312 <sup>5</sup> (14)	3,587 <sup>5</sup> (38)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)</b>	<b>33,042</b>	<b>37,408</b>	<b>41,612</b>	<b>50,213<sup>5</sup></b>	<b>46,692<sup>5</sup></b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियां</b>	<b>14,680</b>	<b>16,121</b>	<b>22,569</b>	<b>15,445</b>	<b>15183</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>47,722</b>	<b>53,529</b>	<b>64,181</b>	<b>65,658<sup>5</sup></b>	<b>61,875<sup>5</sup></b>
<b>भाग-ख: व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>27,053</b>	<b>29,442</b>	<b>30,730</b>	<b>33,535</b>	<b>36,195</b>
आयोजनागत	3,772 (14)	4,263 (14)	4,028 (13)	4,983 (15)	-
आयोजनेत्तर	23,281 (86)	25,179 (86)	26,702 (87)	28,552 (85)	-
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	11,009 (41)	11,438 (39)	12,335 (40)	13,454 (40)	13,900 (39)
सामाजिक सेवाएं	10,337 (38)	11,482 (39)	12,047 (39)	12,844 (38)	13,882 (38)
आर्थिक सेवाएं	5,697 (21)	6,512 (22)	6,338 (21)	7,227 (22)	8,405 (23)
सहायता अनुदान व अंशदान	10 (-)	10 (-)	10 (-)	9 (-)	8 (-)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>3,756</b>	<b>4,583</b>	<b>5,174</b>	<b>5,309</b>	<b>6,029</b>
आयोजनागत	3416 (91)	4,102 (90)	4,820 (93)	5,033 (95)	-
आयोजनेत्तर	340 (9)	481 (10)	354 (7)	276 (5)	-

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	192 (5)	227 (5)	204 (4)	170 (3)	390 (6)
सामाजिक सेवाएं	1,135 (30)	1,187 (26)	1,258 (24)	1,736 (33)	1925 (32)
आर्थिक सेवाएं	2,429 (65)	3,169 (69)	3,712 (72)	3,403 (64)	3,715 (62)
<b>12. ऋण व अग्रिम का संवितरण</b>	<b>503</b>	<b>468</b>	<b>458</b>	<b>320</b>	<b>378</b>
<b>13. कुल व्यय (10+11)</b>	<b>31,312</b>	<b>34,493</b>	<b>36,362</b>	<b>39,164</b>	<b>42,602</b>
<b>14. लोक ऋण की अदायगी</b>	<b>3,500</b>	<b>4,673</b>	<b>6,701</b>	<b>11,141</b>	<b>4,387</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़कर)	3,021	3,092	3,169	3,302	3,246
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	400	1,496	3,444	7,744	1,043
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	79	85	88	94	44
<b>15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>34,812</b>	<b>39,166</b>	<b>43,063</b>	<b>49,210</b>	<b>46,989</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>13,043</b>	<b>14,493</b>	<b>20,111</b>	<b>14,657</b>	<b>14,119</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>47,855</b>	<b>53,659</b>	<b>63,174</b>	<b>63,867</b>	<b>59,967</b>
<b>भाग-ग: घाटा/अधिशेष</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)</b>	<b>314</b>	<b>1,508</b>	<b>12</b>	<b>(-) 97</b>	<b>1,115</b>
<b>21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)</b>	<b>(-) 3,870</b>	<b>(-) 3,512</b>	<b>(-) 5,597</b>	<b>(-) 5,700</b>	<b>(-) 5,245</b>
<b>22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)</b>	<b>(-) 82</b>	<b>510</b>	<b>(-) 1,363</b>	<b>(-) 1,227</b>	<b>(-) 604</b>
<b>भाग-घ: अन्य डेटा</b>					
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)</b>	<b>3,788</b>	<b>4,022</b>	<b>4,234</b>	<b>4,472</b>	<b>4,641</b>
<b>24. स्थानीय निकाय, आदि को वित्तीय सहायता</b>	<b>2,895</b>	<b>3,634</b>	<b>3,506</b>	<b>4,563</b>	<b>4,981</b>
<b>25. प्राप्त किया अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष (दिवस)</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>16</b>
प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	2	19	25	51	16
प्राप्त अधिविकर्ष (दिवस)	-	-	13	12	0
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.61</b>	<b>6.12</b>	<b>0.25</b>
		(0.96)			
<b>27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद</b>	<b>1,38,551</b>	<b>1,48,383</b>	<b>1,59,162</b>	<b>1,56,675</b>	<b>1,75,173</b>
<b>28. बकाया राजकोषीय देयता (वर्षांत)</b>	<b>51,030</b>	<b>54,299</b>	<b>62,212</b>	<b>68,882<sup>5</sup></b>	<b>73,535</b>
<b>29. बकाया गारंटियां (वर्षांत) (ब्याज सहित)</b>	<b>4,394</b>	<b>4,309</b>	<b>1,947</b>	<b>2,142</b>	<b>1,185</b>
<b>30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्षांत)</b>	<b>8,848</b>	<b>5,181</b>	<b>640</b>	<b>2,299</b>	<b>2,035</b>
<b>31. अपूर्ण परियोजना की संख्या</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>78</b>	<b>74</b>
<b>32. अपूर्ण परियोजना में अवरूध पंजी</b>	<b>176</b>	<b>181</b>	<b>268</b>	<b>1,014</b>	<b>968</b>

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति के बदले में 2021-22 के दौरान भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 4,412.22 करोड़ (₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22)) को शामिल किया गया है।

## परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1)

## वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

विवरण	2020-21	2021-22	विवरण	2020-21	2021-22
I- राजस्व प्राप्तियां	33,438.27	37,309.30	I- राजस्व व्यय	33534.93	36194.54
(i) कर राजस्व	8,083.31	9,714.58	सामान्य सेवाएं	1354.26	13899.76
(ii) कर भिन्न राजस्व	2,188.46	2,612.36	सामाजिक सेवाएं	12843.81	13882.41
(iii) संघ करों व शुल्क में राज्यांश	4,753.92	7,349.04	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6344.45	6708.29
(iv) केंद्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	4,221.29	5,420.75	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2195.02	2577.27
(v) वित्त आयोग के अनुदान	12,424.10	1,168.31	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1961.25	2140.4
(vi) विधायिका वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,767.19	1,168,30.79	सूचना और प्रसारण	55.74	58.71
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	121.16	155.79
			श्रम और श्रमिक कल्याण	193.58	261.83
			समाज कल्याण और पोषण	1955.86	1956.45
			अन्य	16.75	23.67
			आर्थिक सेवाएं	7227.49	8404.66
			कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2387.97	2568.72
			ग्रामीण विकास	1398.04	1286.06
			सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	396.45	394.51
			ऊर्जा	530.25	1649.91
			उद्योग और खनिज	207.82	194.64
			परिवहन	2102.16	2124.55
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9.72	15.96
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	195.08	170.31
			सहायता-अनुदान एवं अंशदान	9.37	7.71
<b>कुल</b>	<b>33438.27</b>	<b>37309.30</b>	<b>कुल</b>	<b>33534.93</b>	<b>36194.54</b>
II-खंड -ख से लिया गया राजस्व घाटा	96.66		II-खंड -ख से लिया गया राजस्व अधिशेष		1114.76
<b>योग:</b>	<b>33534.93</b>	<b>37309.30</b>	<b>कुल:</b>	<b>33534.93</b>	<b>37309.30</b>
खंड-ख: पूंजीगत					
III-स्थायी अग्रिम व नकद शेष सहित अथ नकद शेष	1060.18	1756.24	III- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आरंभिक अधिविकर्ष		
IV- विविध पूंजी	2.88	7.01	IV- पूंजीगत परिव्यय	5309.21	6029.38
			सामान्य सेवाएं	169.54	389.63
			सामाजिक सेवाएं	1736.19	1925.31
			शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	355.54	488.72
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	302.05	293.80
			जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1066.40	1113.09
			सूचना और प्रसारण	0.77	0.63
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.04	12.67
			समाज कल्याण और पोषण	3.25	14.39
			अन्य	2.14	2.01
			आर्थिक सेवाएं	3403.48	3714.44

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण	2020-21	2021-22	विवरण	2020-21	2021-22
			कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	93.09	89.89
			अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10.36	38.52
			सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	386.65	312.50
			ऊर्जा	196.98	128
			उद्योग व खनिज	17.27	122.73
			परिवहन	2521.96	2602.47
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.17	420.33
			<b>कुल</b>	<b>5309.21</b>	<b>6029.38</b>
V- ऋणों व अग्रिमों की वसूली	23.02	40.73	V- ऋणों व अग्रिमों का सवितरण	320.12	377.97
विद्युत परियोजनाओं से	0	0	विद्युत परियोजनाओं के लिए	254.32	370.40
सरकारी कर्मचारियों से	6.32	5.67	सरकारी कर्मचारियों के लिए	2.81	2.82
सहकारिता से	16.33	34.88	सहकारिता के लिए	58.56	4.00
अन्य से	0.37	0.18	अन्य के लिए		
VI- घटा राजस्व अधिशेष		1114.76	VI- घटा राजस्व अधिशेष	96.66	
VII- लोक ऋण प्राप्तियां	16749.21	9334.97	VII- लोक ऋण की अदायगी	11141.04	4387.28
अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	6692.87	4703.98	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3302.43	3246.16
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिम	7744.47	1043.49	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष	7744.47	1043.49
केंद्र सरकार के ऋण व अग्रिम	2311.87	3587.50	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम अदायगी	94.14	97.64
VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन	0	0	VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन	0	0
IX- आकस्मिक निधि में अंतरित राशि	0	0	IX- आकस्मिक निधि से व्यय	0	0
X- लोक लेखा प्राप्तियां	15444.89	15182.79	X- लोक लेखा सवितरण	14656.91	14119.00
लघु बचत व भविष्य निधि	3665.79	3562.18	लघु बचत व भविष्य निधि	2680.28	3078.54
आरक्षित निधि	564.40	417.15	आरक्षित निधि	569.51	1160.45
निक्षेप व अग्रिम	3555.45	3566.08	निक्षेप व अग्रिम	3474.10	3601.06
उचत व विविध	884.56	1063.49	उचत व विविध	1093.95	-183.35
प्रेषण	6777.69	6573.89	प्रेषण	6839.07	6462.320
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंत अधिविकर्ष			XI- अंत में नकद शेष	1756.24	2522.86
			कोषागार व स्थानीय प्रेषण नकद	0	0
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	0.19	0.19
			रिजर्व बैंक में जमा	59.96	-45.41
			नकद शेष निवेश	1696.09	2568.08
<b>योग</b>	<b>33280.18</b>	<b>27436.50</b>		<b>33280.18</b>	<b>27436.50</b>

## परिशिष्ट-2.3 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 53)

## लोक ऋण के वास्तविक एवं प्राक्कलन (मूलधन + ब्याज)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>वास्तविक</b>										
उधार (अर्थोपाय अग्रिम सहित)	3,371	3,421	4,017	4,344	4,041 <sup>@</sup>	5,200	4,931	7,403	7,288*	5,597*
वृद्धि दर (प्रतिशत)	69.92	1.47	17.42	8.14	-6.98	28.68	-5.17	50.13	-1.55	-23.20
लोक ऋण की अदायगी (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़ कर) (मूल)	2,117	1,075	1,400	2,163	2,272	3,100	3,177	3,257	3,397	3,344
वृद्धि दर (प्रतिशत)	87.68	-49.22	30.23	54.50	5.04	36.44	2.48	2.52	4.30	-1.56
ब्याज भुगतान	1,710	1,802	2,029	2,244	2,459	2,829	2,958	3,071	3,228	3,422
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.04	5.38	12.60	10.60	9.58	15.03	4.58	3.81	5.10	6.04
<b>प्राक्कलित</b>										
वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
आरंभिक लोक ऋण स्टॉक	68,630	70,693	73,118	75,951	79,240	83,038	87,400	92,386	98,058	1,04,480
नए उधार	6,374	7,259	8,268	9,416	10,723	12,212	13,908	15,839	18,039	20,544
उधार वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.89 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर प्राक्कलित (विगत दस वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर का औसत)									
नए उधारों पर ब्याज	3,315	3,775	4,299	4,896	5,576	6,350	7,232	8,236	9,380	10,682
ब्याज वृद्धि दर (प्रतिशत)	52 प्रतिशत की दर पर प्राक्कलित (परिपक्वता तक भुगतान किए जाने वाले कुल ब्याज से आरंभिक लोक ऋण स्टॉक का अनुपात)									
लोक ऋण की अदायगी (मूल)	3,920	4,596	5,389	6,318	7,407	8,684	10,181	11,936	13,994	16,407
लोक ऋण की अदायगी पर वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.24 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर प्राक्कलित (विगत दस वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर का औसत)									
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	3,706	4,013	4,345	4,705	5,094	5,516	5,973	6,467	7,003	7,582
लोक ऋण के ब्याज भुगतान पर वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.28 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर प्राक्कलित (विगत दस वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर का औसत)									
<b>अंत लोक ऋण स्टॉक</b>	<b>70,693</b>	<b>73,118</b>	<b>75,951</b>	<b>79,240</b>	<b>83,038</b>	<b>87,400</b>	<b>92,386</b>	<b>98,058</b>	<b>1,04,480</b>	<b>1,11,717</b>

स्रोत: वास्तविक हेतु वित्त लेखे

<sup>@</sup> उदय योजना के ₹ 2,890.50 करोड़ शामिल नहीं हैं।

\* बकाया लोक ऋण से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त 2020-21 के दौरान ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है।

**परिशिष्ट-2.3 (ख)**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 53)

**राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, राजस्व घाटे एवं ऋण पर ब्याज भुगतान के वास्तविक एवं प्राक्कलन**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>वास्तविक</b>										
राजस्व प्राप्तियाँ	15,598	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950	30,742	33,438	37,309
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.25	0.72	13.57	31.37	12.05	4.20	13.09	-0.67	8.77	11.58
राजस्व व्यय	16,174	17,352	19,787	22,303	25,344	27,053	29,442	30,730	33,535	36,194
वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.38	7.28	14.03	12.72	13.63	6.74	8.83	4.38	9.13	7.93
राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+)	-576	-1,641	-1,944	1,137	920	314	1,508	12	-97	1,115
ब्याज भुगतान	1,710	1,802	2,029	2,244	2,459	2,829	2,958	3,071	3,228	3,422
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.04	5.38	12.60	10.60	9.58	15.03	4.58	3.81	5.10	6.04
ब्याज भुगतान / राजस्व घाटा या राजस्व अधिशेष (प्रतिशत)	-297	-110	-104	197	267	901	196	26,543	-3,330	307
<b>प्राक्कलित</b>										
वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
राजस्व प्राप्तियाँ	41,112	45,303	49,920	55,009	60,616	66,794	73,603	81,105	89,372	98,482
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.19 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर प्राक्कलित (विगत दस वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर का औसत)									
राजस्व व्यय	39,851	43,878	48,312	53,194	58,569	64,488	71,004	78,179	86,079	94,777
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.10 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर प्राक्कलित (विगत दस वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर का औसत)									
राजस्व अधिशेष	1,261	1,425	1,608	1,815	2,047	2,306	2,599	2,926	3,293	3,705
ब्याज भुगतान	3,706	4,012	4,344	4,704	5,093	5,514	5,971	6,465	7,000	7,579
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.28 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर प्राक्कलित (विगत दस वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर का औसत)									
ब्याज भुगतान / राजस्व अधिशेष(प्रतिशत)	294	282	270	259	249	239	230	221	213	205

स्रोत: वास्तविक हेतु वित्त लेखे

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1)

## बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **"वर्ष के 'लेखे या 'वास्तविक"-** यह 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की प्राप्ति एवं संवितरण की वह राशि होती है, जो लेखांकन प्राधिकारी की बहियों में अंततः दर्ज की गई हो (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा)। अनंतिम लेखाओं का तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखाओं से है।
2. **"योजना, प्रस्ताव अथवा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति"-** यह समक्ष प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के उद्देश्य से उसकी औपचारिक स्वीकृति होती है। यह उस वर्ष विशेष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य हेतु बजट में निधियों के प्रावधान के साथ ली गई वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।
3. **"वार्षिक वित्तीय विवरण"-** यह बजट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का विवरण, जिसे संसद/राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
4. **"विनियोजन"-** इसका अर्थ है विनियोजन की किसी पृथक इकाई या भाग के तहत व्यय हेतु संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि जो संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखी गई है।
5. **"प्रभारित व्यय"-** इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधायिका की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होता।
6. **"भारत/राज्य की समेकित निधि"-** संघ/ राज्य सरकार का समस्त राजस्व, उनके द्वारा उठाए गए ऋण व ऋण की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि भारत/राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि से संविधान द्वारा प्रदत्त पद्धति में किसी उद्देश्य हेतु कानून के अनुरूप हो धन का विनियोजन किया जा सकता है।
7. **"आकस्मिक निधि"** अगदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य वर्ष के दौरान उत्पन्न अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका/सरकार को वह अग्रिम प्रदान करना है जिसका संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकरण लम्बित है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/ राज्य विधायिका से अनुमोदित होने के पश्चात् की जाती है।
8. **"नियंत्रक अधिकारी (बजट)"** - इसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे व्यय करने पर नियंत्रण अथवा राजस्व के संग्रहण की जिम्मेदारी विभाग द्वारा सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है।
9. **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी"** इसका तात्पर्य कार्यालय प्रमुख तथा कोई भी उस अन्य अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिलों के आहरण एवं भुगतान करने हेतु नियुक्त (पदोन्नित) किया गया है। इस शब्द में इस प्रकार के कार्य का स्वयं निर्वहन करने वाले विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित है।
10. **"अतिरिक्त अनुदान"-** अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान के ऊपर एवं अधिक व्यय की वह राशि जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 से अंतर्गत संसद / राज्य विधायिका से अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया है तथा जिसका विनियमन अपेक्षित है।

11. **"नई सेवा"-** जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1) (क)/250(1) (क) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ उस व्यय से है जो नई नीति निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ तथा संसद/राज्य विधायिका के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था तथा इसमें निवेश के नए रूप अथवा नई गतिविधि भी शामिल है।
12. **"सेवा के नए विलेख"-** इससे तात्पर्य है अपेक्षाकृत वह बड़ा व्यय जो मौजूदा गतिविधि के आगे बढ़ जाने से उत्पन्न होता है।
13. **"लोक लेखा"-** इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में संदर्भित लोक लेखा से है। निक्षेप, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जैसा प्राप्तियां व संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं बनते, वे लोक लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा से संवितरण हेतु संसद/राज्य विधायिका की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई धनराशि नहीं होती।
14. **"पुनर्विनियोजन"-** इससे तात्पर्य उस अन्तरण से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से बचत का अन्तरण उसी अनुदान अथवा प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है।
15. **"संशोधित प्राक्कलन"** यह एक वित्तीय वर्ष हेतु संभावित प्राप्तियां अथवा व्यय का प्राक्कलन है जो पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष हेतु पहले से दर्ज तथा प्रत्याशित लेनदेन के संदर्भ में तैयार किया जाता है।
16. **"अनुदानों की अनुपूरक मांग"-** यह वह अनुपूरक मांगों का विवरण है, जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया हो। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी अथवा वास्तविक नकद हो सकती है।
  - क) **"नकद अनुपूरक"** मूल बजट प्रावधानों से अधिक व ऊपर लिए जाने वाले अनुदान होते हैं तथा इनके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आंबटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में तथा उचित उद्यम के पश्चात् प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जा रहा है।
  - ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग हैं अर्थात् दत्तमत राजस्व, प्रभारित राजस्व, दत्तमत पूंजीगत एवं प्रभारित पूंजीगत तकनीकी अनुपूरक, राज्य विधायिका का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी एक प्रभाग की बचतों को किसी अन्य प्रभाग में उपयोग करने की अनुमति देता है।
  - ग) **सांकेतिक (टोकन) अनुपूरक** अनुदान के समान प्रभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
17. **"मुख्य शीर्ष" -** इससे तात्पर्य है राज्य के प्राप्तियां एवं संवितरणों को दर्ज करने एवं वर्गीकरण करने के उद्देश्य के लिए लेखाओं का मुख्य शीर्ष। मुख्य शीर्ष विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आता है जो सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के समान है।
18. **"उप-मुख्य शीर्ष"-** इसका अर्थ उस मध्यावर्ती लेखा शीर्ष से है जो मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब लघु शीर्षों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उन्हें सरलीकृत करते हुए ऐसे मध्यावर्ती शीर्ष के तहत समूहबद्ध किया जा सकता है।
19. **"लघु शीर्ष"-** इसका अर्थ मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। किसी मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।



20. **"उप शीर्ष"** - इसका अर्थ है लघु शीर्ष के अधीनस्थ एक लेखा इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष अथवा कार्यक्रम के तहत योजना अथवा संगठन को दर्शाता है।
21. **"मुख्य कार्य"**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर बढ़ जाती है।
22. **"लघु कार्य"**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर नहीं बढ़ती।
23. **"रूपांतरित अनुदान अथवा विनियोजन"**- यह किसी विनियोजन उप-शीर्ष को आवंटित वह राशि है जो सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन अथवा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संस्वीकृती के पश्चात दी गई है।
24. **अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन"**- इसका अर्थ विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित उस प्रावधान से है जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति की जाती है।
25. **"नए व्यय की अनुसूची"**- इसका अर्थ आगामी वर्ष हेतु बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण है।
26. **"संकेतिक (टोकन) मांग"**- इसका तात्पर्य अत्यन्त कम अथवा संकेतिक राशि के लिए विधान सभा में की गई मांग से है, उदाहरणार्थ इसे संस्वीकृत बजट अनुदान से हुई बचत से किसी नई सेवा के पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.5)

अनावश्यक पुनर्विनियोजन

अनुदान कोड	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि- योजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
<b>राजस्व-दत्तमत</b>								
01	विधानसभा	2011-02-103-01	18.22	0.51	0.15	18.89	16.28	-2.60
03	न्याय प्रशासन	2014-00-114-02	22.57	0.00	0.83	23.39	20.71	-2.68
		2014-00-800-02	6.07	0.00	0.17	6.24	5.53	-0.71
04	सामान्य प्रशासन	2059-01-053-28	0.09	0.32	0.53	0.94	0.22	-0.72
		2216-05-800-04	0.73	0.00	0.00	0.73	0.54	-0.19
		2235-60-200-02	3.68	0.00	0.02	3.69	3.40	-0.29
		2075-00-800-01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
		2216-05-053-04	0.01	0.00	0.15	0.16	0.60	0.44
05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-102-02	7.46	0.00	0.01	7.47	6.10	-1.37
		2029-00-102-03	19.70	0.00	0.07	19.78	17.08	-2.69
		2029-00-103-02	118.76	1.06	0.06	119.88	107.10	-12.78
		2030-02-102-02	0.16	0.00	0.10	0.26	0.14	-0.12
		2030-02-102-03	0.08	0.00	0.02	0.10	0.05	-0.04
		2053-00-093-01	163.05	0.93	0.66	164.65	138.85	-25.79
		2053-00-093-03	0.35	0.00	0.06	0.40	0.32	-0.08
		2053-00-094-01	21.70	0.00	0.02	21.71	17.15	-4.56
		2053-00-094-04	1.41	0.00	0.00	1.41	0.91	-0.50
		2053-00-094-05	0.78	0.00	0.01	0.79	0.68	-0.10
		2235-01-202-01	0.91	0.00	0.02	0.92	0.76	-0.16
		2245-08-101-01	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	-91.00
		2245-02-106-01	0.00	0.00	65.15	65.15	131.18	66.03
		2245-02-109-01	0.00	0.00	46.00	46.00	70.50	24.50
		2245-02-111-01	0.00	0.00	35.00	35.00	101.24	66.24
		2245-02-193-01	0.00	0.00	41.40	41.40	59.90	18.50
2245-80-102-01	0.00	0.25	0.01	0.27	0.85	0.58		
2245-80-102-05	0.00	0.00	22.72	22.72	37.07	14.35		
07	पुलिस व संबद्ध संगठन	2055-00-101-02	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	-0.38
		2055-00-108-01	94.05	0.00	8.61	102.66	85.29	-17.37
		2055-00-108-02	37.44	0.00	0.10	37.54	30.52	-7.02
		2055-00-109-03	69.47	0.00	2.25	71.72	59.84	-11.88
		2055-00-111-01	5.10	0.00	0.01	5.11	4.19	-0.92
		2055-00-111-03	2.68	0.00	0.10	2.79	2.42	-0.37
		2055-00-114-01	27.44	0.00	0.35	27.80	22.50	-5.29
		2055-00-115-01	0.03	0.00	0.02	0.05	0.00	-0.05
		2056-00-101-01	34.43	0.00	0.77	35.20	31.88	-3.33
		2070-00-107-01	1.79	0.00	0.00	1.79	1.65	-0.14
		2055-00-115-01	0.27	0.00	0.15	0.42	0.44	0.03
2070-00-108-02	46.61	0.00	4.73	51.34	55.36	4.02		

अनुदान कोड	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
08	शिक्षा	2202-01-104-01	21.65	0.00	0.09	21.74	17.34	-4.40
		2202-01-104-02	70.44	0.00	0.36	70.80	58.40	-12.40
		2202-02-001-01	22.63	0.00	0.10	22.73	18.31	-4.41
		2202-02-101-01	20.93	0.00	0.17	21.10	17.99	-3.10
		2202-05-103-01	6.44	0.00	0.04	6.47	5.42	-1.05
		2202-80-800-01	5.77	0.00	0.36	6.13	5.03	-1.10
09	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2210-01-110-03	284.70	0.00	5.36	290.06	235.19	-54.87
		2210-01-200-01	53.74	0.00	0.37	54.12	45.72	-8.40
		2210-05-105-05	1.82	0.00	0.09	1.90	1.55	-0.36
		2210-05-105-06	139.07	0.00	0.04	139.11	124.36	-14.75
		2210-05-105-12	53.94	0.00	1.65	55.58	46.40	-9.18
		2210-06-101-05	3.52	0.00	0.21	3.73	3.26	-0.46
		2210-06-107-01	1.87	0.00	0.15	2.02	1.80	-0.22
		2210-05-105-13	51.58	0.00	0.10	51.68	52.01	0.32
		2210-06-001-04	4.09	0.00	0.09	4.18	4.29	0.11
2211-00-200-12	0.00	75.78	3.65	79.43	171.39	91.96		
10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02	325.24	0.00	0.60	325.84	336.84	11.00
		3054-04-105-15	44.89	0.00	10.00	54.89	55.93	1.04
		3054-80-800-03	27.19	0.00	6.00	33.19	33.43	0.24
11	कृषि	2401-00-109-25	26.57	0.00	0.38	26.95	20.93	-6.02
		2401-00-105-12	17.62	0.00	0.07	17.69	19.74	2.05
13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2215-01-001-07	1.51	0.00	0.03	1.54	1.16	-0.38
		2215-01-101-05	29.25	0.00	5.91	35.16	35.41	0.24
		2215-01-102-13	50.30	0.00	29.61	79.91	84.78	4.87
		2702-80-001-07	18.84	0.00	10.19	29.03	29.70	0.68
14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	2403-00-001-02	1.45	0.00	0.50	1.95	1.45	-0.50
		2403-00-101-10	0.70	0.00	0.04	0.74	0.46	-0.28
		2403-00-101-10	0.07	0.00	0.00	0.07	0.05	-0.02
		2403-00-102-06	5.62	0.00	0.10	5.72	4.81	-0.91
		2403-00-106-01	0.08	0.00	0.01	0.10	0.05	-0.05
		2404-00-191-05	0.66	0.00	0.33	0.99	0.65	-0.34
		2405-00-001-01	2.41	0.00	0.08	2.49	2.32	-0.18
		2405-00-101-02	1.20	0.00	0.01	1.21	1.20	-0.01
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	3451-00-101-01	8.06	0.00	0.25	8.30	5.45	-2.86
16	वन व वन्य जीवन	2406-01-001-03	1.60	0.00	0.40	2.00	1.53	-0.46
		2406-04-103-04	51.19	26.10	0.00	77.29	50.18	-27.11
17	चुनाव	2015-00-106-01	0.00	4.09	0.00	4.09	3.55	-0.53
		2015-00-105-01	0.00	15.64	0.00	15.65	17.44	1.80
		2015-00-109-01	2.75	9.25	0.00	12.00	12.03	0.02

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान कोड	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-32	1.78	1.59	1.06	4.43	1.78	-2.65
		2851-00-107-01	7.94	0.00	0.05	7.99	6.66	-1.32
19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2225-01-001-01	5.41	0.00	0.03	5.44	4.22	-1.22
20	ग्रामीण विकास	2515-00-003-01	2.98	0.00	0.02	3.00	2.63	-0.36
		2515-00-101-01	28.96	0.00	0.14	29.10	23.64	-5.46
		2515-00-196-07	22.48	0.00	4.48	26.96	13.48	-13.48
		2515-00-197-07	21.86	0.00	4.21	26.08	13.25	-12.83
		2515-00-198-06	102.02	2.83	19.58	124.43	61.83	-62.60
		2216-03-102-05	0.00	0.00	0.64	0.64	1.78	1.14
		2216-03-102-07	7.12	0.00	10.04	17.16	23.82	6.66
21	सहकारिता	2425-00-001-01	3.82	0.00	0.09	3.91	3.59	-0.32
		2425-00-101-01	9.51	0.00	0.15	9.66	9.40	-0.26
22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-01-102-13	3.29	7.13	0.75	11.17	10.20	-0.97
23	विद्युत विकास	2801-80-001-01	4.44	0.22	0.00	4.66	4.46	-0.20
25	सड़क व जल परिवहन	3055-00-001-01	12.90	0.06	0.08	13.04	11.16	-1.88
26	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	3452-80-001-02	5.24	0.05	0.02	5.31	4.76	-0.55
27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2225-03-277-04	0.12	0.00	0.21	0.33	0.00	-0.33
		2230-01-001-01	1.36	0.00	0.00	1.37	1.07	-0.30
		2230-01-101-01	5.18	0.00	0.20	5.38	4.37	-1.01
		2230-01-101-02	1.52	0.00	0.00	1.52	1.11	-0.41
		2230-02-001-01	1.00	0.00	0.07	1.07	0.81	-0.26
		2230-02-101-03	0.11	0.00	0.00	0.11	0.10	-0.01
		2230-03-003-05	86.59	0.00	2.04	88.63	83.68	-4.94
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	2217-80-191-48	14.00	17.11	24.51	55.62	58.30	2.68
		2217-80-192-16	2.00	3.03	2.86	7.89	8.69	0.80
29	वित्त	2054-00-095-01	9.26	0.00	0.03	9.29	7.12	-2.18
		2054-00-097-01	38.35	0.00	0.12	38.47	30.29	-8.17
		2070-00-105-02	0.68	0.00	0.04	0.72	0.51	-0.21
		3454-02-111-01	11.37	0.00	0.02	11.39	8.30	-3.09
30	विविध सामान्य सेवाएं	2070-00-003-02	1.29	0.00	0.02	1.31	1.27	-0.04
		2070-00-003-04	0.81	0.00	0.00	0.81	0.59	-0.22
		2202-05-001-01	3.53	0.06	0.00	3.60	3.05	-0.54
		2220-60-102-01	3.01	0.00	0.05	3.06	2.96	-0.10
31	जनजातीय विकास	2015-00-796-01	1.39	0.00	0.04	1.42	1.30	-0.12
		2045-00-796-01	1.16	0.00	0.02	1.18	1.00	-0.18
		2053-00-796-01	11.75	0.00	0.49	12.24	9.97	-2.27
		2053-00-796-02	2.29	0.00	0.00	2.29	1.59	-0.71

अनुदान कोड	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
		2053-00-796-05	0.56	0.00	0.01	0.57	0.46	-0.12
		2054-00-796-01	4.15	0.00	0.10	4.25	3.35	-0.90
		2055-00-796-01	56.49	0.00	0.66	57.15	46.80	-10.35
		2055-00-796-02	1.40	0.00	0.00	1.41	1.35	-0.06
		2055-00-796-04	8.81	0.00	0.04	8.85	7.28	-1.57
		2070-00-796-03	2.54	0.00	0.01	2.55	2.45	-0.09
		2202-01-796-11	8.67	0.00	0.25	8.92	4.03	-4.89
		2202-01-796-11	0.86	0.00	0.03	0.89	0.68	-0.21
		2202-02-796-01	1.94	0.00	0.05	1.99	1.70	-0.29
		2202-03-796-02	7.91	0.00	0.10	8.01	6.70	-1.30
		2205-00-796-01	0.19	0.00	0.00	0.19	0.15	-0.04
		2210-03-796-02	16.90	0.00	0.34	17.23	15.84	-1.39
		2220-60-796-02	1.23	0.00	0.02	1.26	1.18	-0.08
		2230-01-796-01	0.38	0.00	0.01	0.38	0.27	-0.11
		2230-03-796-04	2.43	0.00	0.16	2.59	2.10	-0.49
		2401-00-796-71	0.15	0.00	0.04	0.19	0.12	-0.07
		2403-00-796-02	26.27	0.00	0.13	26.40	20.61	-5.79
		2406-01-796-36	0.19	0.00	0.08	0.27	0.18	-0.08
		2406-01-796-42	5.45	0.00	1.45	6.90	4.60	-2.30
		2408-01-796-01	1.39	0.00	0.06	1.45	1.24	-0.21
		2515-00-796-01	14.64	0.00	0.05	14.69	13.10	-1.59
		2515-00-796-02	6.34	0.00	0.22	6.57	5.51	-1.06
		2515-00-796-21	1.30	0.00	0.27	1.57	0.79	-0.79
		2515-00-796-23	1.91	0.00	0.12	2.03	1.02	-1.02
		2515-00-796-25	8.93	0.00	0.55	9.48	4.74	-4.74
		3452-80-796-01	4.70	0.00	0.27	4.97	0.82	-4.16
		2215-01-796-01	6.13	0.00	0.52	6.65	8.11	1.46
		2217-03-796-04	0.20	0.00	0.94	1.14	2.50	1.37
		2403-00-796-16	0.02	0.00	0.06	0.08	0.08	0.00
		2501-06-796-03	2.43	0.00	4.77	7.20	7.63	0.43
32	अनुसूचित जाति उप योजना	2202-01-789-06	24.26	0.00	1.23	25.49	20.86	-4.62
		2202-01-789-06	2.41	0.00	0.14	2.55	2.03	-0.51
		2230-03-789-07	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	-0.31
		2851-00-789-19	0.30	0.00	0.04	0.34	0.29	-0.05
		2217-80-789-04	7.92	0.00	6.30	14.22	19.64	5.42
		2217-80-789-04	0.88	0.00	0.04	0.92	1.52	0.60
		2225-01-789-08	10.00	0.00	5.55	15.55	32.35	16.80
		2236-02-789-01	17.91	0.00	0.50	18.41	29.24	10.83
		2501-06-789-03	6.80	0.00	3.59	10.39	11.85	1.45
		2501-06-789-03	0.76	0.00	0.39	1.15	1.32	0.16

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान कोड	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
<b>पूंजीगत- दत्तमत</b>								
03	न्याय प्रशासन	4059-01-051-15	0.61	0.23	0.01	0.85	0.86	0.01
09	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	4210-03-105-01	11.87	14.81	0.38	27.06	29.18	2.12
10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	4059-01-051-12	1.50	0.00	0.50	2.00	0.99	-1.01
		5054-04-337-02	253.37	0.00	9.22	262.59	248.86	-13.74
		5054-04-337-09	355.37	99.96	5.34	460.67	438.13	-22.54
		4059-01-051-07	11.60	0.00	2.00	13.60	14.63	1.03
		4059-80-051-03	4.94	0.00	11.83	16.77	22.20	5.43
		5054-04-337-15	0.01	0.00	4.00	4.01	4.16	0.15
		5054-04-337-16	0.00	0.00	4.63	4.63	4.80	0.17
13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4215-01-102-01	13.86	4.22	0.95	19.03	17.65	-1.38
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	4402-00-800-01	0.50	0.00	0.06	0.56	1.11	0.56
		5054-04-800-06	38.00	0.00	7.27	45.27	55.81	10.54
16	वन व वन्य जीवन	4406-02-110-03	0.10	0.00	0.15	0.25	0.05	-0.20
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	4215-02-106-02	134.66	2.24	0.30	137.20	38.65	-98.55
29	वित्त	4059-01-051-08	0.00	0.00	2.00	2.00	3.29	1.29
31	जनजातीय विकास	4055-00-796-02	4.32	0.00	0.45	4.77	4.32	-0.45
		4059-01-796-02	0.01	0.00	0.19	0.20	0.00	-0.20
		4210-03-796-04	1.62	0.00	1.12	2.74	1.39	-1.35
		4216-01-796-05	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	-0.01
		4402-00-796-01	1.98	0.00	0.30	2.28	1.59	-0.69
		4059-01-796-13	0.92	0.00	1.60	2.52	2.86	0.34
		4215-01-796-03	2.65	0.00	2.93	5.58	5.80	0.22
		4702-00-796-02	11.22	0.00	3.01	14.23	14.29	0.07
		5054-04-796-04	1.80	0.00	15.44	17.24	17.56	0.31
32	अनुसूचित जाति उप योजना	4202-01-789-02	0.00	2.31	0.00	2.31	2.14	-0.17
		4210-03-789-02	4.52	0.00	3.25	7.77	3.53	-4.24
		4215-01-789-02	58.78	0.00	0.57	59.35	54.87	-4.48
		4216-01-789-03	4.00	0.00	0.20	4.20	2.84	-1.36
		4225-01-789-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4406-01-789-02	6.00	0.00	0.50	6.50	3.62	-2.88
		4702-00-789-02	5.04	0.00	1.11	6.15	4.97	-1.18
		4702-00-789-03	2.60	0.00	0.08	2.68	2.56	-0.12
		5054-04-789-01	96.98	0.00	13.58	110.56	113.28	2.72
		5054-04-789-04	19.14	0.00	4.11	23.25	25.91	2.66
		5054-04-789-12	27.71	35.47	0.01	63.19	63.29	0.10

## परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6 (i))

अनुदानों की सूची जहां बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक रही

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचत
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
1	01- विधानसभा	49.21	46.02	-3.20
2	03- न्यायिक प्रशासन	191.99	169.18	-22.81
3	04- सामान्य प्रशासन	276.57	248.87	-27.71
4	06- आबकारी व कराधान	113.62	101.29	-12.32
5	07- पुलिस व संबद्ध संगठन	1,550.83	1,306.08	-244.75
6	08-शिक्षा	7,087.45	5,991.02	-1,096.43
7	09- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2,500.13	2,256.28	-243.85
8	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3,733.35	2,538.89	-1,194.46
9	11-कृषि	390.22	352.30	-37.92
10	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2,649.53	2,569.12	-80.41
11	14- पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	400.24	364.79	-35.45
12	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	72.12	54.68	-17.44
13	16- वन व वन्य जीवन	768.96	634.58	-134.39
14	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	176.34	157.08	-19.26
15	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	1,248.97	1,202.59	-46.38
16	20- ग्रामीण विकास	1,229.11	1,095.01	-134.10
17	21- सहकारिता	35.62	33.89	-1.73
18	22- खाद्य व नागरिक आपूर्ति	285.51	282.13	-3.37
19	24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.53	28.48	-2.06
20	25- सड़क व जल परिवहन	384.36	377.91	-6.45
21	26- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	142.48	94.03	-48.45
22	27- श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	306.11	280.02	-26.09
23	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	756.82	750.78	-6.04
24	29-वित्त	7,203.58	6,495.11	-708.47
25	30- विविध सामान्य सेवाएं	107.11	101.23	-5.89
26	31- आदिवासी विकास	1,664.21	1,260.79	-403.42
27	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2,078.66	1,937.17	-141.50
<b>राजस्व-प्रभारित</b>				
28	02- राज्यपाल व मंत्रिपरिषद्	8.80	7.47	-1.33
29	03- न्यायिक प्रशासन	55.68	49.78	-5.90

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचत
30	04- सामान्य प्रशासन	14.57	9.94	-4.63
31	29-वित्त	5,017.57	4,640.79	-376.78
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
32	10- लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	1,488.23	1,442.91	-45.33
33	11-कृषि	88.83	77.59	-11.24
34	12-उद्यान	14.68	1.75	-12.93
35	13- सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	805.13	731.67	-73.46
36	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	471.14	417.50	-53.64
37	16- वन व वन्य जीवन	11.56	10.20	-1.36
38	19- सामाजिक न्याय व अधिकारिता	8.36	4.60	-3.76
39	22- खाद्य व नागरिक आपूर्ति	1.58	0.45	-1.13
40	26- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	578.39	82.18	-496.21
41	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	184.06	85.02	-99.04
42	29- वित्त	19.78	13.92	-5.85
43	31- आदिवासी विकास	574.14	444.04	-130.10
44	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,805.91	1,415.45	-390.46
<b>पूँजीगत-प्रभारित</b>				
45	29- वित्त	5,333.51	4,387.28	-946.23
<b>योग</b>		<b>51,915.56</b>	<b>44,551.85</b>	<b>-7,363.71</b>



## परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6 (ii))

निरंतर बचत वाले मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>राजस्व-दत्तमत</b>							
1	3	न्यायिक प्रशासन	10.14	25.2	34.57	44.56	22.81
2	4	सामान्य प्रशासन	13.13	18.83	54.07	35.58	27.71
3	6	आबकारी एवं कराधान	7.65	13.79	14.32	17.53	12.32
4	7	पुलिस व संबद्ध संगठन	81.89	143.83	212.47	305.45	244.75
5	8	शिक्षा	665.02	955.16	1,110.61	1,362.09	1,096.43
6	9	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	211.66	330.83	377.72	489.64	243.85
7	11	कृषि	11.3	72.67	33.44	78.98	37.92
8	14	पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	43.67	68.34	69.81	78.84	35.45
9	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	16.81	30.57	22.69	21.9	17.44
10	16	वन व वन्य जीवन	85.36	130.31	145.25	170.51	134.39
11	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	11.45	96.03	100.52	39.63	19.26
12	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	55.55	28.84	99.25	64.74	46.38
13	20	ग्रामीण विकास	402.93	383.93	351.17	163.47	134.10
14	21	सहकारिता	3.54	3.61	4.79	2.7	1.73
15	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.81	1.19	2.14	2.91	2.06
16	25	सड़क व जल परिवहन	2.1	2.25	12.92	11.79	6.45
17	27	श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	199.27	39.93	39.28	116.39	26.09
18	29	वित्त	266.88	939.93	1,212.96	1,202.66	708.47
19	30	विविध सामान्य सेवाएं	7.38	8.97	11.32	8.07	5.89
20	31	आदिवासी विकास	242.34	325.72	371.39	415.69	403.42
21	32	अनुसूचित जाति उप योजना	405.83	390.87	513.37	264.69	141.50
<b>राजस्व-प्रभारित</b>							
22	3	न्यायिक प्रशासन	1.73	7.94	11.36	7.33	5.90
23	29	वित्त	29.2	238.48	315.99	459.44	376.78
<b>पूंजीगत-दत्तमत</b>							
24	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	12.84	1.33	115.34	218.07	53.64
25	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	4.26	3.48	14.48	4.94	3.76
26	29	वित्त	7.98	6.27	6.35	7.74	5.85
27	31	आदिवासी विकास	58.21	82.25	94.04	75.44	130.10
28	32	अनुसूचित जाति उप योजना	132.87	154.08	231.62	149.75	390.46

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7.1)

2021-22 के दौरान प्राधिकरण से अधिक शीर्ष-वार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व-दत्तमत</b>								
1	05	2245-01-101-07	दवाओं की आपूर्ति पर व्यय	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60
2		2245-02-101-01	बाढ़, चक्रवातों के तहत निःशुल्क राहत (नकदी सहायता)।	0.00	0.00	0.00	30.70	30.70
3		2245-02-106-01	सड़कों और पुलों की मरम्मत	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00
4				0.00	65.15	65.15	131.18	66.03
5		2245-02-109-01	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति जल निकासी एवं सीवरेज कार्यों पर व्यय	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00
6				0.00	46.00	46.00	70.50	24.50
7		2245-02-111-01	अनुग्रह राशि	0.00	0.00	0.00	30.49	30.49
8				0.00	35.00	35.00	101.24	66.24
9		2245-02-113-01	मकानों की मरम्मत एवं निर्माण में सहायता	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92
10		2245-02-193-01	स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी बोर्डों/संस्थाओं को सहायता	0.00	0.00	0.00	64.80	64.80
11				0.00	41.40	41.40	59.90	18.50
12		2245-80-102-01	आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजनाओं पर व्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
13		2245-80-102-02	तेरहवें वित्त आयोग के तहत क्षमता निर्माण पर व्यय	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
14		2245-80-102-05	क्षमता निर्माण	0.00	22.72	22.72	37.07	14.35
15	12	2401-00-119-57	बागवानी विकास परियोजना	133.07	0.00	133.07	173.07	40.00
16		2401-00-119-77	हिमाचल उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्य वर्धन परियोजना (हिमाचल प्रदेश - शिवा)	27.48	0.00	27.48	31.48	4.00
17	23	2801-80-800-07	रेणुका जी बांध विस्थापितों को म्आवजा	10.61	0.00	10.61	1,048.54	1,037.92
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>								
18	05	4059-80-051-05	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	69.42	0.00	69.42	89.42	20.00
19	07	4055-00-211-03	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	20.43	0.00	20.43	25.17	4.74
20				31.64	0.00	31.64	34.73	3.09
21	08	4202-01-203-01	भवन	108.99	0.00	108.99	124.74	15.75
22	09	4210-01-110-01	शहरी स्वास्थ्य	48.82	0.00	48.82	65.35	16.53
23		4210-02-110-01	ग्रामीण स्वास्थ्य	71.33	0.00	71.33	81.20	9.87
24		4210-03-105-01	मेडिकल कॉलेज	26.68	0.38	27.06	29.18	2.12
25	17	4059-01-051-40	ईवीएम और वीवीपेट के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण	20.05	0.00	20.05	39.35	19.30
26	18	4851-00-800-01	औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट के विकास पर व्यय	34.12	0.00	34.12	109.07	74.95
27	20	4216-03-800-01	पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक के आवास का निर्माण	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15
28		4515-00-103-02	मुख्यमंत्री लोक भवन	0.59	0.00	0.59	4.14	3.55
29	23	6801-00-190-02	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	157.96	0.00	157.96	270.23	112.27
30	25	5055-00-050-01	बस स्टैंडों का निर्माण	11.54	0.00	11.54	27.07	15.53
31	27	4202-02-105-03	आई टी आई भवनों का निर्माण	34.00	-3.33	30.67	34.07	3.40

स्रोत: विनियोजन लेखे

## परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4)

उन योजनाओं का विवरण जहां एक करोड़ से अधिक का प्रावधान तो किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	454.00	0.00	0.00
2	स्वस्थ बचपन	2.20	0.00	0.00
3	खेल से स्वास्थ्य योजना	1.32	0.00	0.00
4	पढ़ना लिखना अभियान	2.37	0.00	0.00
5	ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5.00	0.00	0.00
6	ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.31	0.00	0.00
7	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2.45	0.00	0.00
8	संपूर्ण स्वास्थ्य योजना	3.29	0.00	0.00
9	स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रखरखाव	10.00	0.00	0.00
10	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	13.35	0.00	0.00
11	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	1.40	0.00	0.00
12	मृदा स्वास्थ्य उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना	1.19	0.00	0.00
13	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	6.46	0.00	0.00
14	स्वर्ण जयंती समृद्ध बगवान	5.00	0.00	0.00
15	पौध संरक्षण उपकरण की खरीद	12.93	0.00	0.00
16	भंडार	3.58	0.00	0.00
17	पीडब्लू विविध अग्रिम	1.87	0.00	0.00
18	भंडार	1.20	0.00	0.00
19	पुरानी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की रीमॉडलिंग/नवीकरण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)	13.16	0.00	0.00
20	विभिन्न जल आपूर्ति योजना के लिए ऊर्जा दक्षता पंपों का स्थानांतरण	1.50	0.00	0.00
21	विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री कृषि के तहत डायवर्जन योजना एफ.आई.एस. (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)	32.21	0.00	0.00
22	विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री कृषि के तहत डायवर्जन योजना एफ.आई.एस. (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)	3.79	0.00	0.00
23	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	5.30	0.00	0.00
24	राज्य नवाचार कोष	1.50	0.00	0.00
25	एकीकृत वन संरक्षण योजना	2.68	0.00	0.00
26	राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	2.99	0.00	0.00
27	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	1.06	0.00	0.00
28	वित्त विभाग के पास फंड रिजर्व के पेंशनभोगी	57.61	0.00	0.00
29	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	5.06	0.00	0.00
30	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरन मिशन	15.99	0.00	0.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन	2.63	0.00	0.00
32	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1.64	0.00	0.00
33	गेहूं की खरीद	1.50	0.00	0.00
34	हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन को ऋण	37.34	0.00	0.00
35	पार्किंग का निर्माण	2.49	0.00	0.00
36	1.11.1966 से पहले भुगतान	9.81	0.00	0.00
37	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ईएपी)	3.24	0.00	0.00
38	मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	4.50	0.00	0.00
39	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	12.15	0.00	0.00
40	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1.34	0.00	0.00
41	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	1.21	0.00	0.00
42	अवसंरचना सुविधाओं पर व्यय	13.75	0.00	0.00
43	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा	8.00	0.00	0.00
44	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	14.92	0.00	0.00
45	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	1.66	0.00	0.00
46	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन	1.54	0.00	0.00
47	राष्ट्रीय रुर्बन मिशन	2.19	0.00	0.00
48	नवीन पॉलिटेक्निकों का उन्नयन/स्थापना	1.78	0.00	0.00
49	सामान्य प्रशासनिक विभाग के सामान्य पूल आवास का निर्माण	1.08	0.00	0.00
50	लघु सिंचाई योजना पर व्यय (ए.आई.बी.पी.)	4.00	0.00	0.00
51	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी	7.01	0.00	0.00
52	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी	1.30	0.00	0.00
53	औद्योगिक भवन/एस्टेट का निर्माण	1.68	0.00	0.00
54	विकास हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट	81.50	0.00	0.00
55	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	9.90	0.00	0.00
56	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन परियोजनाओं के लिए ऋण	21.01	0.00	0.00
57	वर्ड बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ईएपी)	9.07	0.00	0.00
58	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	6.05	0.00	0.00
59	मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	12.60	0.00	0.00
60	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	34.28	0.00	0.00
61	निर्देशन एवं प्रशासन	2.00	0.00	0.00
62	संपूर्ण स्वास्थ्य योजना	1.26	0.00	0.00
63	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	3.40	0.00	0.00
64	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन	1.24	0.00	0.00
65	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	4.50	0.00	0.00
66	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएम)	2.47	0.00	0.00

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
67	पौध संरक्षण योजना	2.54	0.00	0.00
68	कृषिकोष	1.26	0.00	0.00
69	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	1.97	0.00	0.00
70	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी)	1.15	0.00	0.00
71	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन	4.30	0.00	0.00
72	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	1.52	0.00	0.00
73	राष्ट्रीय रूबन मिशन	6.12	0.00	0.00
74	राष्ट्रीय रूबन मिशन	1.01	0.00	0.00
75	कार्यालय भवनों/ग्राम सेवक झोपड़ियों का रखरखाव	2.65	0.00	0.00
76	पुरानी जलापूर्ति योजनाओं की रीमॉडलिंग/नवीकरण	5.03	0.00	0.00
77	सरकारी आवासीय भवन	21.00	0.00	0.00
78	हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकास	278.65	0.00	0.00
79	क्षतिपूरक वनीकरण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत व भुगतान)	5.04	0.00	0.00
80	सड़कों व पुलों के डिजाइन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श	1.01	0.00	0.00
81	हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन को ऋण	19.65	0.00	0.00
<b>योग</b>		<b>1,352.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.1.1 (क))

शिक्षा विभाग के कुल स्वीकृत बजट के अनाधिकृत पुनर्विनियोजन का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मांग संख्या	विभाग	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय	बजट/ आधिक्य
राजस्व										
1	08	प्राथमिक शिक्षा	गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	2202-01-102-01-SOON- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2	08		अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	2202-01-102-02-SOON- गैर सरकारी मिडिल स्कूलों पर व्यय	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
3	08		स्वस्थ बचपन	2202-01-101-14-S00N स्वस्थ बचपन	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00
4	08		डिजिटल शिक्षा	2202-01-101-16-S00N डिजिटल शिक्षा	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
5	08		एसबीवाई साक्षर भारत	2202-04-103-05-C90N- साक्षर भारत	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
6	08		एसबीवाई साक्षर भारत	2202-04-103-05-S10N- साक्षर भारत	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
7	08		पीएलए (पढ़ना लिखना अभियान)	2202-04-200-03-C90N (पढ़ना लिखना अभियान)	237.00	0.00	-237.00	0.00	0.00	0.00
8	08		पीएलए (पढ़ना लिखना अभियान)	2202-04-200-03-S10N (पढ़ना लिखना अभियान)	26.00	0.00	-26.00	0.00	0.00	0.00
9	08		छात्रवृत्ति	2202-80-107-07-C00N- अनुसूचित जाति को छात्रवृत्ति	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
10	08	उच्च शिक्षा	ओबीसी को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2202-80-107-09 C90N	331.00	0.00	-331.00	0.00	0.00	0.00
11	08			2202-80-107-09 S10N	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
कुल राजस्व					819.02	0.00	-819.02	0.00	0.00	0.00

## परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.1.1 (ग))

## शिक्षा विभाग की बचत का विवरण (वित्त वर्ष 2021-22)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट	अनुपूरक अनुदान	पुन-विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय	बचत
राजस्व शीर्ष									
1	प्राथमिक शिक्षा	निदेशालय	2202-01-001-01-SOON-निदेशालय	2,622.49	0.00	-847.34	1,775.15	1,436.81	-338.34
2		प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	2202-01-101-01-SOON- प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	1,76,131.44	0.00	-38,737.90	1,37,393.54	1,37,213.62	-179.92
3		मध्य शिक्षा पर व्यय	2202-01-101-03-SOON- मध्य शिक्षा पर व्यय	1,42,180.39	0.00	-18,845.99	1,23,334.40	1,22,900.66	-433.74
4		जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (निरीक्षण)	2202-01-104-01-SOON-उप-निदेशक प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	2,164.74	0.00	-422.03	1,742.71	1,734.22	-8.49
5		प्रखंड प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी	2202-01-104-02-SOON- प्रखंड प्राथमिक शिक्षा पदाधिकारी पर व्यय	7,044.21	0.00	-1,186.15	5,858.06	5,840.01	-18.05
6		आहार	2202-01-107-04-SOON आहार पर व्यय	2,463.83	0.00	-489.19	1,974.64	1,971.26	-3.38
7		पीटीए के लिए सहायता-अनुदान	2202-01-800-05-SOON- पीटीए के लिए सहायता-अनुदान	500.00	0.00	-82.28	417.72	411.85	-5.87
8		एसएमसी को सहायता-अनुदान	2202-01-800-06-SOON- एसएमसी को सहायता-अनुदान	1,627.00	0.00	-0.12	1,626.88	1,560.20	-66.68
9		प्राथमिक/मध्य विद्यालय भवनों की मरम्मत	2059-01-053-70-SOON- प्राथमिक/मध्य विद्यालय भवनों की मरम्मत	1,498.35	0.00	-0.89	1,497.46	1,437.05	-60.41
10		अटल वर्दी योजना	2202-01-101-12-SOON अटल वर्दी योजना पर व्यय	2,230.00	0.00	-361.00	1,869.00	1,807.00	-62.00
11		स्टार प्रोजेक्ट	2202-01-113-01-C90N- स्टार प्रोजेक्ट	1.00	0.01	4,968.75	4,969.76	3,325.36	-1,644.40
12		स्टार प्रोजेक्ट	2202-01-113-01-S10N- स्टार प्रोजेक्ट	1.00	0.01	551.18	552.19	369.49	-182.70
13		मध्यान्ह भोजन	2202-01-800-01-SOON- मध्यान्ह भोजन	1,219.00	0.01	1,451.31	2,670.32	2,638.58	-31.74
14		मध्यान्ह भोजन	2202-01-800-01-C90N - मध्यान्ह भोजन	6,338.00	0.00	-300.51	6,037.49	4,859.02	-1,178.47
15		मध्यान्ह भोजन	2202-01-800-01-S10N- मध्यान्ह भोजन	628.00	0.01	-33.35	594.66	493.74	-100.92

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट	अनुपूरक अनुदान	पुन-विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय	बचत
16	उच्च शिक्षा	निदेशालय	2202-02-001-01 S00N	2,262.53	0.00	-180.00	2,082.53	1,831.10	-251.43
17		इंस्पेक्टर	2202-02-101-01 S00N	2,093.13	0.00	-69.50	2,023.63	1,799.38	-224.25
18		माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय	2202-02-109-01 S00N	2,48,666.88	0.00	-9,888.51	2,38,778.37	2,18,329.11	-20,449.26
19		स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता-अनुदान	2202-02-109-20 S00N	1,050.00	0.00	180.00	1,230.00	1,165.06	-64.94
20		मेधा प्रोत्साहन योजना	2202-02-109-27 S00N	329.00	0.00	0.00	329.00	197.38	-131.62
21		समग्र शिक्षा अभियान	2202-02-109-29 C90N	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	9,059.09	-3,198.91
22		समग्र शिक्षा अभियान	2202-02-109-29 S10N	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00	1,006.58	-355.42
23		उत्कृष्ट विद्यालय योजना	2202-02-109-32-S00N	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00	1,953.87	-20.13
24		पीटीए के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान	2202-02-800-01 S00N	40.00	0.00	0.00	40.00	28.63	-11.37
25		निजी संस्थानों के निरीक्षण पर व्यय	2202-02-800-02 S00N	50.00	0.00	-40.00	10.00	1.35	-8.65
26		सरकारी महाविद्यालयों पर व्यय	2202-03-103-01 S00N	35,849.23	0.00	-1,633.51	34,215.72	30,063.68	-4,152.04
27		प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर व्यय	2202-03-103-02 S00N	324.32	0.00	-36.35	287.97	256.33	-31.64
28		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2202-03-103-07 C90N	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00	1,212.15	-31.85
29		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2202-03-103-07 S10N	138.00	0.00	0.00	138.00	134.68	-3.32
30		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2202-03-103-07 S00N	0.00	0.04	16.12	16.16	15.85	-0.31
31		ललित कला महाविद्यालयों का उद्घाटन	2202-03-103-08 S00N	217.14	0.00	0.00	217.14	202.79	-14.35
32	शासकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना	2202-03-103-12 S00N	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00	1,169.95	-14.05	
33	95 प्रतिशत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को सहायता-अनुदान	2202-03-104-01 S00N	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,509.88	-340.12	
34	पीटीए के तहत कॉलेज को सहायता-अनुदान	2202-03-800-01 S00N	50.00	0.00	0.00	50.00	41.00	-9.00	
35	संस्कृत महाविद्यालयों पर व्यय	2202-05-103-01 S00N	643.96	0.00	-34.74	609.22	542.28	-66.94	
36	ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2202-80-107-08 C00N	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00	



क्र. सं.	विभाग	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट	अनुपूरक अनुदान	पुन-विनियोजन	संशोधित बजट	व्यय	बचत
37		आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2202-80-107-20 C00N	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	-245.00
38		स्वर्ण जयंती सुपर 100	2202-80-107-22 S00N	72.00	0.00	0.00	72.00	46.06	-25.94
39		एनसीसी सामान्य स्थापना	2202-80-800-01 S00N	577.48	0.00	-13.11	564.37	503.07	-61.30
40		एनसीसी वार्षिक शिविर	2202-80-800-02 S00N	70.01	0.00	-7.66	62.35	37.99	-24.36
41		एससीईआरटी सोलन	2202-80-800-17 S00N	353.71	0.00	-15.00	338.71	286.99	-51.72
42		सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय	2205-00-105-01 S00N	595.34	0.00	-24.95	570.39	455.44	-114.95
<b>कुल राजस्व शीर्ष</b>				<b>6,60,649.18</b>	<b>0.08</b>	<b>-66,082.72</b>	<b>5,94,566.54</b>	<b>5,59,848.56</b>	<b>-34,717.98</b>
43	प्राथमिक शिक्षा	भवन	4202-01-201-01-SOON (भवन)	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,178.61	-71.39
<b>कुल पूंजीगत शीर्ष</b>				<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,178.61</b>	<b>-71.39</b>
<b>कुल (राजस्व + पूंजीगत शीर्ष)</b>				<b>6,61,899.18</b>	<b>0.08</b>	<b>-66,082.72</b>	<b>5,95,816.54</b>	<b>5,61,027.17</b>	<b>-34,789.37</b>

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.1.1 (ड))

मुख्य लेखा शीर्ष जहां 50 प्रतिशत से अधिक व्यय केवल मार्च में किया गया था

क्र. सं.	मांग संख्या	विभाग का नाम	योजना/ कार्यक्रम	मुख्य लेखा शीर्ष	वर्ष 2021-22 में किया गया व्यय (₹ लाख में)	मार्च 2022 के दौरान व्यय (₹ लाख में)	मार्च 2022 के दौरान व्यय (प्रतिशत में)	
1	08	प्राथमिक शिक्षा	स्टार प्रोजेक्ट	2202-01-113-01-C90N- स्टार प्रोजेक्ट	3,325.36	2,645.39	79.55	
2	08		स्टार प्रोजेक्ट	2202-01-113-01-S10N- स्टार प्रोजेक्ट	369.49	293.94	79.55	
3	08		37- प्रमुख कार्य (अटल आदर्श विद्यालय)	4202-01-202-09-SOON ((अटल आदर्श विद्यालय)	2,500.00	2,000.00	80.00	
4	08	उच्च शिक्षा	मौजूदा आईसीटी लैब का उन्नयन/रखरखाव	2202-02-109-24 S00N	3,291.00	3,290.99	100.00	
5	08		मेधा प्रोत्साहन योजना	2202-02-109-27 S00N	197.38	170.00	86.13	
6	08		खेल से स्वास्थ्य योजना	2202-02-109-30-S00N	132.00	132.00	100.00	
7	08		सीवी रमन वर्चुअल क्लास रूम	2202-02-109-31-S00N	46.00	40.00	86.96	
8	08		मुख्यमंत्री डिजिटल डिवाइस योजना	2202-02-109-33 S00N	1,645.00	1,638.56	99.61	
9	08		सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय	2202-03-102-07 S00N	697.70	383.74	55.00	
10	08		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2202-03-103-07 C90N	1,212.15	959.06	79.12	
11	08		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2202-03-103-07 S10N	134.68	106.56	79.12	
12	08		खेल से स्वास्थ्य योजना	2202-03-103-09 S00N	33.00	33.00	100.00	
13	08		सीवी रमन वर्चुअल क्लास रूम	2202-03-103-10 S00N	33.00	28.69	86.94	
14	08		भवन (महाविद्यालय)	4202-01-203-01 S00N	12,473.86	7,114.84	57.04	
<b>सकल योग</b>					<b>26,090.62</b>	<b>18,836.77</b>	<b>72.20</b>	

## परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.2.1 (क))

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की बचत दर्शाने वाला विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन		अंतिम बजट	व्यय	बचत
				+	-			
राजस्व प्रभाग								
1	2215-01-001-01-SOONM	2836.50	20.00	0.00	-89.69	2766.81	2521.17	-245.64
2	2215-01-001-02-SOON	682.59	0.00	0.00	-24.84	657.75	606.90	-50.85
3	2215-01-001-02-SOON	11066.46	8.66	0.00	-132.78	10942.34	9783.10	-1159.24
4	2215-01-001-07-SOON	151.37	0.00	0.00	-34.44	116.93	116.25	-0.68
5	2215-01-005-01-SOONM	433.74	0.00	0.00	-39.29	394.45	304.30	-90.15
6	2215-01-101-02-SOON	29690.79	0.00	0.00	-3545.51	26145.28	24260.50	-1884.78
7	2215-01-101-04-SOON-NP-21एमटीएस	13042.79	0.00	0.00	-3520.76	9522.03	7598.45	-1923.58
8	2215-01-102-03-SOON	66403.55	0.01	957.08	-8457.32	58903.32	53790.99	-5112.33
9	2215-01-102-12-SOON	42331.65	0.00	0.00	-8386.11	33945.54	23629.64	-10315.90
10	2215-01-799-01-SOON-79 (उंचत)	14648.00	0.00	0.00	0.00	14648.00	735.18	-13912.82
11	2215-02-105-02-SOON	56.40	0.00	0.00	0.00	56.40	55.02	-1.38
12	2216-05-053-01-SOON	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	4.83	-1.25
13	2700-01-001-01-SOON	940.57	0.00	1.00	-94.21	847.36	749.05	-98.31
14	2700-01-101-01-SOON	236.26	0.00	55.09	0.00	291.35	278.93	-12.42
15	2700-01-799-01-SOON79-उंचत	358.05	0.00	0.00	0.00	358.05	0.00	-358.05
16	2700-01-799-02-SOON79-स्टॉक विनिर्माण	260.40	0.00	0.00	0.00	260.40	7.29	-253.11
17	2700-01-799-03-SOON79-PW विविध अग्रिम	187.17	0.00	0.00	0.00	187.17	0.00	-187.17
18	2701-11-101-01-SOON	96.33	0.00	0.00	0.00	96.33	90.62	-5.71
19	2701-11-799-01-SOON-79-उंचत	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	-4.24
20	2701-11-799-02-SOON-79- स्टॉक विनिर्माण	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	-1.41
21	2701-11-799-03-SOON-79-PW विविध अग्रिम	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	-1.41
22	2701-12-001-01-SOON	39.59	0.00	0.00	-2.37	37.22	31.24	-5.98
23	2701-12-101-01-SOON	211.32	0.00	0.00	0.00	211.32	211.03	-0.29
24	2701-13-001-01-SOON-79- उंचत	18.93	0.00	0.00	-5.92	13.01	10.81	-2.20
25	2701-13-101-01-SOON	269.25	0.00	0.00	0.00	269.25	269.23	-0.02
26	2701-15-001-01-SOON	66.86	0.00	0.00	-1.73	65.13	64.33	-0.80

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन		अंतिम बजट	व्यय	बचत
				+	-			
27	2701-15-101-01-SOON(NP)	307.90	0.00	0.00	0.00	307.90	307.50	-0.40
28	2701-16-001-01-SOON	57.52	0.00	0.00	-2.96	54.56	54.21	-0.35
29	2701-16-101-01-SOON	48.54	0.00	0.00	0.00	48.54	48.53	-0.01
30	2701-20-799-02-SOON-79- स्टॉक विनिर्माण	70.76	0.00	0.00	0.00	70.76	16.77	-53.99
31	2701-21-799-01-SOON-79- उंचत	70.76	0.00	0.00	0.00	70.76	0.00	-70.76
32	2701-21-799-02-SOON-79- स्टॉक विनिर्माण	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	-14.15
33	2701-21-799-03-SOON-79-PW विविध अग्रिम	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	-6.37
34	2702-02-799-01-SOON- स्टॉक विनिर्माण	566.08	0.00	0.00	0.00	566.08	114.00	-452.08
35	2702-03-102-01-SOON	6595.61	0.00	0.00	-0.01	6595.60	6436.37	-159.23
36	2702-80-001-01-SOON	8341.70	0.00	24.57	-561.35	7804.92	6797.05	-1007.87
37	2702-80-001-02-SOON-NP	25091.69	0.00	0.00	-3094.56	21997.13	19199.55	-2797.58
38	2702-80-001-06-SOON	25091.68	0.00	0.00	-2263.88	22827.80	16369.42	-6458.38
39	2711-01-001-01-SOON	391.67	0.00	0.00	-288.18	103.49	88.04	-15.45
40	2711-01-800-02-SOON	111.25	0.00	0.00	0.00	111.25	107.24	-4.01
<b>कुल (राजस्व शीर्ष)</b>		<b>250807.39</b>	<b>28.67</b>	<b>1037.74</b>	<b>-30545.91</b>	<b>221327.89</b>	<b>174657.54</b>	<b>-46670.35</b>
<b>पूँजीगत शीर्ष</b>								
41	4215-01-101-01-SOON(P) विभिन्न जिलों में यूडब्ल्यूएसएस	3366.00	0.00	0.00	-13.10	3352.90	3043.35	-309.55
42	4215-01-102-08-SOONM	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	216.18	-7.82
43	4215-01-102-23-C-90N(P) जल जीवन मिशन	26324.00	0.00	0.00	-5245.92	21078.08	21078.01	-0.07
44	4215-01-102-24-SOON(P) C.M-RWSS-EAP(NDB)	1.00	3619.43	1380.57	0.00	5001.00	4998.44	-2.56
45	4215-01-102-27-SOON- जनजातीय क्षेत्र के बाहर रहने वाली जनजातीय आबादी के लिए डब्ल्यू.एस.एस	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	92.96	-7.04
46	4701-20-800-02-SOON एमआईपी फीनसिंह	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	900.01	-99.99
47	4701-21-800-01-SOON	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	551.97	-0.03

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन		अंतिम बजट	व्यय	बचत
				+	-			
48	4702-00-101-01-SOON विभिन्न जिलों में एलआईएस	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00	326.34	-10.66
49	4702-00-101-03-SOON एलआईएस नाबार्ड	5211.00	0.00	0.00	-310.62	4900.38	4836.46	-63.92
50	4702-00-101-06 LIS प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना C90N	4831.20	0.00	0.00	0.00	4831.20	2234.43	-2596.77
51	S10N	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	242.93	-325.07
52	4702-00-101-07 LIS प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना C90N	3220.80	0.00	0.00	0.00	3220.80	0.00	-3220.80
53	4702-00-101-06 LIS प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना S10N	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	-379.00
54	4705-00-313-01-CAD SOON	5372.00	0.00	0.00	0.00	5372.00	4797.38	-574.62
55	4711-01-800-05-SOON	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	723.31	-0.69
56	एफसी कार्य नाबार्ड पर व्यय	0.00	17.17	0.00	0.00	17.17	0.00	-17.17
<b>कुल (पूँजीगत शीर्ष)</b>		<b>51658</b>	<b>4188.6</b>	<b>1380.57</b>	<b>-5569.64</b>	<b>51657.53</b>	<b>44041.77</b>	<b>-7615.76</b>
<b>सकल योग (राजस्व + पूँजीगत शीर्ष)</b>		<b>302465.39</b>	<b>4217.27</b>	<b>2418.31</b>	<b>-36115.55</b>	<b>272985.42</b>	<b>218699.31</b>	<b>-54286.11</b>

**परिशिष्ट-3.11**

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5.2.1 (ख))

योजनाओं का विवरण जहां कुल स्वीकृत बजट के पुनर्विनियोजन द्वारा संपूर्ण बजट प्रावधान को शून्य कर दिया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
<b>राजस्व शीर्ष</b>					
1	2701-15-799-01-S00N-79-उचंत	28.30	0	-28.30	0
2	2701-15-799-02-S00N-79-स्टॉक विनिर्माण	5.66	0	-5.66	0
3	2701-15-799-03-S00N-79- लोक निर्माण विविध अग्रिम	2.13	0	-2.13	0
4	2701-16-799-01-S00N-79-उचंत	120.29	0	-120.29	0
5	2701-16-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण	21.23	0	-21.23	0
6	2701-16-799-03-S00N-79- लोक निर्माण विविध अग्रिम	49.53	0	-49.53	0
7	2702-03-103-01-S00N	0.01	0	-0.01	0
8	2711-01-799-03-S00N-79- लोक निर्माण विविध अग्रिम	97.65	0	-97.65	0
<b>कुल (राजस्व शीर्ष)</b>		<b>324.80</b>	<b>0</b>	<b>-324.80</b>	<b>0</b>
<b>पूंजीगत शीर्ष</b>					
9	4215-01-102-25-S00N(P) ईएपी के तहत सीवरेज योजना	1.00	0	-1.00	0
10	4215-01-102-26-S00N	1,316.00	0	-1,316.00	0
11	4215-01-102-28-S00N	150.00	0	-150.00	0
12	4701-20-800-02-C90N एमआईपी फीनसिंह	5.07	0	-5.07	0
13	4701-20-800-02-S10N एमआईपी फीनसिंह	5.07	0	-5.07	0
14	4701-21-800-01-C90N एमआईपी नादौन	1.48	0	-1.48	0
15	4701-21-800-01-S10N	1.48	0	-1.48	0
16	4701-23-800-01-C90N- एमआईपी कोनसिल जेरथा	0.02	0	-0.02	0
17	4701-23-800-01-S10N	0.02	0	-0.02	0
18	4701-24-800-01-RWHS परचू खड्ड C90N	0.01	0	-0.01	0
19	4701-24-800-01-S10N	0.01	0	-0.01	0
20	4701-25-800-01- जिला कांगड़ा में मिपसुककर C-90N	0.20	0	-0.20	0
21	S4701-25-800-01-S10N	0.20	0	-0.20	0
22	4701-26-800-01-C90N	0.01	0	-0.01	0
23	कुल्लू में एमआईपी पेनीनी S10N	0.01	0	-0.01	0
24	4701-27-800-01- जिला कांगड़ा में एमआईपी ज्वालामुखी C90N	0.21	0	-0.21	0
25	S10N	0.21	0	-0.21	0
26	4705-00-313-01-CAD C90N	1.00	0	-1.00	0
27	4705-00-313-01-CAD S10N	1.00	0	-1.00	0
28	4711-01-800-10-C90N सीर खड बर्चिन से जाहू तक हंस का चैनलीकरण	2.67	0	-2.67	0
29	4711-01-800-10-S10N सीर खड बर्चिन से जाहू तक हंस का चैनलीकरण	2.67	0	-2.67	0
30	4711-01-800-12-C90N पंजाब सीमा-III के लिए स्वान का चैनलीकरण	1.13	0	-1.13	0

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
31	4711-01-800-12-S10N पंजाब सीमा-III के लिए स्वान का चेनलीकरण	1.13	0	-1.13	0
32	4711-01-800-15-C90N छाँच खड्ड में एफपीडब्ल्यू	1.21	0	-1.21	0
33	4711-01-800-15-S10N छाँच खड्ड में एफपीडब्ल्यू	1.21	0	-1.21	0
34	4711-01-800-16-C90N पलचान से ऑट तक एफपीडब्ल्यू चेनलीकरण	0.12	0	-0.12	0
35	4711-01-800-16-S10N पलचान से ऑट तक एफपीडब्ल्यू चेनलीकरण	0.12	0	-0.12	0
36	4711-01-800-17-C90N जिला शिमला में पब्वर नदी का चेनलीकरण	4.62	0	-4.62	0
37	4711-01-800-17-S10N- जिला शिमला में पब्वर नदी का चेनलीकरण	4.62	0	-4.62	0
38	4711-01-800-18-C90N तहसील नादौन जिला हमीरपुर में ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों का चेनलीकरण	0.02	0	-0.02	0
39	4711-01-800-18-S10N- तहसील नादौन जिला हमीरपुर में ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों का चेनलीकरण	0.02	0	-0.02	0
40	4711-01-800-19-C90N जिला कांगड़ा में जबर और गरेली का चेनलीकरण	0.02	0	-0.02	0
41	4711-01-800-19-S10N- जिला कांगड़ा में जबर और गरेली का चेनलीकरण	0.02	0	-0.02	0
42	4711-01-800-21- C90N ब्यास नदी के नीचे इसकी सहायक नदियों सहित सुकेती खड्ड को बाढ़ सुरक्षा का कार्य	1.21	0	-1.21	0
43	4711-01-800-21-S10N ब्यास नदी के नीचे इसकी सहायक नदियों सहित सुकेती खड्ड को बाढ़ सुरक्षा का कार्य	1.21	0	-1.21	0
<b>कुल (पूंजीगत शीर्ष)</b>		<b>1,505.00</b>	<b>0</b>	<b>-1,505.00</b>	<b>0</b>
<b>कुल राजस्व शीर्ष</b>		<b>324.80</b>	<b>0</b>	<b>-324.80</b>	<b>0</b>
<b>कुल पूंजीगत शीर्ष</b>		<b>1,505.00</b>	<b>0</b>	<b>-1,505.00</b>	<b>0</b>
<b>सकल योग (राजस्व व पूंजीगत शीर्ष)</b>		<b>1,829.80</b>	<b>0</b>	<b>-1,829.80</b>	<b>0</b>

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5)

31 मार्च 2022 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

(₹ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि		
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ग्रामीण विकास</b>							
1	2216- आवास	2018-19	40	30,00,67,264	2	2,77,90,000	
		2019-20	33	4,93,20,000	0	0	
		2020-21	0	0	78	17,43,57,500	
		<b>कुल</b>	<b>73</b>	<b>34,93,87,264</b>	<b>80</b>	<b>20,21,47,500</b>	
	2505- ग्रामीण रोजगार	2015-16	4	7,73,67,000	0	0	
		2016-17	5	4,78,10,000	0	0	
		2018-19	34	1,13,72,54,000	0	0	
		2019-20	26	2,30,72,38,750	0	0	
		2020-21	0	0	34	3,39,24,40,680	
		<b>कुल</b>	<b>69</b>	<b>3,56,96,69,750</b>	<b>34</b>	<b>3,39,24,40,680</b>	
	2501- विशेष कार्यक्रम	2018-19	9	36,59,14,998	7	16,88,75,347	
		2019-20	118	26,48,15,764	9	11,06,05,559	
		2020-21	0	0	113	1,30,01,75,121	
		<b>कुल</b>	<b>127</b>	<b>63,07,30,762</b>	<b>129</b>	<b>1,57,96,56,027</b>	
	<b>कुल</b>			<b>269</b>	<b>4,54,97,87,776</b>	<b>243</b>	<b>5,17,42,44,207</b>
	<b>पंचायती राज</b>						
	2	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	13,07,900	1	13,07,900
			<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>13,07,900</b>	<b>1</b>	<b>13,07,900</b>
		2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2015-16	19	27,09,60,912	14	25,76,36,510
2016-17			74	59,13,20,394	56	37,66,21,394	
2017-18			170	2,61,37,40,595	94	2,36,88,74,295	
2018-19			304	3,32,50,98,368	196	3,14,43,75,774	
2019-20			212	5,89,30,52,626	184	5,81,92,99,129	
2020-21			0	0	208	3,83,22,03,860	
<b>कुल</b>		<b>779</b>	<b>12,69,41,72,895</b>	<b>752</b>	<b>15,79,90,10,962</b>		
<b>कुल</b>			<b>780</b>	<b>12,69,54,80,795</b>	<b>753</b>	<b>15,80,03,18,862</b>	
<b>शिक्षा</b>							
3		2202- सामान्य शिक्षा	2017-18	1	31,21,220	0	0
			2018-19	28	1,00,43,75,000	0	0
	2019-20		70	2,40,23,93,822	2	19,49,98,000	
	2020-21		0	0	52	1,95,99,52,576	
	<b>कुल</b>	<b>99</b>	<b>3,40,98,90,042</b>	<b>54</b>	<b>2,15,49,50,576</b>		



क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
<b>युवा सेवाएं व खेल</b>						
4	2204- खेल व युवा सेवाएं	2019-20	7	22,90,419	2	19,94,419
		2020-21	0	0	4	20,75,000
	<b>कुल</b>		<b>7</b>	<b>22,90,419</b>	<b>6</b>	<b>40,69,419</b>
<b>भाषा कला व संस्कृति</b>						
5	2205- कला व संस्कृति	2019-20	103	7,02,78,389	103	7,02,78,389
		2020-21	0	0	78	8,97,39,657
	<b>कुल</b>		<b>103</b>	<b>7,02,78,389</b>	<b>181</b>	<b>16,00,18,046</b>
	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2018-19	1	3,00,00,000	0	0
		2019-20	1	53,820	0	0
		2020-21	0	0	1	59,712
		<b>कुल</b>	<b>2</b>	<b>3,00,53,820</b>	<b>1</b>	<b>59,712</b>
	<b>कुल</b>		<b>105</b>	<b>10,03,32,209</b>	<b>182</b>	<b>16,00,77,758</b>
<b>शहरी विकास</b>						
6	2217- शहरी विकास	2016-17	27	61,16,17,821	15	15,02,35,000
		2017-18	33	65,85,69,632	22	36,89,59,460
		2018-19	49	1,68,40,10,015	49	1,68,40,10,015
		2019-20	74	4,44,20,04,612	55	3,46,50,95,902
		2020-21	0	0	67	5,67,62,49,429
	<b>कुल</b>		<b>183</b>	<b>7,39,62,02,080</b>	<b>208</b>	<b>11,34,45,49,806</b>
	3054- सड़क व पुल	2016-17	1	94,79,789	0	0
		2017-18	1	2,38,19,902	0	0
		2018-19	1	2,74,38,070	0	0
		<b>कुल</b>	<b>3</b>	<b>6,07,37,761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>कुल</b>		<b>186</b>	<b>7,45,69,39,841</b>	<b>208</b>	<b>11,34,45,49,806</b>
<b>पशुपालन</b>						
7	2403- पशुपालन	2017-18	15	1,61,94,000	6	25,20,000
		2018-19	22	9,13,76,600	17	3,58,58,600
		2019-20	31	23,65,29,700	10	5,87,61,000
		2020-21			36	20,99,32,000
		<b>कुल</b>	<b>68</b>	<b>34,41,00,300</b>	<b>69</b>	<b>30,70,71,600</b>
	2404-डेयरी विकास	2018-19	16	21,33,38,979	0	0
		2019-20	7	96,22,807	0	0
		2020-21	0	0	5	6,89,40,000
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>22,29,61,786</b>	<b>5</b>	<b>6,89,40,000</b>	
	<b>कुल</b>		<b>91</b>	<b>56,70,62,086</b>	<b>74</b>	<b>37,60,11,600</b>
<b>सहकारिता</b>						
8	2408- खाद्य भंडारण व भण्डार	2018-19	1	1,50,000	0	0
		2019-20	6	11,20,000	3	8,00,000

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
		2020-21	0	0	9	16,17,724
		<b>कुल</b>	<b>7</b>	<b>12,70,000</b>	<b>12</b>	<b>24,17,724</b>
	2425- सहकारिता	2019-20	6	4,40,000	6	4,40,000
		2020-21	0	0	19	23,14,500
		<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>4,40,000</b>	<b>25</b>	<b>27,54,500</b>
<b>कुल</b>			<b>13</b>	<b>17,10,000</b>	<b>37</b>	<b>51,72,224</b>
<b>पर्यटन</b>						
9	3452- पर्यटन	2015-16	1	2,90,000	1	2,90,000
		2016-17	1	5,00,000	1	5,00,000
		2017-18	2	7,40,000	2	7,40,000
		2018-19	3	3,00,000	3	3,00,000
		2019-20	3	8,50,000	3	8,50,000
		2020-21	0	0	17	71,99,98,000
		<b>कुल</b>	<b>10</b>	<b>26,80,000</b>	<b>27</b>	<b>72,26,78,000</b>
	3053- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	2019-20	2	3,26,38,000	0	0
<b>कुल</b>		<b>2</b>	<b>3,26,38,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>कुल</b>			<b>12</b>	<b>3,53,18,000</b>	<b>27</b>	<b>72,26,78,000</b>
<b>उद्योग</b>						
10	2851- ग्रामीण व लघु उद्योग	2016-17	25	10,31,36,140	24	10,31,26,140
		2017-18	48	8,46,43,634	26	8,42,79,634
		2018-19	13	5,03,37,421	13	5,03,37,421
		2019-20	23	17,34,84,668	22	16,86,84,668
		2020-21	0	0	450	55,98,82,525
	<b>कुल</b>	<b>109</b>	<b>41,16,01,863</b>	<b>535</b>	<b>96,63,10,388</b>	
<b>कृषि एवं उद्यान</b>						
11 & 12	2401- फसल पालन	2017-18	5	36,80,00,000	0	0
		2018-19	14	1,00,42,00,000	7	90,54,00,000
		2019-20	2	2,30,00,000	2	2,30,00,000
		2020-21	0	0	11	1,75,98,00,000
		<b>कुल</b>	<b>21</b>	<b>1,39,52,00,000</b>	<b>20</b>	<b>2,68,82,00,000</b>
	2402- मृदा संरक्षण	2017-18	5	60,50,000	0	0
		<b>कुल</b>	<b>5</b>	<b>60,50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2018-19	1	2,00,00,000	1	2,00,00,000
		2019-20	3	5,38,02,500	3	5,38,02,500
		2020-21	0	0	9	61,40,000
		<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>7,38,02,500</b>	<b>13</b>	<b>7,99,42,500</b>

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	2018-19	3	12,28,00,000	0	0
		2019-20	6	8,91,00,000	0	0
		कुल	9	21,19,00,000	0	0
	कुल		39	1,68,69,52,500	33	2,76,81,42,500
<b>वन</b>						
13	2406- वन व वन्य जीवन	2018-19	9	2,08,67,767	2	32,49,000
		2019-20	62	20,00,07,455	20	4,20,90,859
		2020-21	0	0	186	34,48,07,471
	कुल	71	22,08,75,222	208	39,01,47,330	
<b>आयुर्वेद (आयुष)</b>						
14	2210- चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	2016-17	13	2,01,84,806	13	2,01,84,806
		2017-18	20	23,89,81,300	19	23,69,81,300
		2018-19	15	24,00,04,000	13	23,80,04,000
		2019-20	64	80,26,64,500	51	72,13,13,200
		2020-21	0	0	67	48,06,01,656
		कुल	112	1,30,18,34,606	163	1,69,70,84,962
	2211- पारिवारिक स्वास्थ्य	2019-20	62	2,19,73,17,651	62	2,19,73,17,651
		2020-21	0	0	68	2,48,54,00,840
		कुल	62	2,19,73,17,651	130	4,68,27,18,491
	कुल		174	3,49,91,52,257	293	6,37,98,03,453
<b>महिला एवं बाल विकास व अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक</b>						
15व	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2017-18	1	3,00,000	1	3,00,000
		2019-20	2	27,96,895	0	0
		2020-21	0	0	2	31,16,00,000
		कुल	3	30,96,895	3	31,19,00,000
16	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	2016-17	1	34,10,040	1	34,10,040
		2017-18	71	6,17,88,086	59	5,72,61,520
		2018-19	302	17,25,83,326	248	14,72,97,597
		2019-20	331	18,46,51,922	290	15,16,58,592
		2020-21	0	0	260	15,02,40,672
		कुल	705	42,24,33,374	858	50,98,68,421
कुल		708	42,55,30,269	861	82,17,68,421	
<b>नियोजन</b>						
17	3451- सचिवालय अर्थशास्त्र सेवाएं	2017-18	1	84,24,396	1	84,24,396
		2020-21	0	0	15	1,68,66,621
	कुल	1	84,24,396	16	2,52,91,017	
<b>सैनिक कल्याण</b>						
18	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2018-19	6	25,00,818	3	89,710
		2019-20	25	3,98,08,241	3	13,61,165

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
		2020-21	0	0	9	6,09,51,533
	<b>कुल</b>		<b>31</b>	<b>4,23,09,059</b>	<b>15</b>	<b>6,24,02,408</b>
<b>राजस्व विभाग</b>						
19	2029- भू राजस्व	2016-17	1	5,00,000	0	0
		2017-18	18	1,00,31,000	15	74,89,000
		2018-19	22	2,05,46,000	19	1,64,46,000
	<b>कुल</b>		<b>41</b>	<b>3,10,77,000</b>	<b>34</b>	<b>2,39,35,000</b>
<b>यातायात</b>						
20	3055-सड़क परिवहन	2019-20	1	15,00,000	0	0
	5055-परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2020-21	0	0	0	0
	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	2020-21	0	0	2	5,00,00,000
	<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>15,00,000</b>	<b>2</b>	<b>5,00,00,000</b>
<b>श्रम व रोजगार</b>						
21	2230- श्रम व रोजगार	2018-19	0	0	0	0
		2019-20	1	48,00,000	0	0
		2020-21	0	0	1	13,60,89,846
	<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>48,00,000</b>	<b>1</b>	<b>13,60,89,846</b>
<b>जल शक्ति विभाग</b>						
22	2215- जल आपूर्ति व स्वच्छता	2018-19	4	9,26,87,000	0	0
		2019-20	4	7,06,26,000	0	0
	<b>कुल</b>		<b>8</b>	<b>16,33,13,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>आदिवासी विकास</b>						
23	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2016-17	3	15,50,000	0	0
		2017-18	1	14,00,000	0	0
		2018-19	4	1,05,20,000	2	24,45,689
		2019-20	5	94,10,121	5	94,10,121
		2020-21	0	0	2	53,95,000
	<b>कुल</b>		<b>13</b>	<b>2,28,80,121</b>	<b>9</b>	<b>1,72,50,810</b>
<b>ऊर्जा विभाग</b>						
24	2810- ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	2017-18	3	16,00,000	3	16,00,000
		2018-19	4	20,00,000	4	20,00,000
	<b>कुल</b>		<b>7</b>	<b>36,00,000</b>	<b>7</b>	<b>36,00,000</b>
<b>आबकारी एवं कराधान विभाग</b>						
25	2040- अन्य कर व शुल्क	2019-20	1	7,95,30,599	0	0
		2020-21	0	0	2	6,69,11,964
	<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>7,95,30,599</b>	<b>2</b>	<b>6,69,11,964</b>

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/ अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व कार्यभार	2020-21	0	0	0	0
	<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>7,95,30,599</b>	<b>2</b>	<b>6,69,11,964</b>
<b>पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी</b>						
	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2019-20	1	10,00,000	0	0
	<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>10,00,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2017-18	2	73,23,400	0	0
		2018-19	2	69,54,000	0	0
		2019-20	8	1,27,00,000	0	0
		2020-21	0	0	2	40,00,000
		<b>कुल</b>		<b>13</b>	<b>2,79,77,400</b>	<b>2</b>
<b>हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान</b>						
27	2070- अन्य प्रशासनिक सेवा	2018-19	6	7,04,00,000	0	0
		2019-20	12	4,87,88,770	0	0
		2020-21	0	0	16	6,12,00,000
		<b>कुल</b>		<b>18</b>	<b>11,91,88,770</b>	<b>16</b>
<b>पुलिस</b>						
28	2055- पुलिस	2018-19	1	1,07,37,891	1	25,45,891
		<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>1,07,37,891</b>	<b>1</b>
<b>सकल योग:</b>			<b>2,799</b>	<b>35,57,82,61,515</b>	<b>3,619</b>	<b>47,52,14,71,480</b>

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8)

31 मार्च 2022 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), बिलासपुर	1,29,805.00
2	8443	106	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), बिलासपुर	56,827.17
3	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	2,13,410.00
4	8443	106	सिविल जज कोर्ट नंबर-1, घुमारवीं	2,45,507.45
5	8443	106	सिविल जज कोर्ट नंबर-2, घुमारवीं	1,47,980.00
6	8443	106	सिविल जज कोर्ट नंबर-3, घुमारवीं	91,270.00
7	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), चंबा	3,66,746.62
8	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), डलहौजी	98,520.00
9	8443	106	उपन्यायाधीश, हमीरपुर	4,88,327.00
10	8443	106	उप न्यायाधीश, बड़सर	1,39,275.00
11	8443	106	उप न्यायाधीश, नादौन	68,070.00
12	8443	106	उप न्यायाधीश, नूरपुर	1,61,518.00
13	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), धर्मशाला	3,87,980.00
14	8443	106	उप न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा	65,251.00
15	8443	106	उप न्यायाधीश, बैजनाथ	1,10,350.00
16	8443	106	उप न्यायाधीश, इंदौरा	66,830.00
17	8443	106	उप न्यायाधीश, प्रथम कांगड़ा	1,19,104.00
18	8443	106	उप न्यायाधीश, प्रथम देहरा	2,04,997.60
19	8443	106	उप न्यायाधीश, द्वितीय देहरा	84,226.00
20	8443	106	उप न्यायाधीश, पालमपुर	2,03,540.00
21	8443	106	उप न्यायाधीश, ज्वाली	21,200.00
22	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांगड़ा धर्मशाला में	70,380.00
23	8443	106	सिविल जज जयसिंहपुर, कांगड़ा	8,000.00
24	8443	106	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), कुल्लू	4,40,157.00
25	8443	106	उप न्यायाधीश, बंजार	55,810.00
26	8443	106	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), आनी	64,844.00
27	8443	106	उप न्यायाधीश, मनाली	1,14,873.00
28	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, कल्पा	1,54,584.00
29	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सुंदरनगर	2,51,093.00
30	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, जोगिन्द्रनगर	1,25,525.20
31	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, करसोग	1,26,214.00
32	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सरकाघाट	1,96,946.00
33	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, गोहर	1,19,030.00
34	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, मंडी	7,37,355.00
35	8443	106	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर	5,000.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
36	8443	106	सिविल जज, थुनाग मंडी	30,650.00
37	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला	4,09,633.00
38	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर, रामपुर	58,731.00
39	8443	106	सीनियर सब जज, शिमला	4,63,476.00
40	8443	106	उप न्यायाधीश, ठियोग	1,55,635.00
41	8443	106	उप न्यायाधीश, जुब्बल	92,784.00
42	8443	106	उप न्यायाधीश, रामपुर	1,46,735.00
43	8443	106	उप न्यायाधीश, चौपाल	30,000.00
44	8443	106	उप न्यायाधीश, रोहडू	2,78,109.00
45	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर, रामपुर	45,950.86
46	8443	106	एसडीओ (नागरिक) डोडरा क्वार	0.10
47	8443	106	उप निदेशक, (युवा सेवा एवं खेल) शिमला	23,19,738.00
48	8443	106	हिमाचल प्रदेश, हाईकोर्ट	23,06,408.00
49	8443	106	आईजीएमसी, शिमला	15,39,049.00
50	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाहन	52,902.00
51	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, पांवटा	2,07,609.00
52	8443	106	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाहन	1,22,379.00
53	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, नाहन	2,82,031.00
54	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, राजगढ़	42,389.00
55	8443	106	सिविल जज, शिलाई	32,640.00
56	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, सोलन	2,47,403.00
57	8443	106	सिविल जज, नालागढ़	3,33,307.00
58	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, सोलन	1,57,505.00
59	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, कसौली	72,990.00
60	8443	106	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	96,940.00
61	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	72,628.00
62	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, अर्की	81,084.00
63	8443	106	सिविल जज जूनियर डिवीजन, कंडाघाट	50,301.00
64	8443	106	सिविल जज सीनियर डिवीजन, कसौली	72,852.00
65	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, ऊना	8,47,576.00
66	8448	109	कनिष्ठ उप न्यायाधीश, अम्ब	4,69,387.00
67	8448	109	पंचायत समिति कल्पा	0.33
68	8448	109	पंचायत समिति रोहडू	16,514.00
69	8448	109	पंचायत समिति डोडरा क्वार	9,500.10
70	8448	109	पंचायत समिति सोलन	0.14
71	8448	109	पंचायत समिति कंडाघाट	2,31,578.00
72	8448	109	पंचायत समिति गगरेट	0.96
73	8448	109	पंचायत समिति कुनिहार	0.30
74	8448	109	नगर पंचायत, मेहतपुर	481.00
75	8448	109	नगर पंचायत, संतोखगढ़	5,506.17

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
76	8448	109	पंचायत समिति, नादौन	41,264
77	8448	109	एसी से डीसी धर्मशाला	शून्य
78	8448	109	आईसीएआर की निधि	
79	8448	109	पंचायत समिति, सदर बिलासपुर	
80	8448	109	पंचायत समिति घुमारवीं	
81	8448	109	पंचायत समिति चंबा	
82	8448	109	पंचायत समिति भरमौर	
83	8448	109	पंचायत समिति तीसा	
84	8448	109	पंचायत समिति सलूनी	
85	8448	109	पंचायत समिति भटियात	
86	8448	109	पंचायत समिति नूरपुर	
87	8448	109	पंचायत समिति लम्बागांव	
88	8448	109	पंचायत समिति बैजनाथ	
89	8448	109	पंचायत समिति नगरोटा /सुरियां	
90	8448	109	पंचायत समिति मंडी	
91	8448	109	पंचायत समिति सुंदरनगर	
92	8448	109	पंचायत समिति जंजैहली	
93	8448	109	पंचायत समिति करसोग	
94	8448	109	पंचायत समिति गोपालपुर	
95	8448	109	पंचायत समिति गोहर	
96	8448	109	पंचायत समिति बल्ह	
97	8448	109	पंचायत समिति चौपाल	
98	8448	109	पंचायत समिति जुब्बल	
99	8448	109	पंचायत समिति चिड़गांव	
100	8448	109	पंचायत समिति मशोबरा	
101	8448	109	पंचायत समिति कुल्लू	
102	8448	109	पंचायत समिति नगर	
103	8448	109	पंचायत समिति बंजार	
104	8448	109	पंचायत समिति झंडुता	
105	8448	109	पंचायत समिति चौतड़ा	
106	8448	109	पंचायत समिति द्रंग	
<b>योग</b>				



## परिशिष्ट-4.3

## स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण/संस्थाओं की सूची

(संदर्भ: परिच्छेद 4.14 व 4.15)

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम		अनुभाग जिसमें लेखापरीक्षा की गई है
1	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	--	धारा 19 (2)(3) व 20 (1) के तहत लेखापरीक्षा की गई व पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार एवं जारी किया गया।
2	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	--	
3	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	हां	
4	हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट और बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण	हां	
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग	हां	
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	हां	
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	हां	
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	हां	
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	हां	
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन	हां	
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	हां	
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	हां	
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर, रामपुर	हां	
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी	हां	
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	हां	
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा	हां	
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन	हां	
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा	हां	
19	नियंत्रक, सीएसके, एचपीकेवीवी, पालमपुर	--	
20	डॉ. वाई.एस. परमार औद्योगिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन	--	
21	बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, बालूगंज, शिमला	--	
22	पशुधन विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला	--	
23	हिमाचल प्रदेश स्टेट मिल्कफेड कोऑपरेटिव, टुट्टू, शिमला	--	
24	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ लिमिटेड (हिमफेड)	--	
25	हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला	--	
26	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	--	
27	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर	--	
28	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन	--	
29	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना	--	
30	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला	--	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम		अनुभाग जिसमें लेखापरीक्षा की गई है
31	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर	--	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई व निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार व जारी किए गए।
32	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मंडी	--	
33	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्लू	--	
34	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा	--	
35	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन	--	
36	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चंबा	--	
37	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग	--	
38	एड्स नियंत्रण सोसायटी	--	
39	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग क्षेत्रीय परिषद	--	
40	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शिमला	--	
41	भाषा, कला व संस्कृति अकादमी	--	
42	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, सोलन	--	
43	समाज कल्याण बोर्ड, शिमला	--	
44	बाल कल्याण परिषद, शिमला	--	
45	सर्व शिक्षा अभियान, शिमला	--	
46	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	--	
47	रिन चैन जेन पो सोसायटी, कांगड़ा	--	
48	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (हिमाचल प्रदेश)	--	
49	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	--	
50	कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी, शिमला	--	
51	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	--	
52	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	--	
53	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सक बोर्ड	--	

## परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: परिच्छेद 5.3)

31 मार्च 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के नाम, निगमन का माह व वर्ष  
(उनके संक्षिप्त विवरण सहित) दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम व क्षेत्र	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)</b>				
<b>कृषि व संबद्ध</b>				
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	बागवानी	सितंबर 1970	कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों को आपूर्ति करने के लिए कृषि वस्तुओं व अन्य आदानों के निर्माण / व्यापार, सीमेंट, लोहा व इस्पात, बिटुमेन, टायर व ट्यूब आदि का व्यापार करती है।
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	बागवानी	जून 1974	राज्य के फल उत्पादकों को कटाई उपरांत सुविधाएं प्रदान करती है व उन्हें बाजार से अपनी उपज का सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता करती है। यह उत्पादकों को सेब की श्रेणीकरण/पुलिन्दकर्ण व भंडारण सुविधाओं के अतिरिक्त बागवानी आदानों, उपकरणों व उपकरणों की आपूर्ति करती है। कंपनी खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण; व सभी प्रकार के अधिशेष फलों का विपणन करती है।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	वन	मार्च 1974	कंपनी राज्य के भीतर लकड़ी का दोहन व विपणन; रोजिन में रेजिन का दोहन व प्रसंस्करण; तारपीन का तेल व सहायक उत्पाद; व उसका विपणन आदि करती है।
<b>वित्त</b>				
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	जनवरी 1994	कंपनी राज्य में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	अप्रैल 1989	कंपनी राज्य में महिला उद्यमियों व महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	सितंबर 1996	राज्य में अल्पसंख्यकों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों व अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान का कार्य करना; पूर्वोक्त वर्गों व वर्गों की साक्षरता, शिक्षा व व्यावसायिक कौशल के संवर्धन व सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ताकि उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके; उपरोक्त वर्गों व अनुभागों के लिए संबंधित डेटा एकत्र, संकलित व प्रकाशित करना; व उपरोक्त वर्गों व वर्गों को वित्तीय सहायता व व्यावसायिक जानकारी प्रदान करना व व्यवस्थित करना।
<b>अव संरचना</b>				
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	लोक निर्माण	जून 1999	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़कों, पलों व अन्य बनियादी ढांचे के विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ 10.06.1999 में कंपनी निगमित की गई एवं यह राज्य सरकार की ओर से सभी बनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जटाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में कार्य करती है तथा राज्य सरकार की ओर से इस तरह की परियोजनाओं से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली अन्य प्राप्तियों से राज्य सरकार की ओर से दायित्वों का निर्वहन भी करती है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
8	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जुलाई 2016	धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है।
9	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जनवरी 2018	शिमला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है।
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	उद्योग	नवंबर, 1966	कंपनी संयंत्र व मशीनरी, उपकरण, उपकरण, रसायन व पदार्थों का निर्माण व उत्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना वाली औद्योगिक परियोजनाओं या उद्यमों को बढ़ावा देने, स्थापित करने व प्रशासित करने का कार्य करती है। यह किसी भी उस औद्योगिक उद्यम, परियोजना या उद्यमों की सहायता, सहायता व वित्त पोषण करता है, जो लीज होल्ड आधार पर औद्योगिक विकास के लिए भूखंड प्रदान करता है। साथ ही, कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों व निगम आदि की ओर से जमा कार्यों के आधार पर सिविल कार्य करती है।
<b>विनिर्माण</b>				
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवंबर 1972	कंपनी देशी शराब, फर्नीचर व फिक्स्चर व रेशम उत्पादों का निर्माण करती है। कंपनी के टर्नओवर का अधिकतम हिस्सा देशी शराब की बिक्री से होता है।
<b>सेवाएं</b>				
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	खाद्य व नागरिक आपूर्ति	सितंबर 1980	कंपनी अपने थोक गोदामों के माध्यम से नियंत्रित वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी, दालें, खाद्य तेल, नमक व मिट्टी के तेल) की आपूर्ति के लिए उचित मूल्य की दुकानों/खुदरा दुकानों (स्वयं/अन्य) को राशन की आपूर्ति एवं आगे केंद्र/राज्य सब्सिडी वाली योजनाओं के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत राशन कार्ड धारकों (बीपीएल, एपीएल व अंत्योदय) को वितरण करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) व अटल वर्दी योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय व राज्य योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी भी है।
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	सूचना प्रौद्योगिकी	अक्टूबर 1984	कंपनी के मुख्य कार्यों में राज्य में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देना (विशेषकर राज्य सरकार के विभागों व इसके उद्यमों में); सॉफ्टवेयर का विकास व कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद व आपूर्ति; व कार्यालय स्वचालन शामिल है।
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	उद्योग	मार्च 1974	यह राज्य के गरीब बुनकरों व दस्तकारों के हितों की सहायता करता है व उन्हें बढ़ावा देता है। निगम राज्य के भीतर व बाहर स्थित एम्पोरिया की अपनी श्रृंखला के माध्यम से प्रशिक्षण, डिजाइन इनपुट, कच्चा माल, सुस्त शिल्प को पुनर्जीवित करके व उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान करके कारीगरों व बुनकरों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है।
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	सितंबर 1972	पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य व राज्य के बाहर गुणवत्तापूर्ण पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के अपने मिशन के

1	2	3	4	5
				साथ आवास, खानपान, परिवहन सुविधाओं व खेल गतिविधियों सहित पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का इंजीनियरिंग विंग सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों व निगमों आदि के लिए निक्षेप कार्य भी करता है।
16	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित		फरवरी 1977	हिम्कोन एक तकनीकी परामर्श संगठन है तथा कंपनी अधिनियम के तहत सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है व नियंत्रक महालेखाकार द्वारा इसका लेखापरीक्षा की जाती है। हिम्कोन को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ प्रशिक्षण भागीदार स्वीकृत किया गया है। हिम्कोन को अखिल भारतीय आधार पर इसके प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
17	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	तकनीकी शिक्षा	सितंबर 2015	कंपनी का मुख्य कार्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रणाली की क्षमता व सामर्थ्य में वृद्धि करना है ताकि दक्ष जनशक्ति की मौजूदा बाजार मांग को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाया एवं कौशल की कमी को पूरा किया जा सके। कंपनी की आय के मुख्य स्रोत केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्चों का हिस्सा व सावधि जमा रसीदों/बचत खाते पर अर्जित ब्याज थे।
18	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	शहरी विकास	जून 2018	शिमला आयोजनागत क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं की योजना बनाती एवं क्रियान्वयन करती है। इसका उद्देश्य हर घर में पानी व सीवरेज का सार्वभौमिक कवरेज, 24 x 7 निर्बाध पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य व पर्यावरण को बढ़ावा देना, नागरिकों के प्रति जवाबदेही व जवाबदेही व स्वायत्त व पेशेवर संस्थानों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत सेवा वितरण है।
19	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	अप्रैल 2019	डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन व हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से "श्री आनंदपुर साहिब जी से श्री नैना देवी जी के बीच रज्जुमार्ग सेवा का विकास व संचालन / रखरखाव का कार्य करती है।
20	रोप वे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड	परिवहन	जुलाई 2019	यह राज्य के दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों को रोपवे के माध्यम से संयोजकता प्रदान करती है; नवीन परिवहन समाधानों के माध्यम से राज्य के विभिन्न गंतव्यों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करती है; वैकल्पिक परिवहन समाधानों के माध्यम से राज्य में भीड़भाड़ कम करती है; व राज्य की विकास गाथा में योगदान देने वाली गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास करती है।
21	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	अप्रैल 1967	यह लघु एवं मध्यम उद्योगों को सावधि ऋण उपलब्ध कराकर राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। 18 अगस्त 2008 को लिए गए राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय से निगम ने वर्ष 2010 से अपनी उधार गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
<b>सांविधिक निगम</b>				
22	हिमाचल पथ परिवहन निगम	परिवहन	सितंबर, 1974	निगम की प्रमुख गतिविधियों में हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों में बसों का संचालन शामिल है। निगम की अन्य गतिविधियों में बसों, स्पेयर पार्ट्स आदि की खरीद, यात्री करों का संग्रह व हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड व हरियाणा राज्य के विशेष सड़क कर/यात्री कर जमा करना शामिल है।
23	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी 1987	यह कागज व कागज उत्पादों का विनिर्माण करती थी।
24	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	उद्योग	अक्टूबर 1974	यह वर्स्टों की कटाई, बनाई व परिष्करण करती थी व 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में है।
25	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	उत्पाद शुल्क व कराधान	अप्रैल 2016	राज्य में शराब की बिक्री को चैनलाइजेशन करने के उद्देश्य से आबकारी घोषणा के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी को हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सीमित कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार (17 जनवरी 2018) के निर्णय के परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2018 से अपना परिचालन बंद कर दिया।
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)</b>				
26	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	एमपीपी व विद्युत	दिसंबर 2009	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 14.06.2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के रूप में पुनर्गठित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध व गणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। राज्य में बिछाई गई संचरण, उप-संचरण व वितरण मार्ग के संजाल के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
27	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमपीपी व पावर	दिसंबर 2006	कंपनी का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विद्युत उत्पादन के विकास की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना व संगठित करना है।
29	हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	एमपीपी व पावर	अगस्त 2008	कंपनी 27 अगस्त 2008 को तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पृथक हिस्से के रूप में अस्तित्व में आई थी व इसे वर्ष 2010 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी का दर्जा दिया गया था। इसे ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने एवं आगामी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए राज्य के ट्रांसमिशन मास्टर प्लान के निर्माण/अद्यतन व निष्पादन का काम सौंपा गया है।

## परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ परिच्छेद 5.4.1)

31 मार्च 2022 को राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में किए गए इक्विटी व दीर्घावधि ऋण के निवेश को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी	कुल ऋण
		इक्विटी					दीर्घावधि ऋण									
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल	हिमाचल प्रदेश सरकार	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)</b>																
<b>कृषि व संबद्ध</b>																
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	16.89	1.96	0.00	0.00	18.85	11.56	0.40	0.00	0.00	11.96	28.45	2.36	30.81	18.85	11.96
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	31.20	1.50	6.07	0.00	38.77	60.09	0.00	0.00	0.00	60.09	91.29	7.57	98.86	38.77	60.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	11.71	11.71	0.00
4	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	0.00	0.00	0.97	17.72	60.15	0.00	0.00	0.00	60.15	76.90	0.97	77.87	17.72	60.15
<b>योग</b>		<b>76.55</b>	<b>3.46</b>	<b>6.07</b>	<b>0.97</b>	<b>87.05</b>	<b>131.80</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.20</b>	<b>208.35</b>	<b>10.90</b>	<b>219.25</b>	<b>87.05</b>	<b>132.20</b>
<b>वित्त पोषण</b>																
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	17.29	0.00	17.29	17.22	0.07
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	14.90	0.10	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.10	15.00	15.00	0.00
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84	0.00	0.00	47.45	0.00	47.45	14.84	47.45	62.29	14.84	47.45
4	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	92.98	0.00	0.00	6.59	99.57	84.61	0.00	28.27	0.00	112.88	177.59	34.86	212.45	99.57	112.88
<b>योग</b>		<b>139.94</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6.59</b>	<b>146.63</b>	<b>84.68</b>	<b>0.00</b>	<b>75.72</b>	<b>0.00</b>	<b>160.40</b>	<b>224.62</b>	<b>82.41</b>	<b>307.03</b>	<b>146.63</b>	<b>160.40</b>
<b>अव संरचना</b>																
1	हिमाचल प्रदेश पथ व अन्य अवसंरचना विकास सहकारिता सीमित	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	30.82	30.82	0.00
3	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00001	0.00	0.00033	0.00	0.00034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00001	0.00	0.00034	0.00034	0.00
4	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.0035	0.00	0.00	0.0035	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0035	0.00	0.007	0.007	0.00
<b>योग</b>		<b>55.82351</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00033</b>	<b>0.0035</b>	<b>55.82734</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.82351</b>	<b>0.00</b>	<b>55.82734</b>	<b>55.82734</b>	<b>0.00</b>

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
<b>विनिर्माण</b>																
1	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.04	0.00	0.08	0.04	7.16	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	0.12	10.13	7.16	2.97
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.00
<b>योग</b>		<b>7.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.96</b>	<b>8.08</b>	<b>2.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.97</b>	<b>10.01</b>	<b>1.04</b>	<b>11.05</b>	<b>8.08</b>	<b>2.97</b>
<b>सेवाएं</b>																
1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00
2	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	9.22	0.03	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.03	9.25	9.25	0.00
3	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	6.55	6.55	14.30	6.5	20.85	14.30	6.55
4	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.007	0.007	0.00
5	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	0.05	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.00
6	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित	0.00	0.00	0.03	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00
7	श्री मैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहब जी रोपवे लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00
8	रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड	0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.005	0.005	0.00
9	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00
10	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	1047.68	15.44	0.00	0.00	1063.12	0.00	0.00	0.00	18.01	18.01	1,047.68	33.45	1081.13	1063.12	18.01
11	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
<b>कुल क्षेत्र</b>		<b>1,080.002</b>	<b>15.47</b>	<b>0.03</b>	<b>0.70</b>	<b>1,096.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.56</b>	<b>24.56</b>	<b>1,080.002</b>	<b>40.76</b>	<b>1,120.762</b>	<b>1,096.202</b>	<b>24.56</b>
<b>कुल (सरकारी कंपनियां - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)</b>		<b>1,359.36</b>	<b>19.03</b>	<b>6.18</b>	<b>9.22</b>	<b>1,393.79</b>	<b>219.45</b>	<b>0.40</b>	<b>75.72</b>	<b>24.56</b>	<b>320.13</b>	<b>1,578.81</b>	<b>135.11</b>	<b>1,713.92</b>	<b>1,393.79</b>	<b>320.13</b>
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)</b>																
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	857.23	0.00	0.00	0.00	857.23	3,015.13	19.69	0.00	2,433.53	5,468.35	3,872.36	2,453.22	6,325.58	857.23	5,468.35
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,784.61	0.00	1,784.61	0.00	2,084.61	2,084.61	300.00	1,784.61
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	935.85	0.00	130.78	1,187.15	2,253.78	2,535.49	0.00	0.00	189.65	2,725.14	3,471.34	1,507.59	4,978.92	2,253.78	2,725.14
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	453.29	0.00	0.00	108.70	561.99	2,051.75	0.00	0.00	103.44	2,155.19	2,505.04	212.14	2,717.18	561.99	2,155.19
<b>कुल क्षेत्र</b>		<b>2,246.37</b>	<b>0.00</b>	<b>430.78</b>	<b>1,295.85</b>	<b>3,973.00</b>	<b>7,602.37</b>	<b>19.69</b>	<b>1,784.61</b>	<b>2,726.62</b>	<b>12,133.29</b>	<b>9,848.74</b>	<b>6,257.55</b>	<b>16,106.29</b>	<b>3,973.00</b>	<b>12,133.29</b>
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग</b>		<b>3,605.73</b>	<b>19.03</b>	<b>436.96</b>	<b>1,305.07</b>	<b>5,366.79</b>	<b>7,821.82</b>	<b>20.09</b>	<b>1,860.33</b>	<b>2,751.18</b>	<b>12,453.42</b>	<b>11,427.55</b>	<b>6,392.66</b>	<b>17,820.35</b>	<b>5,366.79</b>	<b>12,453.42</b>



## परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: परिच्छेद 5.5.1)

30 सितम्बर 2022 तक लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्तमान वर्ष हेतु संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	अंतिम रूप दिए जाने का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	कुल परिसंपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	नेट वर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>क कार्यशील सरकारी कंपनियां</b>															
<b>कृषि व संबद्ध</b>															
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	18.85	11.56	38.80	69.09	(-) 14.03	(-)2.74	0.07	0.00	(-)2.67	4.82	16.38	26
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2019-20	2021-22	38.77	60.09	154.06	70.48	(-) 86.75	(-)1.66	2.47	0.00	0.81	(-)47.98	12.11	200
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2017-18	2021-22	11.71	5.71	179.61	202.88	(-)113.04	0.98	1.06	0.00	2.04	(-)101.33	(-)95.62	1,321
<b>कुल</b>				<b>69.33</b>	<b>77.36</b>	<b>372.47</b>	<b>342.45</b>	<b>(-) 213.82</b>	<b>(-) 3.42</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>	<b>(-)144.49</b>	<b>(-)67.13</b>	<b>1,547</b>
<b>वित्त पोषण</b>															
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2014-15	2022-23	11.00	17.05	37.97	2.98	8.53	1.18	0.37	0.00	1.55	19.53	36.58	16
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2015-16	2020-21	9.19	0	11.83	0.74	2.00	0.50	0	0.00	0.50	11.19	11.19	7
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	11.34	23.47	35.30	1.34	(-)5.72	(-)0.29	0.78	0.00	0.49	5.62	29.09	17
<b>कुल</b>				<b>31.53</b>	<b>40.52</b>	<b>85.10</b>	<b>5.06</b>	<b>4.81</b>	<b>1.39</b>	<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2.54</b>	<b>36.34</b>	<b>76.86</b>	<b>40</b>
<b>विनिर्माण</b>															
7	हिमाचल प्रदेश सड़क अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	25.00	0.00	458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	30
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2019-20	2022-23	30.82	0.00	332.60	69.07	71.71	13.18	0.00	5.98	19.16	102.53	102.53	131
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.00034	0.00	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	39
		2019-20		0.00034	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.007	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	19
		2019-20		0.007	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	
<b>कुल</b>				<b>55.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.12</b>	<b>69.07</b>	<b>71.71</b>	<b>13.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5.98</b>	<b>19.16</b>	<b>127.54</b>	<b>127.54</b>	<b>219</b>
<b>विनिर्माण</b>															
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2020-21	2022-23	7.16	2.97	67.37	54.33	40.46	3.36	0.21	1.41	4.98	47.62	50.59	102
<b>कुल</b>				<b>7.16</b>	<b>2.97</b>	<b>67.37</b>	<b>54.33</b>	<b>40.46</b>	<b>3.36</b>	<b>0.21</b>	<b>1.41</b>	<b>4.98</b>	<b>47.62</b>	<b>50.59</b>	<b>102</b>

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>सेवाएं</b>															
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2018-19	2020-21	3.51	0.00	521.94	1,359.11	35.13	1.18	0.83	0.65	2.66	38.64	38.64	779
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	2020-21	2021-22	3.72	0.00	82.13	21.30	10.11	0.24	0.00	0.08	0.32	13.83	13.83	38
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	2019-20	2022-23	9.25	0.00	24.98	32.11	(-)13.43	0.54	0.05	0.37	0.96	(-)4.18	(-)4.18	28
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2016-17	2022-23	12.30	0.00	74.16	94.48	(-)24.51	(-)2.43	0.28	0.00	(-)2.15	(-)12.21	(-)12.21	1,703
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2019-20	2022-23	0.007	0.00	128.36	0.00	0.58	0.02	0.00	0.00	0.02	0.587	0.587	33
17	हिमाचल परामर्शदाता संगठन सीमित	2019-20	2020-21	0.18	0.00	5.08	11.29	1.93	0.29	0.00	0.00	0.29	2.11	2.11	32
18	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	2020-21	2021-22	0.10	0.00	357.00	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	330
19	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.01	0.20	9.23	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	31
20	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे लिमिटेड	2019-20	2022-23	1.00	0.00	1.01	0.00	(-)0.03	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03	0.97	0.97	5
<b>क्षेत्र योग</b>				<b>30.077</b>	<b>0.20</b>	<b>1,202.60</b>	<b>1,639.11</b>	<b>9.78</b>	<b>(-)0.19</b>	<b>1.16</b>	<b>1.10</b>	<b>2.07</b>	<b>39.86</b>	<b>40.06</b>	<b>2,979</b>
<b>सकल योग क</b>				<b>193.93</b>	<b>121.05</b>	<b>2,669.66</b>	<b>2,110.02</b>	<b>(-)87.04</b>	<b>14.32</b>	<b>6.12</b>	<b>8.49</b>	<b>28.93</b>	<b>106.87</b>	<b>227.92</b>	<b>4,887</b>
<b>ख</b>	<b>सांविधिक निगम</b>														
<b>वित्तपोषण</b>															
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	99.57	102.16	319.94	2.55	(-)166.56	(-)5.50	7.62	0.00	2.12	(-)66.99	35.17	14
<b>क्षेत्र योग</b>				<b>99.57</b>	<b>102.16</b>	<b>319.94</b>	<b>2.55</b>	<b>(-)166.56</b>	<b>(-)5.50</b>	<b>7.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2.12</b>	<b>(-)66.99</b>	<b>35.17</b>	<b>14</b>
<b>सेवाएं</b>															
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2020-21	2022-23	922.65	39.33	899.80	788.16	(-)1,573.93	(-)40.23	8.54	0.00	(-)31.69	(-)651.28	(-)611.95	9,890
<b>क्षेत्र योग</b>				<b>922.65</b>	<b>39.33</b>	<b>899.80</b>	<b>788.16</b>	<b>(-)1,573.93</b>	<b>(-)40.23</b>	<b>8.54</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)31.69</b>	<b>(-)651.28</b>	<b>(-)611.95</b>	<b>9,890</b>
<b>कुल ख</b>				<b>1,022.22</b>	<b>141.49</b>	<b>1,219.74</b>	<b>790.71</b>	<b>(-)1,740.49</b>	<b>(-)45.73</b>	<b>16.16</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)29.57</b>	<b>(-)718.27</b>	<b>(-)576.78</b>	<b>9,904</b>
<b>सकल योग क व ख</b>				<b>1,216.15</b>	<b>262.54</b>	<b>3,889.40</b>	<b>2,900.73</b>	<b>(-)1,827.53</b>	<b>(-)31.41</b>	<b>22.28</b>	<b>8.49</b>	<b>(-)0.64</b>	<b>(-)611.40</b>	<b>(-)348.86</b>	<b>14,791</b>
<b>ग</b>	<b>निष्क्रिय सरकारी कंपनियां</b>														
<b>कृषि व संबद्ध</b>															
1	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
<b>कुल</b>				<b>17.72</b>	<b>60.15</b>	<b>1.33</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)78.23</b>	<b>(-)0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)0.04</b>	<b>(-)60.51</b>	<b>(-)0.36</b>	<b>1</b>
<b>विनिर्माण</b>															
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-
<b>कुल</b>				<b>0.92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)5.44</b>	<b>(-)0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)0.01</b>	<b>(-)4.52</b>	<b>(-)4.52</b>	<b>-</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>सेवाएं</b>															
3	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	2016-17	2018-19	1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	0.00	4.78	14.27	10.49	10.49	10
<b>क्षेत्र योग</b>				1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	0.00	4.78	14.27	10.49	10.49	10
<b>कुल ग</b>				19.64	60.15	125.68	543.97	(-)74.18	9.44	0.00	4.78	14.22	(-)54.54	5.61	11
<b>सकल योग क, ख व ग</b>				1,235.79	322.69	4,015.08	3,444.70	(-)1,901.71	(-)21.97	22.28	13.27	13.58	(-)665.94	(-)343.25	14,802
<b>घ विद्युत् क्षेत्र</b>															
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड सीमित	2020-21	2021-22	807.23	5,546.52	10,561.86	6,548.60	(-)1,705.92	(-)185.32	476.22	0.00	290.90	(-)898.69	4,647.83	18,491
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	494.98	1,569.07	2,858.44	37.32	(-)240.43	(-)132.06	111.77	0.00	(-) 20.29	254.55	1,823.62	331
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत् निगम सीमित	2019-20	2022-23	2,180.56	2,555.05	7,007.34	146.24	(-)350.22	(-)128.24	129.55	0.00	1.31	1,830.34	4,385.39	533
4	ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	300.00	1,784.61	2,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,084.61	111
<b>क्षेत्र योग</b>				3,782.77	11,455.25	22,704.14	6,732.16	(-)2,296.57	(-)445.62	717.54	0.00	271.92	1,486.20	12,941.45	19,466
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग</b>				5,018.56	11,777.94	26,719.22	10,176.86	(-)4,198.28	(-)467.59	739.82	13.27	285.50	820.26	12,598.20	34,268

टिप्पणी: धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चिह्नित आंकड़े क्षेत्रीय योग एवं सकल योग में शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ परिच्छेद 5.7.3)

01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2021-22 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

	1999-2000 तक	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)																									
कृषि व संबद्ध																									
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड																								
इक्विटी	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.89
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	2.54	-	-	6.52	-	-	-	-	-	-	11.56
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड																								
इक्विटी	10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	7.00	5.00	-	14.54	3.55	-	8.00	10.00	-	-	-	-	48.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड																								
इक्विटी	11.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.71
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							सकल कुल कृषि व संबद्ध	59.80	
																								59.65	
वित्तपोषण																									
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम																								
इक्विटी	1.57	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	-	-	0.28	0.00	0.80	0.67	0.54	0.75	1.00	-	1.75	1.25	-	17.22
आई एफ एल	0.01	0.01	-	-	-	-	0.15	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम																								
इक्विटी	1.25	-	0.10	0.2214	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	-	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.77	1.35	0.75	0.39	-	14.90
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम																								
इक्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.53	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	-	1.68	-	1.75	-	-	14.84
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							सकल कुल वित्तपोषण	46.96	
																								0.07	
विनिर्माण																									
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास सहकारिता सोमित																								
इक्विटी	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित																								
इक्विटी	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.82
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																								
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00001	-	-	-	-	-	-	0.00001
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																								
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0035	-	-	-	-	-	0.0035
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							सकल कुल विनिर्माण	55.83	
विनिर्माण																									
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित																								
इक्विटी	4.98	-	-	-	-	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							सकल कुल विनिर्माण	7.04	
सेवाएं																									
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित																								
इक्विटी	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित																								
इक्विटी	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72
आई एफ एल	0.48	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित																								
इक्विटी	4.09	0.01	0.01	-	-	-	-	-	4.61	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम																								
इक्विटी	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	14.30
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.21	16.00	54.21
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम																								
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित																								
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	180.13	111.20	406.22
18	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड																								
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	0.005-
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50	26.13	33.63	
19	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50-	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																							सकल कुल सेवाएं	31.322	
																								0.05	
																								494.06	
	सांविधिक निगम (वित्तपोषण)																								
20	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम																								
इन्विटी	21.58	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	92.98	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	-	2.83	
																							सकल कुल वित्तपोषण	92.98	
																								2.83	
	सांविधिक निगम (सेवा)																								
21	हिमाचल पथ परिवहन निगम																								
इन्विटी	163.16	11.90	12.00	11.01	26.70	12.30	12.30	12.30	31.49	31.00	42.18	31.92	25.30	43.00	58.00	42.95	41.20	45.00	50.00	59.00	79.39	62.02-	140.48	1044.60	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								सकल कुल सेवाएं	1044.60
	निष्क्रिय कृषि व संबद्ध एवं सेवा																								
22	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड																								
इन्विटी	16.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.75	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								सकल कुल कृषि व संबद्ध	17.75
कुल इन्विटी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	38.38	53.97	117.17	34.61	26.94	44.42	66.95	44.94	43.26	48.04	51.56	63.90	81.25	66.27	144.12	1,356.28	
कुल आई एफ एल	0.49	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	- 0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	-	0.90	-	62.60	
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	225.84	153.33	494.06	
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.4314	28.60	16.06	13.74	14.30	38.38	53.87	117.17	34.61	36.44	49.42	69.49	59.48	46.81	54.56	59.56	73.90	196.14	69.10	297.45	1,912.94	
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत् क्षेत्र)																								
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत् निगम सीमित																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	80.1	241.32	242.41	75.76	48.05	202.18	180	193.31	91.25	133.28	137.12	160.00	165.00	62.21	11.00	2,022.99	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-537.15	-	-	550.00-	-	-	-	-	-	-	-	-1087.15	
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	45.70	60.00	50.00	5.78	8.00	25.96	32.79	19.51	27.71	40.00	53.75	84.00	67.00	531.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.70-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.70-
<b>3</b>	<b>हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड</b>																							
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.52	0	50.00	31.75	75.00	50.00	50.00	17.28	50.00	35.91	50.77	50.00	857.23
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	-	11.00
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	80.11	252.32	288.11	532.28	98.05	257.96	219.75	294.27	174.04	202.79	182.11	250.00	254.66	196.98	128.00	3,411.42
कुल आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	225.84	-	340.73
कुल विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-645.85	-	-	-550.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,195.85
सकल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	80.11	252.32	288.11	532.28	-547.96	257.96	219.75	-255.73	174.04	202.78	182.11	2560.00	254.66	207.98	128.00	2,226.57
कुल इन्विटी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	118.49	306.29	405.28	566.89	124.99	302.38	286.70	339.21	217.30	250.83	233.67	313.90	335.91	263.25	272.12	4,767.70
कुल आई एफ एल	0.49	1.51	-	-	-	-	0.15	-	-	-0.10	-	-	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	-	0.90	-	62.60
कुल ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	236.84	153.33	505.06
कुल विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-645.85	-	-	-550.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,195.85
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.43	28.60	16.06	13.74	14.30	118.49	306.19	405.28	566.89	-511.36	307.38	289.24	-196.25	220.85	257.35	241.67	323.90	450.80	500.99	424.45	4,139.51

**परिशिष्ट-5.5**

(संदर्भ परिच्छेद 5.12.2)

**30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं की संख्या सहित बकाया लेखाओं वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सूची**

क्र. सं.	30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं की संख्या वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सूची एवं लेखाओं को अंतिम रूप देने की अवधि	बकाया लेखाओं की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	2
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2020-21)	1
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	3
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2014-15)	7
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2015-16)	6
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2016-17)	5
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास सहकारिता सीमित (2020-21)	1
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2018-19)	3
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	2
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018-19)	3
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (2020-21)	1
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (2019-20)	2
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2020-21)	1
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2018-19)	3
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (2020-21)	1
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित (2019-20)	2
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2015-16)	6
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2018-19)	3
19	हिमाचल परामर्शदाता संगठन सीमित (2020-21)	1
20	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे लिमिटेड (2019-20)	2
21	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड (2019-20)	2
22	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड (2016-17)	5
23	एग्री इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (2013-14)	8
24	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2020-21)	1
25	ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2020-21)	1
26	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित (2020-21)	1
<b>सकल योग</b>		<b>73</b>



## परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ परिच्छेद 5.14.4)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम (लेखों को अंतिम रूप देने का वर्ष)	01 दिसंबर 2021 व 30 सितम्बर 2022 के मध्य अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2020-21)	1
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (2019-20)	1
3	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (2020-21)	1
4	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (2020-21)	1
5	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2020-21)	1
6	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	1
7	हिमाचल परामर्शदाता संगठन सीमित (2020-21)	1
8	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक व वित्त विकास निगम सीमित (2016-17)	1
9	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास सहकारिता सीमित (2020-21)	1
10	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018-19 and 2019-20)	2
11	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित (2019-20)	1
12	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2014-15)	1
13	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे लिमिटेड (2019-20)	1
14	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018-19)	1
<b>सकल योग</b>		<b>15</b>





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>